लोक-सभा बाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd LOK SABHA DEBATES

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २८, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXVIII, 1964/1886 (Saka)

[२१ मार्च से २ अप्रैल, १९६४/१ चैत्र से १३ चैत्र, १८८६ (शक)]

[March 21 to April 2, 1964/Chaitra 1 to 13, 1886 (Saka)]

Preservation Unit
Fumigated
On 14.12.87
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५-८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1885-86 (Saka)

(खण्ड २८ में अंक ३१ से ४० तक हैं)

(Vol. XXVIII contains Nos. 31 to 40)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SHABA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची

अंक ३८—मंगलवार, ३१ मार्च, १९६४ / ११ चैत्र, १८८६ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२९३५—५५
*तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८१६	"दिल्ली परिवहन" के लिए धन	२९३५–३७
८१७	रासायनिक उर्वरक	२९३८–४१
८१८	कलकत्ता और दिल्ली के बीच बिजली से चिलने वाली रेल गाड़ियां	२९४१—४३
८१९	पाकिस्तानी गुब्बारे	२९४३–४४
८२०	राज्यों को चीनी का कोटा	२९४४—४७
८२१	गोहाटी के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की एक उड़ान का रद्द किया जाना	२९४७—४९
८२२	पंजाब में गेहूं का भाव	२९४९–५०
८२३	बाउदपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी की भिड़न्त	२९५१–५२
८२४	अनाज के वितरण पर नियंत्रण	२९५२—५४
८२५	बैल टेलीफोन कम्पनी	२९५४–५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२९५६—८७
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
८२६	गन्ने से चीनी की प्राप्ति	२९५६
८२७	डाक खानों के जरिये बीमे की किस्तों की वसूली	२९५६
८२८	पुरुलिया-कोटसिसला रेलवे लाइन	२९५६–५७
८२९	फिश प्लेटों का हटाया जाना	२९५७
८३०	झुंड-कांडला रेलवे परियोजना	२९५७–५८
८३१	चीनी आदेश, १९६४	२९५८
८३२	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार	२९५८–५९
८३३	रेलवे लेवल क्रासिंग निधि	२९५९–६०
८३४	ऊंट के कारण माल गाड़ी का पटरी से उत्तर जाना	२९६०
८३५	चीनी का मूल्य	२९६१
८३६	विलियम शेक्सपियर की स्मृति में डाक टिकट	२९६०–६१
८३७	खाद्यान्नों के एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर प्रतिबन्ध	२९६१

*किसी प्रश्न पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 38—Tuesday, March 31, 1964/Chaitra 11, 1886 (Saka)

	Subject	Page
Oral Answers to Questions		2935—55
*Starred Questions Nos.		
816	Funds for D.T.U.	2935—37
817	Chemical Fertilizers	2938—41
818	Electric Trains between Calcutta and Delhi	2941—43
819	Pakistani Balloons	2943-44
820	Quota of Sugar to States	2944—47
821	Cancellation of I.A.C. Service to Gauhati	2947—49
822	Wheat Prices in Punjab	2949-50
823	Train Collision on Baudpur Station	2951-52
824	Control on Distribution of Foodgrains	2952—54
825	Bell Telephone Co.	2954-55
Written Answers to Questions		2956—87
Starred Questions Nos.		
826	Recovery from Sugarcane	2956
827	Collection of Premium through Post Offices	2956
828	Purulia-Kotsisla Railway Line	2956-57
829	Removal of Fish-Plates.	2957
830	Jhund—Kandla Railway Project	2957-58
831	Sugar Order, 1964	2958
832	Delhi State Central Co-operative Store	2958-59
833	Railway Level Crossing Fund	2959-60
834	Derailment of Train caused by Camel	2960
835	Price of Sugar	2960
836	Stamp on William Shakespeare	2960-61
837	Ban on Movement of Foodgrains	2961

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१६७५	रेलवे वर्कशाप . . .	२९६१
१६७६	उड़ीसा में डाक तथा तार घर .	२९६१–६२
१७७७	उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन . .	२९६२
१६७८	उड़ीसा में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिए आवास .	२९६२
१६७९	रेलवे में हिन्दी का प्रयोग .	२९६३
१६८०	खाद्यान्न की राशन-व्यवस्था .	२९६३
१६८१	रेलवे पटरियां . .	२९६३–६४
१६८२	बिहार में भूकम्पीय प्रयोगशाला .	२९६४
१६८३	रेलवे वैगन . .	२९६४—६६
१६८४	पर्यटन का विकास . .	२९६६
१६८५	भुवनेश्वर अधिवेशन के लिए सुविधायें .	२९६६
१६८६	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ . .	२९६७
१६८७	मालगाड़ी का पटरी से उतरना . .	२९६७–६८
१६८८	पूर्वोत्तर रेलवे पर दुर्घटनायें . .	२९६८
१६८९	मालगाड़ी में डकैती . .	२९६८
१६९०	ट्रेन और ट्रक की टक्कर . .	२९६८
१६९१	सहकारी विपणन	२९६९
१६९२	मोतीहारी स्टेशन से घटना तक रेल यात्रा . .	२९६९–७०
१६९३	भूतपूर्व ईस्ट इंडियन रेलवे के वार्ड कीपर .	२९७०
१६९४	मरमागाओ पत्तन . . .	२९७०
१६९५	बुकपोस्ट सम्बन्धी रियायत . .	२९७१
१६९६	कृषि मशीनें तथा औज़ार बोर्ड .	२९७१
१६९७	महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रेलवे लाइनें . . .	२९७१
१६९८	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यालयों का नामकरण	२९७२
१६९९	परिवहन मंत्रालय के अधीन कार्यालयों का नामकरण . .	२९७२
१७००	किसानों को ऋण	२९७२–७३
१७०१	स्मारक टिकट .	२९७३
१७०२	वायो-गैस संयंत्र . . .	२९७३
१७०३	दक्षिण पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले .	२९७४
१७०४	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले .	२९७४–७५
१७०५	दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारी . .	२९७५

Written Answers to Questions—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
1675	Railway Workshops	2961
1676	P. & T. Offices in Orissa	2961-62
1677	Telephone Connections in Orissa	2962
1678	Accommodation for P. & T. Employees in Orissa	2962
1679	Use of Hindi on Railways	2963
1680	Rationing of Foodgrains	2963
1681	Railway Tracks	2963-64
1682	Seismic Laboratory in Bihar	2964
1683	Railway Wagons	2964—66
1684	Development of Tourism	2966
1685	Facilities for Bhubaneswar Session	2966
1686	National Highway No. 6	2967
1687	Derailment of a Goods Train	2967-68
1688	Accidents on North-Eastern Railway	2968
1689	Robbery in a Goods Train	2968
1690	Train-Truck Collision	2968
1691	Co-operative Marketing	2969
1692	Rail Journey from Motihari Station to Patna	2969-70
1693	Ex-E.I. Railway Ward Keepers	2970
1694	Marmugao Port	2970
1695	Book-Post Concession	2971
1696	Board for Agricultural Machinery and Implements	2971
1697	Railway Lines in Vidharbha Region of Maharashtra	2971
1698	Nomenclature of Offices under the Ministry of F. and A.	2972
1699	Nomenclatures of Offices under the Transport Ministry	2972
1700	Loan to Farmer	2972-73
1701	Commemoration Stamps	2973
1702	Bio-Gas Plant	2973
1703	Corruption cases in S.E. Railway	2974
1704	Corruption cases in Northern Railway	2974-75
1705	S.E. Railway Employees	2975

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१७०६	चेंगलपेत और चीन्ना-सैलेम के बीच रेलवे लाइन	२९७५–७६
१७०७	शीतागार संयंत्र	२९७६
१७०८	परिवहन सहकारी समितियां	२९७६
१७०९	हिन्दी में रेलवे के प्रकाशन	२९७७
१७१०	चावल की उपलब्धता	२९७७
१७११.	दूध के डिपो	२९७८
१७१२	नारियल के वृक्षों का पुनःरोपण	२९७८
१७१३	शेवड़ाफुली रेलवे स्टेशन	२९७८–७९
१७१४	वनसंद्र-हसन-मंगलौर सड़क	२९७९
१७१५	राष्ट्रीय राजपथ संख्या १३	२९७९–८०
१७१६	नांगल बांध से आने जाने वाली रेलगाड़ियां	२९८०
१७१७	मनीपुर और नागालैंड के लिए नया डाक-तार डिवीजन	२९८०–८१
१७१८	मनीपुर को चीनी का सम्भरण	२९८१
१७१९	कैरेवेल विमान	२९८१–८२
१७२०	केन्द्रीय भाण्डागार, शक्तिनगर	२९८२
१७२१	राजस्थान में पोस्टल डिवीजन	२९८२–८३
१७२२	हिन्दी में तार	२९८३
१७२३	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	२९८३–८४
१७२४	भारतीय जहाज "जलमंजरी"	२९८४
१७२५	उत्तर रेलवे पर पार्सल क्लर्क	२९८५
१७२६	गुंताकल से बंगलौर तक रेलवे लाइन	२९८५
१७२७	विमान सेवायें	२९८५–८६
१७२८	कोठागुडियम में टेलीफोन सेवा	२९८६
१७२९	सहकारी चीनी मिलें	२९८६
१७३०	दक्षिण रेलवे पर भोजन व्यवस्था प्रतिष्ठान	२९८७
१७३१	भुसावल इलाहाबाद पेसेंजर गाड़ी	२९८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९८८–८९,३०११

लोक-लेखा समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन २९९०

Written Answers to Questions—*contd.*

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
1706	Railway Link between Chengalpet and Chinna-Salem	2975-76
1707	Cold Storage Plants	2976
1708	Transport Co-operative Societies	2976
1709	Railway Publications in Hindi	2977
1710	Availability of Rice	2977
1711	Milk Depots	2978
1712	Replantation of Coconut	2978
1713	Sheoraphuli Railway Station	2978-79
1714	Banasandra-Hassan-Mangalore Road	2979
1715	National Highway No. 13	2979-80
1716	Trains to and from Nangal Dam	2980
1717	New P. & T. Division for Manipur and Nagaland	2980-81
1718	Supply of Sugar to Manipur	2981
1719	Caravelle Aircraft	2981-82
1720	Central Storage Depot Shaktinagar	2982
1721	Postal Divisions in Rajasthan	2982-83
1722	Telegrams in Hindi	2983
1723	S.C. and S.T. Employees in Delhi Division of Northern Railway	2983-84
1724	Indian Ship "Jalamanjari"	2984
1725	Parcel Clerks on Northern Railway	2985
1726	Railway Line from Guntakal to Bangalore	2985
1727	Air Services	2985-86
1728	Telephone Service at Kothagudium	2986
1729	Co-operative Sugar Mills	2986
1730	Catering Establishments on S. Railway	2987
1731	Bhusawal—Allahabad Passenger Train	2987

Papers laid on the Table 2988-89, 3011

Public Accounts Committee 2990

Twenty-fourth Report 2990

विषय	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२९९०—३०१६
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	
श्री इकबाल सिंह	२९९०–९१
श्री महताब	२९९२—९४
श्री लहरी सिंह	२९९४–९५
श्री पें० वेंकटासुब्बया	२९९५–९६
श्री प० गो० मेनन	२९९६–९७
डा० मा० श्री० अणे	२९९७
श्री बासप्पा	२९९८
श्री यलमंदा रेड्डी	२९९९
श्री नि० रं० लास्कर	३०००–०१
श्री विश्राम प्रसाद	३००१–०२
श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह	३००२
श्री राजाराम	३००२–०३
श्री म० प० स्वामी	३००३–०४
श्री काशी राम गुप्त	३००४–०५
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा	३००५–०६
श्री रामसेवक यादव . . .	३००६
श्री ओंकार लाल बेरवा	३००६–०७
श्री शिव नारायण	३००७
डा० कु० ल० राव	३००७—१६
सभा का कार्य	२९९२

Subject	Page
Demands for Grants	2990-3016
Ministry of Irrigation and Power	
Shri Iqbal Singh	2990-91
Shri Mahatab	2992-94
Shri Lahri Singh	2994-95
Shri P. Venkatasubbaiah	2995-96
Shri P. G. Menon	2996-97
Dr. M. S. Aney	2997
Shri Basappa	2998
Shri Yallamanda Reddy	2999
Shri N. R. Laskar	3000-01
Shri Vishram Prasad	3001-02
Shri Birendra Bahadur Singh	3002
Shri Rajaram	3002-03
Shri M. P. Swamy	3003-04
Shri Kashi Ram Gupta	3004-05
Shrimati Lakshmikanthamma	3005-06
Shri Ram Sewak Yadav	3006
Shri Onkar Lal Berwa	3006-07
Shri Sheo Narain	3007
Dr. K. L. Rao	3007—16
Business of the House	2992

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, ३१ मार्च, १९६४/११ चैत्र, १८८६ (शक)

Tuesday, March 31, 1964/Chaitra 11, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

"दिल्ली परिवहन" के लिए बस

\+
*८१९. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भी० प्र० यादव :
श्री यवन :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "दिल्ली परिवहन" ने चालू वित्तीय वर्ष में १२५ नयी बसें खरीदने के लिये अधिक धन दिये जाने के लिए संघ सरकार से मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) "दिल्ली परिवहन" ने अब तक अन्य राज्यों से कितनी बसें ली हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां। परन्तु "दिल्ली परिवहन" ने वर्ष १९६३–६४ के दौरान १२५ नई बसें खरीदने का नहीं अपितु ७५ बसें खरीदने का प्रस्ताव किया था।

(ख) बसों की खरीद तथा अन्य पूंजी व्यय के लिये उपक्रम को मंजूर किये गये ३० लाख रुपये के ऋणों के अतिरिक्त उसको हाल में ही ३८ लाख रुपये का ऋण और मंजूर किया गया है।

(ग) अपनी बसों की संख्या में वृद्धि करने के लिये "दिल्ली परिवहन" द्वारा अस्थाई रूप से २० बसें उत्तर प्रदेश से तथा २५ बसें पंजाब से प्राप्त की गई थीं। उत्तर प्रदेश सरकार की बसें १५–२–१९६४ से वापिस चली गई थीं तथा पंजाब सरकार की बसों के १–४–१९६४ से वापिस चले जाने की संभावना है।

Shri Yashpal Singh : May I know the shortage of buses that would be felt by the D.T.U. even after purchasing 75 buses so that so many people who have to walk or hire taxis or wait for the buses for hours together may be saved of this trouble ?

Shri Raj Bahadur : We try to augment our fleet to cope with the increasing number of persons. As the hon. Member might be aware, in all 494 buses are to be purchased in the Third Five Year Plan out of which 286 buses have been purchased as yet. Out of these, 100 second-hand buses belong to Madras Government.

Shri Yashpal Singh : How many 'double-decker' buses have so far been purchased and how may are likely to be purchased in future ?

Shri Raj Bahadur : Two or three double-decker buses have already been purchased and it is proposed to purchase in all 20 buses.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार का विचार "दिल्ली परिवहन" की बसों के किराये एक उचित आधार पर निश्चित करने का है ? यदि हां, तो किस स्तर पर अथवा किस समिति अथवा प्राधिकार द्वारा इस पर विचार किया जायेगा ?

श्री राज बहादुर : यह एक भिन्न प्रश्न है तथा यद्यपि मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ मालूम है, फिर भी इस के लिये मुझे अलग से जानकारी प्राप्त करनी होगी।

Shri Sidheshwar Prasad : In addition to the financial assistance to be given to the D.T.U. by the Government for the purchase of buses, would Government advise it or render some other kind of help in order to see that there is improvement in the bus service and the inhabitants of Delhi are saved of the inconveniences being experienced by them frequently ?

Shri Raj Bahadur : We are giving every possible help required of us by the Corporation or the D.T.U. from time to time. We give suggestions also which are even being given effect to by them as far as they find it possible and practicable to do.

Shri Onkar Lal Berwa : What further progress has been made in the matter of buses plied for carrying women passengers in Delhi and is it proposed to increase the number of such buses ? Is that service still available or it has been discontinued ?

Shri Raj Bahadur : I am not aware of any such service for ladies.

श्री श्रीनारायण दास : क्या "दिल्ली परिवहन" नई बसों के खरीदने में जो खर्च हुआ है, उसका भार उठा सकी है ? यदि हां, तो कहां तक ?

श्री राज बहादुर : "दिल्ली परिवहन" के लिये अपने संसाधनों की सहायता से अपने समस्त बड़े कार्यक्रमों के लिये वित्त की व्यवस्था करना संभव नहीं है और इसलिये हमें इसको सहायता करनी पड़ती है।

श्री कपूर सिंह : किन निश्चित कारणों से सकार दिल्ली में एकाधिकाररोधी प्रतियोगात्मक बस सेवायें चालू करने से इंकार करती है ?

श्री राज बहादुर : सरकार का इससे कोई संबध नहीं है। बस सेवाओं की व्यवस्था करने का अधिकार निगम को है तथा वह गैर-सरकारी बसों के चलाये जाने को लिये सहमत नहीं है।

श्री कपूर सिंह : कोई भी एकाधिकारी इसके लिये तैयार नहीं होगा।

श्री नाथ पाई : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि राजधानी में जो लोक परिवहन सेवा है, वह विश्व भर में सबसे अधिक असन्तोषजनक है। यदि हां, तो बस सेवाओं का विस्तार करने के अतिरिक्त क्या उनका विकार एक एकीकृत योजना तैयार करने का है ताकि इस कलंक को दूर किया जा सके ?

श्री राज बहादुर : मेरे सामने तुलना करने के लिये आंकड़े नहीं हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं हूं। इसी के साथ साथ, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि नई बसों के प्राप्त करने के लिये तीसरी योजना में कुछ व्यवस्था की गई थी। इस योजना को और किसी ने नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद ने स्वीकार किया था। "दिल्ली परिवहन" बसों को प्राप्त करने के लिये कदम उठा रहा है। यह कार्यक्रम समयानुकूल चल रहा है तथा हम "दिल्ली परिवहन" को इसमें सहायता कर रहे हैं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : "दिल्ली परिवहन" पर इस समय कितना ऋण है क्या यह इस योग्य है कि अपनी बसों की संख्या में वृद्धि करने के लिये अपनी आय का एक भाग पृथक् रूप से रक्षित कर दे ?

श्री राज बहादुर : मेरा विचार ऐसा नहीं है कि यह इस कार्य के लिये कोई विशेष बचत कर रही है।

Shri Prakash Vir Shastri: The recent increase in the bus fare in Delhi has not been approved of by the Delhi Development Authority. Has this matter been put up before the Transport Minister and if so, what is Government's reaction thereto ?

Shri Raj Bahadur: The whole matter is under consideration and as I said it would not be desirable on my part to say antything at this stage.

रासायनिक उर्वरक

+

*८१७. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा०राम सुभग सिंह): (क) और (ख). हालांकि यह सच है कि आशा के अनुकूल सन्तोषजनक प्रगति नहीं हुई है, परन्तु फिर भी उर्वरकों का खपत धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरी योजना अवधि की समाप्ति पर अर्थात १९६०–६१ में नाइट्रोजन की कुल खपत १.९३ लाख टन थी जब कि १९६३–६४ के चालू वर्ष के दौरान नाइट्रोजन की खपत लगभग ४.० लाख मीट्रिक टन होने की आशा है। दूसरे शब्दों में ३ वर्षों के अन्दर खपत दुगनी हो जायेगी। तथापि कमी के कारण ये हैं :– अपर्याप्त आन्तरिक उत्पादन, विदेशी मुद्रा की सीमित प्राप्ति अथवा विश्व उर्वरक बाजार में कठिन संभरण स्थिति के कारण अपर्याप्त आयात तथा अपर्याप्त ऋण संबंधी सुविधायें। इन बातों का सतत रूप से पुर्नविलोकन किया जा रहा है। ताकि स्थिति में सुधार हो।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि इसलिये नहीं हो रही है क्योंकि मौसम के दौरान उर्वरक किसानों के पास समय पर नहीं पहुंच पाते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : यह सच नहीं है क्योंकि हमने राज्यों की समस्त सहकारी समितियों से यह कह रखा है कि वे समय के अन्दर उर्वरकों को ले लें और हम उनको बराबर अनुस्मारक भेजते रहते हैं। केवल यही नहीं बल्कि हम छूट भी दे रहे हैं तथा इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे अपना कोटा समय पर ले लें। हम यहां से यही सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर उर्वरक पहुंच जायें। हम यह कार्य कर रहे हैं। परन्तु प्रयोग किसानों को उपलब्ध ऋण सम्बन्धी सुविधाओं पर भी निर्भर करता है। जब किसानों को अपनी स्थानीय सहकारी समितियों अथवा अन्य स्त्रोतों से ऋण प्राप्त हो जाता है, तब वे उर्वरक खरीदते हैं। इन सीमाओं के अधीन हम उर्वरक का संभरण करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री जी ने बताया कि उर्वरकों की कमी है। तो फिर उर्वरकों के स्थान पर खाद्यान्न का आयात क्यों किया जा रहा है।

डा० राम सुभग सिंह : यह एक बहुत सुसंगत प्रश्न है। मै सभा को बताना चाहता हूं कि उर्वरकों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता इस प्रकार थी : १९६१–६२––२८.९० करोड़ रुपये, १९६२–६३––३५.९५ करोड़ रुपये, १९६३–६४ में ३८.९० करोड़ रुपये,। १९६४–६५ के लिये यह आवश्यकता ३८.५० करोड़ रुपये है तथा १९६५–६६ के दौरान इसके ४२.९० करोड़

रुपये तक हो जाने की आशा है। इस प्रकार हम विदेशों से यथासंभव अधिक से अधिक उर्वरक प्राप्त करने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या यह सच है कि सरकार ने 'फैक्ट'[1] से यह कहा है कि वह दक्षिण में तीन और रसायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना करे।

डा० राम सुभग सिंह : इसका उत्तर मेरे माननीय साथी, पेट्रोलियम और रसायन मंत्री, अच्छी तरह दे सकेंगे। परन्तु जहां तक मेरे द्वारा दिये गये आंकड़ों का संबंध है, मैं कह सकता हूं कि जहां तक हमारी आवश्यकता का संबंध था, १९६१–६२ में हमें २० करोड़ रुपये तथा १९६३–६४ में २४.७५ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

श्री रंगा : लोक लेखा समिति द्वारा की गई इस आशय की सिफारिशों को देखते हुए कि मूल्य का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिये कि मुनाफा न उठाया जाय तथा मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि 'न लाभ न हानि' आधार पर उर्वरकों का संभरण किया जाय, क्या सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची है ?

डा० राम सुभग सिंह : लोक लेखा समिति जैसी उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर हम सर्वदा ध्यान देते हैं तथा एक और दिन भी मैंने ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया था। हमने गत वर्ष कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट का मूल्य ३२ रु० प्रति टन कम कर दिया था और इस वर्ष पहली जनवरी से यूरिया के मूल्य में १०० रु० प्रति टन के हिसाब से कमी कर दी है।

श्री रंगा : प्रश्न यह नहीं था। यह तो लोक लेखा समिति द्वारा सिफारिश की गई एक नीति थी सरकार ने उस नीति को स्वीकार किया है अथवा नहीं ? वह तो केवल यह कह रहे हैं कि उच्चतर स्तर द्वारा कुछ उर्वरकों के मूल्य में कमी कर दी गई थी।

डा० राम सुभग सिंह : हमारी नीति यही होगी। हम मुनाफा कमाना नहीं चाहते हैं परन्तु यह मुनाफा प्रणाली पैदा हो गई थी और हम इसको समाप्त करने के कोशिश कर रहे हैं।

श्री नाथ पाई : क्या यह सच नहीं है कि कृषि क्षेत्र में अनुभव की जाने वाली कठिनाईयों के लिये उत्तरदायी कारणों में से मुख्य कारण यह है कि उत्पादन निराशाजनक हुआ है अथवा यों कहिये कि तीसरी योजना में निर्धारित नाइट्रोजन तथा फासफोट उर्वरकों के लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर सके हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री जी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक वही पुरानी कठिनाइयों को दोहराने के अतिरिक्त कुछ और उपाय भी करने के बारे में सोच रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मैं प्रश्न करने वाले माननीय सदस्य के समान, जो कि पुरानी कमियों को दोहराते आ रहे हैं, पुरानी कठिनाइयां नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि उनके अपने दल सहित अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हुई है ..... **(अन्तर्बाधा)**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है। उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिये। मैं इन शब्दों के प्रति आपका ध्यान इसलिये आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि आप ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि जो प्रश्न सुसंगत जानकारी प्राप्त करने के लिये नहीं पूछा जाता है, उसकी अनुमति नहीं दी जाती।

---

[1] 'FACT'

अध्यक्ष महोदय : उसके बावजूद भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : परन्तु आप उनकी अनुमति नहीं देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुपूरक प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्यों तथा उत्तर देने वाले मंत्रियों से हमेशा यह निवेदन करता रहता हूं कि प्रश्न तथा उनके उत्तर संक्षिप्त तथा सुसंगत होने चाहिये . . . . (**अन्तर्बाधा**) । शान्ति, शान्ति । यदि मुझे वाक्य भी पूरा करने नहीं दिया जायेगा, फिर तो यह मेरे लिये बड़ी कठिनाई की बात होगी । निस्संदेह, जो उत्तर दिया गया है, उस पर मुझ आपत्ति है । परन्तु इस में शब्दों का वापिस लेने की कोई बात नहीं है । जब कोई बात असंसदीय नहीं है, तो मेरे विचार से उसे वापिस लेने के लिये कहना मेरे लिये ठीक नहीं है । सही मार्ग से विचलित होने की यह एक बात थी और इसीलिये मैंने उनसे कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये था ।

डा० राम सुभग सिंह : मुझे वह स्वीकार है ।

अध्यक्ष महोदय : वह उसको स्वीकार करते हैं । वह काफी है ।

श्री अ० प्र० जैन : क्या यह सच नहीं है कि कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट का कम मूल्य हो जाने के कारण इसकी खपत बढ़ गई है और क्या अन्य उर्वरकों के मूल्य में की जाने वाली कमी रोक दी गई है क्योंकि उनकी मांग में भी वृद्धि हो जायेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सच है कि कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट के मूल्य में कमी किये जाने के परिणामस्वरूप, हम गत वर्ष नंगल तथा रूरकेला से सारा का सारा उर्वरक का स्टाक ले सके । अन्य उर्वरकों के बारे में भी हम स्थिति पर गौर कर रहे हैं और अपना विचार निश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री नाथ पाई : श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं उनके इस विश्वास का बहुत अधिक स्वागत करता हूं कि कोई असफलता नहीं हुई है । परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके वरिष्ठ साथी, श्री नन्दा, ने अनेक बार यह कहा है कि तीसरी योजना में हम मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में असफल हुए हैं तथा सभा के समक्ष रखे गये नाइट्रोजन तथा फासफेट उर्वरकों सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति के मामले में तो पूर्ण तरह से असफलता का मुंह देखना पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्या हम यह समझें कि वह उसको स्वीकार करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता, यह क्या है । मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं ।

Electric trains between Calcutta and Delhi

+

*818 { **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Basumatari :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the up-to-date progress made in the scheme for running electric trains between Calcutta and Delhi ;

(b) when this scheme will be completed ; and

(c) whether similar schemes are under execution on any other sections also and if so, on which ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—२६१०/६४**]

Shri Prakash Vir Shastri : It has been stated in the statement that electric trains would start running between Calcutta and Kanpur by the end of this Plan but the question of introducing these trains between Delhi and Kanpur is still under consideration. I would, therefore, like to know whether Government propose to complete this scheme during the Plan period so that these trains may run upto Delhi ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : उसे बढ़ाने की योजना है लेकिन वह तीसरी आयोजना में न होगा। वह चौथी आयोजना के आरम्भ में होगा। उस पर विचार हो रहा है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether Government are aware that thousands of persons come to Delhi daily from suburbs of Delhi, *i.e.* Ghaziabad, Faridabad, Gurgaon etc. and return back to those places and whether Government have any propossal to run eletric trains to these satellite towns ? Is there any scheme under consideration ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरे मंत्री कहते हैं कि वह कार्यवाही के लिए सुझाव है . . .

अध्यक्ष महोदय : क्या इस पहलू प भी विचार किया गया है कि दिल्ली और उसके आसपास के नगरों से काफी संख्या में लोग रोजाना काम के लिए दिल्ली आने के कारण दिल्ली और उन नगरों के बीच बिजली की रेलें चलायी जाय ? यही उनका प्रश्न था।

श्री सें० वें० रामस्वामी : फिलहाल उस पर विचार नहीं रहा है। कानपुर से दिल्ली तक बिजली की गाड़ी बढ़ाने के प्रश्न की छानबीन करने का हम विचार कर रहे हैं।

श्री बसुमतारी : कानपुर से दिल्ली तक बिजली की गाड़ी चलाने के लिए कितनी रकम अलग रखी गयी है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मोटा अनुमान २२ करोड़ रुपया है।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know the difference between the speed of coal driven trains and that of electric trains and the difference between the fares for both these trains. ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : खर्च इस बात पर निर्भर होगा कि इंजन भाफ से चलाये जाते हैं या बिजली से। बिजली से रेलें चलाना सब से अधिक सस्ता होता है और वह डीजल से अधिक अच्छा है। डीजल इंजन भाफ के इंजन से अधिक अच्छा होता है।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : मुख्य रेलें भी बिजली के सेक्शनों में भाफ से क्यों चलती हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : ऐसा इसलिए है कि कुछ रेलगाड़ियां भाफ से ही चलानी पड़ती हैं क्योंकि हर रेलगाड़ी को बिजली से चलाने का पूरा पूरा सामान उपलब्ध नहीं है।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या रेलवे मंत्रालय को मालूम है कि किसी विशिष्ट सेक्शन में बिजली से रेलें चलाने की व्यवस्था पूरी हो जाते ही काफी संख्या में कर्मचारी बेकार हो जाते हैं और यदि हां, तो उन्हें उचित रोजगार दिलाने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह प्रश्न इससे नहीं पैदा होता।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या तीसरी योजना में कुछ मीलों तक बिजली से रेलें चलाने की कोई निश्चित योजना है और यदि हां तो सामान्य रेलगाड़ियों की तुलना में उसकी लागत ज्यादा होगी या कम ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। बिजली से रेलें चलाने के सम्बन्ध में हम ने एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किया है। तीसरी योजना के आखिर और चौथी योजना के आरम्भ में, हम लगभग १४०० किलोमीटर तक बिजली से रेलें चलाने की व्यवस्था पूरी कर सकेंगे।

Shri Kachhavaiya : Electrification is very essential near the important towns. Has Govt. any proposal to introduce it in near future in view of its urgency ?

Mr. Speeker : He has siad that is world be completed in the forth five year plan.

श्री विश्राम प्रसाद : अब तक रिहन्द से ४०,००० किलोवाट बिजली ली गयी है। क्या बिजली की रेलों के और विस्तार के लिए रिहन्द से और अधिक बिजली ली जायगी ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : प्रश्न के पहले भाग के लिए मुझे सूचना चाहिये क्योंकि मैं एकाएक नहीं बता सकता कि रिहन्द से कितनी बिजली ली गयी है। दूसरे भाग के सम्बन्ध में, पहले ७० करोड़ रुपया तीसरी योजना में दिया गया था। बाद में हम ने कुछ और सेक्शनों में काम बढ़ाया। उसके लिए योजना आयोग ने २७ करोड़ रुपया दिया। इस तरह कुल ९८ करोड़ रुपया दिया गया।

Shri Yashpal Singh : There is shortage of electricity for irrigation purposes at our agricultural farms and that shortage is there even in advance factories. So, what was the urgency of electrificatipn at this time, it could have been taken up after three four years.

Mr. Speaker : It may also be taken into account.

Pakistani Balloons

+

*819. { **Shri Mohan Swarup :**
Shri Kachhavaiya :
Shri Y. S. Chaudhury :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that two Pakistani balloons equipped with small transistor sets were found near Jullundur in December, 1963, and January, 1964; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport(Shri Raj Bahadur): (a)&(b). Two meteorological radiosonde of the Pakistan Meteorological Department, equipped with low-power, balloon-borne transmitters were found in the fields in the jurisdiction of the police stations Adampur and Kartarpur, in Jullundur district. One of them was a radiosonde, manufactured by the Pakistan Meteorological Department, and was similar to those used by the India Meteorological Department. The other instrument was an American radiosonde. Both of them were fitted with low-power transmitters to telemeter to receiving stations on the ground information about pressure, temperature and humidity in the upper atmosphere. They were sent aloft with hydrogen filled balloons by the Pakistan Meteorological Department and had drifted with the winds from the west and fallen in the Indian territory when the balloons burst.

Shri Kachhavaiya : I would like to know whether those transistors reached India by themselves or they were brought here and the action taken by Government of India in this connection.

Shri Raj Bahadur: I had used the word transmitter and not transistor. They are different. As I have stated, these are used for meteorological investigations for indicating atmospheric pressure, humidity and temperature. We also do like that and they too do it. In summer when winds blow from west our balloons could drift from West Bengal to East Pakistan and during rains when winds blow in the apposite direction, their balloons drift to our territory.

Shri Kachhavaiya: I would like to know whether our transmitters have ever gone to other countries and whether their balloons contained diamonds.

Shri Raj Bahadur: I have stated that they drift with winds and they are liable to fall down in other territory.

श्री हेम बरुआ : चूंकि इसमें देश की सुरक्षा का प्रश्न है क्या सरकार ने इस मामले की ओर पाकिस्तान का और अमरीकी सरकार का ध्यान दिलाया है ?

श्री राज बहादुर : कम से कम इस मामले में सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री कहते हैं कि सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : कैसे ? वह हमारी स्थिति का पता लगाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तब वे उसे दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं; अभी नहीं ।

श्री त्यागी : क्या सरकार ने इन गुब्बारों में लिखी गयी जानकारी से पूरा पूरा फायदा उठाया है जैसा कि पाकिस्तानी वैज्ञानिक करते हैं ?

श्री राजबहादुर : ज्योंहि ये गुब्बारे पाये गये वे ऋतु विज्ञान विभाग में पहुंचाये गये जहां उस जानकारी की छानबीन के बाद उससे यथासंभव लाभ उठाया गया ।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या दबाव, नमी और ऊंचाई का हमारी सुरक्षा से सम्बन्ध नहीं है । उससे वे हमारी हालतों का पता लगाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं बता सकता । मैं सिर्फ जानकारी प्राप्त कर सकता हूं ।

Shri Onkar Lal Berwa : Why these balloons got burst in our country and what is the distinction between Indian & Pakistani balloons.

Shri Raj Bahadur: All these balloons are filled with hydrogen and their bursting does not mean anything. They drifted with winds and they fell down when they burst.

श्री मजीठिया : क्या इन गुब्बारों से पायी गयी जानकारी सारी दुनिया को भेजी जाती है और सारे अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र इस जानकारी के लिए एक दूसरे से सम्पर्क रखते हैं ?

श्री राज बहादुर : इन रेडियो सौन्द उपकरणों से प्राप्त की गयी जानकारी को एकत्र किया जाता है और उसके परिणामों को मौसमी अनुमान में बदल दिया जाता है । इसी तरह इस जानकारी का प्रयोग होता है ।

Quota of Sugar to States

\+

*820 **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri R. S. Pandey :
Shri Harish Chandra Mathur :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to reduce the quota of sugar to the States ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Food and Agriculture (Shri Shinde) : (a) & (b). A nominal reduction of 5% in the monthly sugar quotas of various States have been made in view of the sugar production during the year not fully coming upto expectations.

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know on what basis the quota of sugar is allotted to villages. Is it allotted to urban and rural population jointly or separately ?

श्री शिन्दे : जहां तक केन्द्र से कोटा निर्धारित करने का सम्बन्ध है, वह अलग अलग राज्यों के लिए निश्चित किया जाता है । वह सितम्बर, १९६१ में समाप्त नियंत्रण अवधि के आखिरी छः महीनों में कारखानों से चीनी की निकासी और चीनी की उपलब्धि को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है । चीनी का वितरण राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know what success has been achieved in the allotment of sugar quota on the basis of income and whether this quota has been fixed on that basis or it would be fixed as usual ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): केरल में चीनी आमदनी के आधार पर बांटी जाती है। उत्तर प्रदेश ने एक योजना तैयार करके हमारे पास भेजी है। हमारी राय यह है कि राज्य सरकार वितरण का जो तरीका चाहे वह अपनाये। सिद्धान्त के तौर पर हमारा कोई विरोध नहीं है क्योंकि एक राज्य में वह योजना सफल हुई है और वहां कम चोर-बाजारी हुई है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सरकार ने वचन दिया था कि वह वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगी तो वह किस प्रकार समीक्षा करने वाली है और उसे ठीक करने वाली है ? जैसे राजस्थान, पंजाब और गुजरात में प्रत्येक की २ करोड़ आबादी है; फिर भी राजस्थान को पंजाब का आधा और गुजरात को एक-तिहाई कोटा मिल रहा है जिसका नतीजा यह है कि राजस्थान में ३ या ४ रुपये सेर चीनी बिक रही है ? इसके पीछे क्या औचित्य है ?

श्री अ० म० थामस : केन्द्र से चीनी का वितरण नियंत्रण अवधि के पिछले ६ महीनों में निकासी के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या की बजाय वह अधिक अच्छा आधार हो सकता है क्योंकि वह वास्तविक खपत पर निर्भर रहता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अभी तीन दिन पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह वचन दिया गया था कि सरकार उस सूत्र की समीक्षा करेगी। यह समीक्षा क्या है ?

श्री अ० म० थामस : स्थिति की समीक्षा करते हुए हमने नियंत्रण अवधि के पिछले ६ महीनों में और १९६१-६२ और १९६२-६३ की खपत को हिसाब में लिया है। उस खपत के आधार पर भी हम यह देखते हैं कि जो कोटा दिया गया है वह काफी उचित है और वह उन राज्यों की सामान्य समय में जबकि नियंत्रण नहीं था, निकासी के लगभग बराबर है। राजस्थान में जब वहां नियंत्रण था तब निकासी लगभग ६००० टन थी। अबाध व्यापार के समय भी वहां की निकासी लगभग ६००० टन थी। हम ने उसे ७००० टन दिया है। उस कोटे में राजस्थान को अपना इन्तजाम बैठा लेना चाहिये।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या कोटा कम किये जाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई शिकायत आई है और यदि हां तो क्या उसे पुराना कोटा देने के विषय पर मंत्रालय विचार कर रहा है ?

श्री अ० म० थामस : दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश से भी हमें शिकायतें मिली हैं। लेकिन किसी राज्य का कोटा बढ़ाना संभव नहीं है। वास्तव में हमें न चाहते हुए भी कोटा कम करना पड़ा हमने ५ प्रतिशत कोटा कम कर दिया है।

Shrimati Jamuna Devi : Will the minister consider over increasing the quota of sugar in Madhya Pradesh in view of already existing abnormal situation due to insufficient quota and influx of refugees there ?

श्री अ० म० थामस : मध्य प्रदेश का कोटा १२,००० टन है। ५ प्रतिशत कटौती के बाद उस का मौजूदा कोटा ११,४०० टन है। नियंत्रण अवधि के पिछले छः महीनों में औसतन, मध्य प्रदेश

ने ११,५६० टन लिया । अबाध व्यापार की हालत में उसने ११,६४२ टन लिया था । इसलिए १२,००० टन मध्यप्रदेश की जरूरत के लिए काफी होना चाहिये ।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has stated that five per cent quota has been reduced. May I know, therefore, whether in view of our present stock ,present comsumption and our export commitments we shall be able to fillup the shortage of this five per cent ?

श्री शिन्दे : जी हां, अनुमान है कि ५ प्रतिशत कटौती के बाद लगभग १ लाख टन की बचत होगी और नेपाल, भूटान आदि पड़ौसी छोटे देशों और सशस्त्र सेनाओं संबंधी सभी वायदे पूरे किये जायेंगे । खाद्य तथा कृषि मंत्री ने यह बात कल अपने भाषण में विस्तार से बताई है ।

श्री फ० गो० सेन : क्या राज्यों को दिये गये कोटे का अधिकांश शहरी जनता में ही खप जाता है और गांव वालों के लिए बहुत कम बचता है ?

श्री अ० म० थामस : यह सभी जानते हैं कि शहरी दूकानों की जरूरत देहाती दूकानों की जरूरत से ज्यादा होती है । फिर भी सप्लाई को विनियमित करना विभिन्न राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है ।

Shri Rameshwaranand : In Punjab, the quota for rural areas is already lesser than the quota for urban areas. May I therefore, know whether it is proposed to reduce that quota further ?

Mr. Speaker : They give quota to the States and its distribution between the rural and urban areas is done by States.

Shri Rameshwaranand : Sugar is allotted from here. States can give only where they are given full quota.

Mr. Speaker : Raise this question there.

Shri Gulshan : Is it a fact that sugar quota for rural areas in Punjab has already been reduced twice. Do Government propose to abolish it altogether by reducing it for the Third time ? Is there any proposal to raise the quota ?

Mr. Speaker : It may be asked in Punjab.

Shri Kachhavaiya : Will the Minister state in which of the States smuggled sugar has been seized and what action has been taken thereon ?

My. Speaker : This question does not arise out of it.

श्री वासुदेवन नायर : इस नियंत्रित बाजार और कोटा प्रणाली के बावजूद यह किस तरह है कि खुले बाजार में बहुत ऊंचे दाम पर चीनी की सप्लाई काफी है ?

श्री अ० म० थामस : अधिकतर चीनी पहचान पत्रों के आधार पर नियंत्रित प्रणालियों के जरिये दी जाती है । नियंत्रण प्रणाली का यह एक दोष है कि जिन लोगों को जरूरत नहीं भी होती वे भी पहचान पत्रों के आधार पर अपने कोटे की चीनी ले लेते हैं और दूसरों को बेच देते हैं या दूसरे उस कार्ड पर चीनी ले लेते हैं । इस तरह वह चीनी चोरबाजार में चली जाती है । हम उस पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि ८० से ८५ प्रतिशत चीनी सीधे उपभोक्ताओं के पास पहुंचती है ।

Shri Sheo Narain : I would like to know whether in U.P., the system of allotment of quota on the basis of wages has been opposed and whether Govt. has received any complaint that it should be given on the basis of family units instead of on income.

श्री अ० म० थामस : उत्तर प्रदेश का कोटा २०,००० टन है। पिछले महीने कटौती के बाद, वह १९,००० टन हो गया। उत्तर प्रदेश में खांडसारी और गुड़ भी है। वास्तव में वह गुड़ और खांडसारी तैयार करने वाला एकमात्र राज्य है। खांडसारी और गुड़ के निर्यात पर रोक लगी हुई है। इसलिए उत्तर प्रदेश की आवश्यकता मुख्यतः गुड़ और खांडसारी और चीनी के इस कोटे से पूरी हो जाती है।

श्री रंगा : इस कटौती को देखते हुए क्या कोई ऐसा प्रयास किया गया है कि अतिरिक्त उत्पादन करने वाले केन्द्रों से गुजरात और राजस्थान जैसे कमी वाले उपभोक्ता केन्द्रों को अधिक गुड़ तथा खांडसारी भेजने की अनुमति दी जाय ?

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : प्रतिबन्ध ही क्यों न हटा दिया जाय ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक गुजरात तथा अन्य राज्यों का सम्बन्ध है वे कमी वाले राज्य हैं। अब स्थिति कुछ सन्तोषजनक है। तथ्य यह है कि हम उत्पादक राज्यों में वर्तमान मूल्य स्तर के आधार पर उदारता से अभ्यंश दे रहे हैं। हमें वहां के उपभोक्ताओं का भी ध्यान रखना है। उत्पादक राज्यों में मूल्यों का जो स्तर है उसे देखते हुए हम अभ्यंश दे रहे हैं।

गोहाटी के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की एक उड़ान का रद्द किया जाना

\+

*८२१. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री भवन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ४ मार्च, १९६४ को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की गोहाटी के लिए एक अनुसूचित उड़ान को रद्द करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तानी क्षेत्र पर से उड़ान की आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की जा सकी ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार ने अनुमति देने से इन्कार करने के क्या कारण बताए हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). मैं अपेक्षित जान- कारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

विवरण

कलकत्ता से गोहाटी तक की इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अनुसूचित उड़ान, जो साधारणतया स्काईमास्टर विमान द्वारा होती है, ४ मार्च, १९६४ को ०५४५ बजे (भारतीय समय) गोहाटी के लिये शुरू हुई परन्तु इन्जन में खराबी हो जाने के कारण विमान ०९१० बजे (भारतीय समय) कलकत्ता लौट आया। इस उड़ान के लिये और कोई स्काईमास्टर विमान वहां नहीं था। इसलिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने उस दिन वाइकाऊट विमान द्वारा इस उड़ान के संचालन के लिये ढाका के पाकिस्तानी प्राधिकारियों को कहा।

नवम्बर १९६२ में पाकिस्तान असैनिक उड्डयन प्राधिकार ने असैनिक उड्डयन के महा-निदेशक से कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर से अनुसूचित तथा अननुसूचित उड़ानों के बारे में समय से काफी पहले प्रादेशिक नियंत्रक, ढाका को सूचना दी जाय। इसलिये पाकिस्तानी प्राधि-कारियों को उपकरण के परिवर्तन की सूचना देना आवश्यक था।

पाकिस्तानी प्राधिकारियों से कोई उत्तर नहीं मिला और इसलिए उड़ान को रद्द कर देना पड़ा था।

Shri Yashpal Singh : Has the Govt. of India warned the Govt. of Pakistan that if they put obstructions like this, we would also be compelled to take reciprocal steps ?

Shri Raj Bahadur : The Pakistan authorities had expressed their desire last November that we should give them advance information whenever there is any change in our flights or services. Advance information was furnished in this case because all of a sudden change had to be made but no reply was received. Now this question is being taken up with the Pakistan authorities in a general way.

Shri Yashpal Singh : How long will the Govt. of India wait for it ? How long will this issue remain in the cold storage ?

Shri Raj Bahadur : This question arose about a specific incident. We propose to take up the broader issue with the Pakistan authorities.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether we would refuse permission to Pakistani flights over our territory as they have done ?

Shri Raj Bahadur : There is no question of stopping in it. The question is of giving advance information. Advance information is required by both the parties. The question under such circumstances is not of permission but of advance information.

Shri Kachhavaiya : May I know the reasons advanced by Pakistan for not allowing our aircraft to fly ?

Shri Raj Bahadur : I have already stated ?

Mr. Speaker : The hon. Minister gives the reply and still Swamji makes fun of it.

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, I have said nothing about this question. Why are you taking my name ?

Mr. Speaker : You may sit down. Now it would not be necessary either to say anything.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री कहते हैं कि प्रश्न अनुमति का नहीं बल्कि केवल अग्रिम सूचना का है। यदि प्रश्न केवल अग्रिम सूचना का ही है तो बिमान उड़ क्यों नहीं सका और उत्तर की प्रतीक्षा में उड़ान को क्यों रोके रखा गया ?

श्री राज बहादुर : उनसे कुछ सूचना, कुछ उत्तर आना चाहिये। यदि वह ठीक समय में नहीं आता तो उड़ान रद्द कर दी जाती है। क्या मैं एक बात और कह सकता हूं ? अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा करार के अन्तर्गत, जिस पर पाकिस्तान तथा भारत दोनों ने हस्ताक्षर किये हैं, ये पहली दो स्वतंत्रतायें हैं जो मिली हुई हैं अर्थात् किसी विशेष देश पर से उड़ना या यातायात अधिकारों के बिना विमान उतारना। तथापि, सम्बन्धित देशों को उड़ानों के बारे में पूर्वसूचना देनी होती है। इस मामले में उड़ान रद्द करनी पड़ी क्योंकि उन की ओर से कोई उत्तर नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, यह प्रश्न मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : पहले ही हम बहुत धीरे चल रहे हैं।

पंजाब में गेहूं का भाव

***८२२. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की व्यापार-नीति के कारण ही इस समय पंजाब की गेहूं का भाव बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है या की जाने वाली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) पंजाब में गेहूं के भाव में वृद्धि मौसमी कारणों से हुई थी, १९६१-६२ की तुलना में १९६२-६३ में गेहूं के उत्पादन में कमी, गेहूं की आगामी फसल के बारे में आशंकायें तथा उस राज्य में बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का अन्य राज्यों को भेजा जाना।

(ख) २३ मार्च, १९६४ से पंजाब राज्य तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों का एक गेहूं खंड बनाया गया था। इसके अतिरिक्त, बहुत बड़ी मात्रा में आयातित गेहूं उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा वितरित किया जा रहा है और आटा पीसने वाली मशीनों से कहा गया है कि वे जितना गेहूं पीस सकती हैं पीसें। पंजाब सरकार ने यह प्रणाली भी अपनाई है कि आयातित गेहूं को पीसा जाय तथा आटे को उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा निर्धारित मूल्यों पर बेचा जाय।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या गेहूं के भाव बढ़े थे, वे कितने बढ़े और क्या हमारे देश के इतिहास में इतनी वृद्धि पहले कभी नहीं हुई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : कल वाद-विवाद के दौरान तथा उससे पहले भी यह माना गया था कि पिछले आठ वर्षों में गेहूं के मूल्य इतने

ऊंचे कभी नहीं गए जितने कि अब गए हैं । पंजाब में मोटी किस्म के गेहूं का भाव ६२.७० रुपये तक बढ़ गया था । परन्तु अब कम हो रहा है और गेहूं खण्डों के बन जाने से यह और भी कम हो जायेगा । भावों का कम होना स्पष्टतः दिखाई देता है ।

श्री बी० चं० शर्मा : मैं इन खंडों का स्वागत करता हूं । परन्तु क्या सरकार यह बात नहीं जानती कि जब भी ऐसे खंड बनाए जाते हैं तो तस्कर व्यापार भी बढ़ जाता है ; यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई कदम उठाये हैं कि एक खंड से दूसरे खंड में तस्कर व्यापार न हो ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली को मिला कर एक चावल जोन बनाया जा चुका है । गेहूं जोन भी इसी तरह का है । तथ्य यह है कि तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सीमाओं पर पंजाब सरकार ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है ।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि गेहूं के आयात का गेहूं के स्थानीय भावों पर प्रभाव पड़ा था जिसका परिणाम यह हो सकता है कि कुछ समय के बाद किसान को लाभदायक भाव न मिले और यदि हां, तो सरकार गेहूं का एक आधार भाव तय करने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री अ० म० थामस : मेरे विचार में यह कहना अवास्तविक है कि किसानों को इस समय लाभदायक मूल्य मिल रहे हैं । मैंने पहले ही बता दिया है कि जहां तक देशी गेहूं का सम्बन्ध है मूल्य पिछले आठ वर्षों में कभी भी इतने अधिक नहीं बढ़े ; आयातित गेहूं के बावजूद भी भाव कम नहीं हुए हैं । परन्तु यदि जोन बन जाने से भाव नीचे गिर गए तो हम खरीदने वाला आवश्यक निकाय बनायंगे ताकि उत्पादकों को हानि न हो ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : I am sure that the Government is fully aware of the fact that the farmer meets his demands by selling wheat. The traders are bringing the prices down becuase they know that the farmers are helpless. Would the Govt. hold the prices in order to safeguard the interests of the farmers ?

श्री शिन्दे : यह तो पहले ही बता दिया गया है कि यदि भाव एक विशेष स्तर से नीचे गिरेंगे तो सरकार हस्तक्षेप करेगी । सरकार आधार मूल्यों का पुनर्विलोकन कर चुकी है और उच्चतम मूल्यों के निर्धारण की समस्याओं की भी सरकार द्वारा जांच हो रही है ।

श्री मानसिंह पु० पटेल : क्या मैं जान सकता हूं कि जोन बनाने की घोषणा से पहले पंजाब में किसी विशेष किस्म के गेहूं का भाव चढ़ा था या सभी किस्मों का चढ़ गया था और यदि उत्तर यह हो कि सभी किस्मों के भाव चढ़ गए थे तो नए जोन बनने के बाद प्रत्येक राज्य अपनी अपनी कठिनाइयों को कैसे दूर करेगा ?

श्री अ० म० थामस : पंजाब में सभी किस्मों के भावों में वृद्धि हुई थी । मैंने पहले ही बता दिया है कि मोटी किस्म का भाव ६२.७० रु० तक चढ़ गया था ।

बाउदपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी की भिड़न्त

+

*८२३. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **रेलवे** मंत्री ८-९ मार्च, १९६४ की रात को बउदपुर स्टेशन पर मद्रास-हावड़ा एक्स-प्रेस और एक खड़ी मालगाड़ी के बीच भिड़न्त के बारे में लोक-सभा में ९ मार्च, १९६४ को उप-मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस दुर्घटना के कारणों की इस बीच कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच की क्या उपपत्तियां हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त, निर्माण सर्कल, कलकत्ता, ने जांच की है। उनकी अस्थायी उपपत्तियों के अनुसार यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की गलती से हुई है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : जीवन तथा सम्पत्ति का कुल कितना नुक्सान हुआ था ? दुर्घटना में जो व्यक्ति मर गये थे उनके रिश्तेदारों को आवश्यक प्रतिकर देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : प्रश्न के तीन भाग हैं। कुल नुक्सान ५.०७ लाख रुपये का हुआ है, ५ लाख रुपये इंजन के कारण और ७००० रुपये लाइन को क्षति पहुंचने के कारण ।

जहां तक जीवन की क्षति का सम्बन्ध है, २२ व्यक्ति मरे, २० तो मौके पर ही तथा २ हस्पताल जाते हुए। ११० व्यक्ति घायल हुए। १८ मृत तथा ३४ घायल व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को १४,३५० रुपये का भुगतान प्रसादतः किया गया है ।

श्री रामचन्द्र उलाका : रेल दुर्घटनायें क्योंकि प्रायः होती रहती हैं, विशेषतः दक्षिण-पूर्व रेलवे पर, क्या मैं जान सकता हूं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिये सरकार क्या ठोस कदम उठाना चाहती है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मैं इस बात को नहीं मानता कि दक्षिण-पूर्व रेलवे पर अथवा समस्त भारतीय रेलवे पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ गई है। हम उचित कदम उठा रहे हैं। कुंजरू समिति ने इस प्रश्न की जांच की है तथा सिफारिशें की हैं। हम उन्हें कार्यान्वित कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या कारण है कि अखबारों में तथा रेडियो पर इस दुर्घटना में ५७ से अधिक व्यक्तियों के मर जाने का समाचार दिया गया है जब कि सरकार कहती है कि केवल २२ मरे हैं ? क्या उन्होंने आंकड़ों का सत्यापन कर लिया है ? रेडियो कैसे कह सकता है कि २२ से अधिक मरे हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : दक्षिण-पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना में २० व्यक्ति तो मौके पर ही मर गए थे तथा दो हस्पताल जाते हुए मर गए अर्थात् कुल

२२ व्यक्ति मरे। इसके अलावा ११० व्यक्ति घायल हुए जिनमें से २० को अधिक चोटें आईं। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और हम जनरल मैनेजर द्वारा दिए गए विवरण पर विश्वास न करें इसका कोई कारण नहीं है ।

श्री वें० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय का ध्यान कुंजरू समिति के प्रतिवेदन की ओर गया है कि इन दुर्घटनाओं का कारण यह है कि विभिन्न रेलवे जोनों का सुव्यवस्थित प्रशासन नहीं होता ; यदि हां, तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिक जोन बनाने के बारे सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह प्रत्यक्षतः इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : वह अपना एक जोन चाहते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा : कुंजरू समिति की एक सिफारिश यह है कि श्रमिक संघो का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाए और कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति अधिक सजग बनाया जाए ; क्या मैं जान सकता हूं कि रेलवे मंत्रालय ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : संगठित श्रमिकों का सक्रिय सहयोग पाने के लिए हम प्रत्येक कदम उठा रहे हैं और हमें खुशी है कि वे काफी सहयोग दे रहे हैं। इधर-उधर कुछ एक त्रुटियां हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं ।

Shri Mohan Nayak : Is it a fact that the names of the persons killed in this accident have not been published ?

श्री सें० वें० रामस्वमी : जिन व्यक्तियों की पहचान हो गई थी उन सब के नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित किये गये हैं ।

अनाज के वितरण पर नियंत्रण

*८२४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनाज के वितरण के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियंत्रण लागू करने की योजना पर विचार किया है ;

(ख) क्या अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-लेजाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) प्रश्न का सतत पुनर्विलोकन होता रहता है ।

(ख) और (ग). जोनों के आधार पर चावल तथा धान लाने-लेजाने पर कुछ समय से प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। २३ मार्च, १९६४ को एक आदेश प्रख्यापित किया गया था जिसके अनुसार गेहूं जोन बनाये गये तथा एक जोन से दूसरे जोन में गेहूं तथा गेहूं की चीजें लाने-लेजाने पर प्रतिबन्ध लगाये गये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या सरकार इस बात को स्पष्ट रूप से जानती है कि राज्य व्यापार, विशेषेत: खाद्य उत्पादों में, न-लाभ-न-हानि के आधार पर चलाया जायेगा तथा प्रशासनिक प्रभार कम से कम रखे जायेंगे ; यदि हां, तो वे कितने प्रशासनिक प्रभारों को उचित समझते हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : उस दिन मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था और जो कुछ उन्होंने कहा था उससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था । इसीलिये मैंने यह पूछा है ।

श्री अ० म० थामस : सामान्य विचार यह है कि यद्यपि यह न-लाभ-न-हानि के आधार पर न हो परन्तु खाद्यान्नों के राज्य व्यापार में राज्य सरकारें कोई लाभ न कमायें । सामान्य दृष्टिकोण तो यही है परन्तु प्रबन्ध प्रभारों के लिये न हो कर यदि प्रशासनिक व्यवस्था तथा अन्य चीजों के लिये थोड़ा सा लाभ लिया जाता है तो इस पर हम राज्य सरकारों से झगड़ नहीं सकते ।

श्री अ० प्र० जैन : प्रशासनिक प्रभार लाभ नहीं होते ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रशासनिक प्रभार लाभ नहीं होते । मैं जानना चाहता हूं कि वे कितने प्रशासनिक प्रभारों को उचित समझते हैं । दस मन लेने पर कितना प्रधार होगा ?

श्री त्यागी : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि यह न-लाभ-न-हानि के आधार पर होगा ।

श्री रंगा : आप तो सरकार नहीं हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्हें कहने दीजिये ।

श्री अ० म० थामस : सामान्य विचार के बारे में तो मैं बता ही चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उन प्रभारों का कोई अन्दाजा है जो लगाये जायेंगे ?

श्री अ० म० थामस : वह राज्य सरकार की मांग पर निर्भर करेगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय के महत्वपूर्ण नियंत्रण में क्या विशेष त्रुटियां हैं तथा अन्य कौन से महत्वपूर्ण नियंत्रण सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री अ० म० थामस : जैसी कि स्थिति आज है, व्यापारिक सूत्रों द्वारा खाद्यान्नों के वितरण के विभिन्न प्रक्रमों पर कोई विशिष्ट नियंत्रण नहीं है परन्तु हमने एक खाद्यान्न लाइसेंसिंग आदेश प्रख्यापित किया है जिसके अधीन लाइसेंसधारियों के लिये सीमा निश्चित तथा नियंत्रित की जा सकती है और लाने-लेजाने पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है ; उन्हें विवरणी भी भेजनी पड़ती है जिनका परीक्षण करने पर हमें निदेश दे सकते हैं कि विशेष स्थानों पर ही बेचें, इत्यादि । उच्चतम नियंत्रण मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार ने उस मूल्य का हिसाब लगा लिया है जो वह राज्य खाते में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाए जाने वाले खाद्यान्नों पर किसान को देगी ? क्या सरकार सीधे किसानों से लेगी या व्यापारियों से तथा किस भाव पर ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, लेन-देन न्यूनाधिक एक-राज्य-से-दूसरे-राज्य-को के आधार पर होगा और हम ध्यान रखेंगे कि जब मूल्यों के बारे में बातचीत हो तो किसान को उचित मूल्य मिले ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि वे बाजार में उत्पादकों से किस भाव पर खरीदेंगे ?

श्री अ० म० थामस : जहां तक न्यूनतम भावों का सम्बन्ध है, उन्हें तय कर दिया गया है । वे १४ से १६ रुपये तक है । परन्तु राज्यों के आपसी खाते में यदि प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार कुछ ज्यादा देना पड़ेगा तो हम उस पर विचार करने को तैयार होंगे ।

Shri Kashi Ram Gupta : Is the hon. Minister aware of the fact that people consider the wheat imported under P.L. 480 as coarse and even though cheaper by Rs. 5 per maund they do not give it preference over the indigenous wheat ? If so, what steps Govt. propose to take to obviate the difficulties which may come in the distribution of this wheat in big cities ?

श्री अ० म० थामस : आयातित गेहूं के प्रति लोगों का विरोध कम हो रहा है । सच तो यह है कि हमने जनवरी में ४.५२ लाख टन का वितरण किया, फरवरी में यह ५.५ लाख टन हो गया और मेरे विचार में मार्च में यह ६.५ लाख टन होगा । वितरण के अपने इतिहास में हमने आयातित गेहूं का इतना वितरण कभी नहीं किया । अतः इससे लगता है कि उपभोक्ताओं का विरोध कम हो रहा है ।

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री ए० पी० जैन ने जोनल नियंत्रण आरम्भ किया, अगले खाद्य मंत्री श्री एस० के० पाटिल ने इसे बेकार समझ कर हटा दिया और अब नये मंत्री महोदय ने फिर से इसे लगा दिया है ?

श्री अ० म० थामस : यह तो समय-समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है । जब ये जोन समाप्त किये गये थे तब उत्पादन सन्तोषजनक था और मूल्य एक अलाभप्रद स्तर तक गिर गये थे । राज्य सरकारों को स्वयं गेहूं खरीदना पड़ा था । अतः जोन समाप्त करने का वह उपयुक्त समय था । लेकिन अब हम देखते हैं कि भाव बढ़ गये हैं तथा हमें आवश्यक नियंत्रण करना चाहिये । इसलिए जोन बना दिए गए हैं ।

बैल टेलीफोन कम्पनी

\+

*८२५. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या **डाक और तार** मंत्री ३ मार्च, १९६४ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो टेण्डर प्राप्त हुए थे उनमें क्या 'प्रत्येक वस्तु सहित कुल लागत' पर विचार करते हुए, बैल टेलीफोन कम्पनी का टेण्डर सबसे कम नहीं था;

(ख) यदि हां, तो सब से कम टेण्डर किस का था ; और

(ग) किन कारणों से उसे मंजूर नहीं किया गया ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी नहीं, बैल टेलीफोन कम्पनी का टेण्डर दूसरे नम्बर का सब से कम टेण्डर था।

(ख) निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी का टेण्टर सबसे कम था।

(ग) बैल टेलीफोन कम्पनी का टेण्डर इसलिए स्वीकर किया गया था क्योंकि उन्होंने "बाध्य अनुक्रम प्रकार की बहु-आवृत्तिसंकेतन प्रणाली"[1] का प्रस्ताव किया था जिससे अन्य संकेतन प्रणालियों की अपेक्षा अधिक व्यापक संकेतन सुविधायें प्राप्त होती हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि एक बार फरवरी, १९६३ में और फिर जुलाई, १९६३ में सभी देशों से टेण्डर मंगवाये गये थे और इनमें से किसी भी सूचना में बाध्य अनुक्रम प्रकार की बहु-आवृत्ति संकेतन प्रणाली का उल्लेख नहीं था और इसलिये जापान की एन० ई० सी० कम्पनी ने, जिसका टेण्डर सब से कम था, पहले इस संकेतन प्रणाली के लिये अपना मूल्य नहीं बताया था परन्तु बाद में उसने बिना किसी अतिरिक्त लागत के इसे देने का प्रस्ताव किया था परन्तु इतना होने के बावजूद जापानी प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और विस्तृत परीक्षण तथा समायोजन के बाद बी० टी० एम० वालों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था ?

श्री अ० कु० सेन : यह ठीक नहीं है कि टेण्डर में इसका उल्लेख नहीं था। तथ्य यह है कि इसे अनिवार्य नहीं बताया गया था . . . .

श्री हरि विष्णु कामत : वैकल्पिक।

श्री अ० कु० सेन : यह वैकल्पिक था। टेण्डर भेजने वाले को अधिकार है कि वह अनिवार्य तथा वैकल्पिक दोनों के लिए टेण्डर भेजे और यह भी सच नहीं है कि उन्होंने इस "बाध्य अनुक्रम प्रकार की बहु-आवृत्ति संकेतन प्रणाली" के निर्माण का प्रस्ताव किया था। उन्होंने स्थानापन्न प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव किया था जिसे सन्तोषजनक नहीं समझा गया था।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह मामला कभी डाक और तार बोर्ड के पास भेजा गया था या केवल एक विशेष समिति को सौंपा गया था ? इस पर डाक और तार बोर्ड द्वारा विचार क्यों नहीं किया गया था ? एन० ई० सी० तथा बी० टी० एम० के अनुभव के बारे में क्या माननीय मंत्री सभा-पटल पर इस चीज़ के आंकड़े रखेंगे कि इन दो कम्पनियों ने सारे संसार में कुल कितनी ट्रंक तथा स्थानीय लाइनें लगाई हैं ?

श्री अ० कु० सेन : जहां तक हमारे पास उपलब्ध जानकारी का सम्बन्ध है—मैंने इसे देखा है—जिस समय अनेक आवेदन पत्र हमारे पास आये थे, मैं ने देखा कि बी० टी० एम० ने, जो आई० टी० टी० की सहायक कम्पनी है, सारे संसार में उपकरण लगाया है जबकि जापानी कम्पनी ने अब तक जापान से बाहर कहीं भी उपकरण नहीं लगाया है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह गलत वक्तव्य है। मैं इसे बाद में उठाऊंगा।

श्री अ० कु० सेन : मैं ने कहा है कि जहां तक हमारे पास उपलब्ध जानकारी का सम्बन्ध है।

---

[1] Compelled Sequence type of the Multi-Frequency Signalling System.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गन्ने से चीनी की प्राप्ति

*८२६. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी की प्राप्ति (रिकवरी) से गन्ने का मूल्य संबद्ध करते समय यह विचार था कि प्रत्येक कारखाने में वास्तविक 'रिकवरी' की जांच के लिए एक संगठन बनाया जाय ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा संगठन स्थापित कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में 'रिकवरी' की जांच करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

डाकखानों के जरिए बीमे की किस्तों की वसूली

*८२७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **डाक और तार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकखानों के जरिये जीवन बीमे की किस्तों की वसूली की योजना की इस बीच जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). जी, हां । योजना को राजस्थान परिमंडल के कुछ डाकखानों में परीक्षण के रूप में चालू किया गया था और उसके परिणाम संतोषजनक रहे हैं । इस बीच में यह निर्णय किया गया है कि योजना को राजस्थान परिमंडल के अन्य डाकखानों और मद्रास, केरल, आंध्र और मैसूर सरकिल्स के डाकखानों में भी लागू किया जाये । यह सुविधा केवल उन डाकखानों में लागू की जायेगी जो उन स्थानों पर स्थित हैं जिन के लिये जीवन बीमा निगम ने सिफारिश की है ।

पुरुलिया-कोटसिलला रेलवे लाइन

*८२८. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री य० ना० सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे पर पुरुलिया–कोटसिलला छोटी लाइन (नैरो गेज) को समाप्त करने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसको किस तिथि से प्रभावी किया जाना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) पहले पुरुलिया–कोटसिसला छोटी लाइन को १-४-६४ से बन्द करने के जो आदेश जारी किये गये थे उनका इस बीच पुनरीक्षण किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि ३० सितम्बर, १९६४ तक गाड़ियों के चलने को बन्द न किया जाये ।

(ख) यह लाइन १.७ लाख रु० प्रति वर्ष की प्रत्यक्ष हानि पर काम कर रही है और पूंजी आदि पर ब्याज लगा कर यह हानि २.७० लाख रु० प्रति वर्ष होगी । इस लाइन पर सवारी और माल का बहुत कम यातायात होता है और इस यातायात सम्बन्धी आवश्यकता मोटर गाड़ियों द्वारा पूरी की जा सकती है । ३०-९-१९६४ के पश्चात् इस लाइन पर रेल गाड़ियो का चलाया जाना बन्द करने का विचार है ।

फिश प्लेटों का हटाया जाना

*८२९. **श्री रा० बरुआ :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १३ और १४ मार्च, १९६४ को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मनिहारी घाट–कटिहार सेक्शन पर रेलवे लाइन से फिश प्लेटें हटा दी गई थीं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, नहीं । तथापि १०-३-६४ और ११-३-१९६४ को मनिहारी घाट और तेजनारायणपुर के बीच दो लाइनों के बीच कुत्ताकीलें (डॉग स्पाइक्स) ठोंसी हुई पाई गईं ।

(ख) और (ग). दोनों मामले सरकारी रेलवे पुलिस ने दर्ज कर लिये हैं और जांच चल रही है ।

झुंड-कांडला रेलवे परियोजना

*८३०. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गुजरात राज्य के झुंड-कांडला बड़ी लाइन परियोजना सम्बन्धी विवाद के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस परियोजना का मालिया तक विस्तार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय करने में सरकार कितना समय लेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सारे नये बड़ी लाइन मार्ग के सर्वेक्षण के अतिरिक्त एक वैकल्पिक योजना की पड़ताल, जिसमें मोजूदा बीकानेर–सुरेन्द्रनगर–विरमगांव मीटर गेज सेक्शन का परिवर्तन शामिल है, आवश्यक है ताकि इस भारी यातायात वाले बड़ी लाइन वाली मार्ग की रेल परिवहन क्षमता पर भार कम करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। वैकल्पिक योजना का सर्वेक्षण शीघ्र ही पूरा होने वाला है और विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेलवे बोर्ड द्वारा इसकी जांच की जाने के बाद किया जायेगा।

क्योंकि कांडला और मालिया के बीच कच्छ कीरान के पास मार्ग रेखा निर्धारण (एलाइनमेंट) दोनों वैकल्पिक परियोजनाओं के लिये समान हैं, इसलिये इस अत्यधिक कठिन भाग का निर्माण आरम्भ करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ताकि, जो भी योजना अन्तिम रूप से स्वीकार की जाये उसके पूरा करने में देर न हो।

चीनी आदेश, १९६४

*८३१. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत प्रतिरक्षा नियमों के अधीन दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में एक क्विंटल से अधिक चीनी रखने पर रोक लगा दी है;

(ख) किन परिस्थितियों के कारण यह रोक लगानी पड़ी; और

(ग) चीनी का अधिक अच्छा वितरण कराने तथा जमाखोरी और चोरबाजारी रोकने के लिए क्या अन्य प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां, परमिट के अधीन रखी जाने वाली चीनी को छोड़ कर।

(ख) समाचार थे कि चीनी चोर-बाजारी के लिये घरों में उस मात्रा में इकट्ठी की जा रही थी जिस मात्रा से अधिक के लिये लाइसेंस अपेक्षित था।

(ग) चीनी के खुदरा व्यापारियों और बड़ी मात्रा के उपभोक्ताओं के लिये कोटा कार्ड जारी किये गये हैं। कोटा कार्ड वालों की गति विधियों पर निगरानी रखने के लिये, दिल्ली प्रदेश को अनेक खंडों में बांटा गया है और प्रत्येक खंड का प्रभार एक क्षेत्र निरीक्षक को दिया गया है। थोक और खुदरा दोनों व्यापारियों के लिये मुनाफे की मात्रा निर्धारित की हुई है। लाइसेंसशुदा चीनी के व्यापारियों को चीनी के मूल्य प्रदर्शित करने पड़ते हैं। परमिट को छोड़ कर चीनी वाले उत्पादों के निर्यात पर भी रोक है।

Delhi State Central Co-operative Store

***832. Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi State Central Co-operative Store is merely a primary store and not an apex store ;

(b) whether it has been licensed as a wholesale dealer in commodities like, coal, iron and steel, sugar and gur ; and

(c) the policy laid down by Government in entrusting wholesale dealing to a primary store ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) (1) In areas where, federal pattern of organisation is adopted, the central store takes up wholesale dealers activities for its affiliated primary stores.

(2) In areas where unitary pattern is adopted, the primary consumers co-operative store, with branches takes up wholesale dealers activities.

(3) In areas, where a mixed pattern of orgnisation is adopted, decision will depend on the character of the society.

रेलवे लेवल क्रासिंग निधि

*८३३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का मंत्रालय इस प्रस्ताव पर परिवहन मंत्रालय तथा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है कि रेलवे दुर्घटना सम्बन्धी कुंजरू समिति के प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव के अनुसार कनेडियन रेलवे ग्रेड क्रासिंग फंड के समान ही रेलवे लेवल क्रासिंग निधि बनाई जायें ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव पर उन की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

रिपोर्ट के भाग २ में रेल दुर्घटना समिति की सिफारिशों के बारे में "रेल दुर्घटना समिति १९६२" की रिपोर्ट के भाग २ में सम्मिलित अभिमतों और सिफारिशों के संक्षिप्त वर्णन और तत्संबंधी रेलवे बोर्ड के टिप्पण में 'रेलवे बोर्ड के टिप्पण' के रूप में, जो १० फरवरी, १९६४ को सभा पटल पर रखा गया था, निम्न विचार अभिव्यक्त किये गये हैं :—

> "निधि की स्थापना के लिये प्रस्ताव पर, जैसाकि समिति ने सिफारिश की है, परिवहन मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जांच की जा रही है । सभी दलों की सहमति प्राप्त करने के बाद नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सहमति प्राप्त की जायेगी और संसद् का अनुमोदन भी प्राप्त किया जायेगा । तथापि, इस समय भी परिवहन मंत्रालय राज्य सरकारों को ऊपरी और निचले पुलों के निर्माण की लागत के अपने भाग को पूरा करने के लिये ऋण देता है । "

परिवहन मंत्रालय और राज्य सरकारों को मामले में लिखा गया है, और कुछ समय में उन की प्रतिक्रिया का पता लग जायेगा ।

ऊपरी और निचले (भूमिगत) पुलों की लागत के लिये सड़क प्राधिकार द्वारा किये व्यय की दिशा में विभिन्न राज्यों से मांगी गई वित्तीय सहायता की पूर्ति केन्द्र (अर्थात् वित्त मंत्रालय) की ओर से प्रत्येक योजना में सम्मिलित राज्य की सड़कों के विकास के अन्तर्गत सहायता का अंश समझी गई है ।

ऊंट के कारण माल गाड़ी का पटरी से उतर जाना

*८३४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १४ मार्च, १९६४ को पश्चिम रेलवे के कोटा-नागदा सैक्शन पर दरा और मोरक स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी एक ऊंट के कारण पटरी से उतर गई थी और इसके परिणाम-स्वरूप गाड़ी का ड्राइवर मर गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई थी ; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति को लगभग १ लाख ८८ हजार रु० की हानि हुई ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी का मूल्य

*८३५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या खाद्य तथा कृषि संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चीनी ३ से ४ रुपये प्रति सेर बिक रही है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिये क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि चीनी का वितरण उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा किया जा रहा है और खुदरा मूल्य लगभग १.२५ रु० प्रति किलोग्राम है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विलियम शेक्सपियर की स्मृति में डाक टिकट

*८३६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या डाक और तार मंत्री १८ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविख्यात कवि तथा नाटककार विलियम शेक्सपियर के जन्म की चतुर्थ-शताब्दी के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कितने मूल्य का होगा तथा इस का डिजाइन कैसा होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी, हां ।

(ख) टिकट का मूल्य १५ नये पैसे होगा । डिजाइन तैयार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्यान्नों के एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजे जाने पर प्रतिबन्ध ।

*८३७. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से एक ही ज़ोन अर्थात् मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरात राज्य में खाद्यान्नों के ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति ले ली थी ; और

(ख) यदि नहीं, तो एक ही ज़ोन में खाद्यान्नों के लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से गुजरात को खाद्यान्न ले जाने पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने कोई रोक नहीं लगाई थी । तथापि, २३ मार्च, २१९६४ से महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रत्येक राज्य का अलग अलग गेहूं का ज़ोन बनाया गया है । उस तारीख से इन राज्यों में से किसी एक से दूसरे राज्य में गेहूं अथवा गेहूं के उत्पादों का बिना परमिट के लाना ले जाना निषिद्ध है ।

रेलवे वर्कशाप

१६७५. **श्री सोनावने** : क्या रेलवे मंत्री वर्ष १९६२-६३ के लिये प्रत्येक रेलवे वर्कशाप के बारे में एक विवरण देने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि (१) प्रत्यक्ष श्रमिकों पर कितना व्यय किया गया है ; (२) कितने मूल्यों के माल की खपत हुई है ; और (३) पर्यवेक्षण कर्मचारियों की मजूरी और वेतन की कुल राशि कितनी है—चाहे वे वर्कशापों में लगे हों या वर्कशाप कार्यालयों में ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २६११/६४**]

उड़ीसा में डाक तथा तार घर

१६७६. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उड़ीसा में (१) शाखा डाकघरों ; (२) उप-डाक घरों और (३) सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की क्या संख्या थी ; और

(ख) वर्ष १९६४–६५ में उड़ीसा में ऐसे कितने कार्यालय खोले जायेंगे ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क)

	(१) शाखा डाक घर . .	३९२७
	(२) उप-डाक घर . .	३५३
	(३) सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय . .	१९१
(ख)	(१) शाखा डाक घर . . .	२२०
	(२) उप-डाक घर	७
	(३) सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय .	२०*

*समय पर सामान मिल जाने पर ।

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

१६७७. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६३ को उड़ीसा में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों के पास टेलीफोन कनेक्शन देने के कितने आवेदन-पत्र लम्बित थे ; और

(ख) इस मामले में शीघ्रता करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) १४५१ ।

(ख) एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं ताकि लम्बित मांगों को उपलब्ध संसाधनों पर अधिकाधिक पूरा किया जा सके ।

उड़ीसा में डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये आवास

१६७८. श्रीरामचन्द्र उलाका : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में उन डाक तथा तार कर्मचारियों की क्या संख्या है जिन को ३१ दिसम्बर, १९६३ तक सरकारी मकान दिये गये हैं ;

(ख) वर्ष १९६२-६३ में इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि पृथक रखी गई और वास्तव में कितना धन खर्च हुआ ; और

(ग) वर्ष १९६३-६४ और १९६४-६५ में इस काम के लिये कितना धन आवंटित किया गया है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) ४२२

		रुपये
(ख)	(१) क्वार्टरों के निर्माण के लिये उपबंधित धनराशि .	६३९,०००
	(२) वास्तव में खर्च किया गया धन . . .	४०४,६८७
(ग)	(१) १९६३-६४	५५३,२२३
	(२) १९६४-६५	५७२,८५९

Use of Hindi on Railways

1679. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether an Implementation Committee has been set up in his Ministry to implement the Directives of President regarding use of Hindi ; and

(b) if so, when the Committee was set up, the work entrusted to it and its achievements so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) and (b). An Implementation Committee was set up in October 1963, for the implementation of various directives issued in regard to the progressive use of Hindi in the office of the Railway Board and on the Railways. The first half-yearly report of the Committee is under finalisation and is due for submission to the Railway Board next month.

खाद्यान्न की राशन-व्यवस्था

१६८०. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भयंकर खाद्य स्थिति को देखते हुए सरकार का सभी राज्यों में खाद्यान्न की राशन-व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के विचारों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थ.मस) : (क) देश में कहीं भी राशन-व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Railway Tracks

1681. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details of the progress made, upto 31st January, 1964, in the work of doubling the Indian railway tracks ;

(b) the work completed during First, Second and Third Plan periods as also the work which remains to be done ; and

(c) whether some targets have been fixed in connection with the doubling of railway tracks during the Fourth Plan, if so, the trgets fixed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) to (c). The information is furnished in the statement attached.

STATEMENT

(a) and (b). The progress of doublings made to end of January, 1964 during the First, Second and Third Five Year Plan periods is as under :

First Plan : 209 miles of doubling was programmed and these were all completed and opened to traffic during the Second Plan period.

Second Plan: 1632 miles were programmed of which 940 miles were completed and opened to traffic during the Second Plan period itself. Of the remaining 692 miles thrown forward to Third Plan, 667 miles have been completed to end of January, 1964 and the balance 25 miles are expected to be completed shortly.

Third Plan : 2170 miles have been programmed during the first four years of the Plan (1961-62 to 1964-65). Of this, 470 miles have been completed and opened to traffic to end of January, 1964

(c) No targets have so far been fixed in regard to doubling of lines during the Fourth Plan.

बिहार में भूकम्पीय प्रयोगशाला

१६८२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भैसालोटन में एक भूकम्पीय प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) और प्रयोगशाला स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी हां ।

(ख) भूकम्पीय वेधशाला की स्थापना पर इमारत और उपकरण पर लगभग १,५०,००० रुपये व्यय होंगे और कर्मचारियों आदि पर प्रति वर्ष लगभग १५,००० रुपये व्यय होंगे ।

(ग) गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी आयोग देहरादून और चतर के बीच हिमालय वाले क्षेत्र के उस भाग का भूकम्पीय अध्ययन करने के लिये, जहां मुख्य बांध-निर्माण-कार्य चल रहा है, एक भूकम्पीय केन्द्र स्थापित करना चाहता था । अत: भैसालोटन में, एक वेधशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है, क्योंकि यह गंडक नदी पर बनाये जाने वाले एक बांध के समीप स्थित है और यहां भूकम्पीय वेधशाला चलाने के लिये सारी सुविधायें प्राप्त हैं । इस वेधशाला से बांध के क्षेत्र में भूकम्पीय तौर पर निर्बल ज़ोनों का पता लगाने में सहायता मिलेगी और यह उप-हिमालय क्षेत्र में सामान्य भूकम्पन का अध्ययन करने में भी लाभप्रद होगी ।

रेलवे वैगन

१६८३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दे० जी० नायक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे बड़ी कठिन स्थिति में है क्योंकि वैगनों के लिये पर्याप्त संख्या में ग्राहक सामने नहीं आ रहे हैं और काफी वैगन क्षमता बकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में वैगन क्षमता किस हद तक बेकार पड़ी है; और

(ग) रेलवे के पास उपलब्ध वैगन क्षमता का अधिकाधिक उपयोग के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हाल में परिवहन क्षमता मांग से अधिक होने के कारण कुछ वैगनों का इस्तेमाल नहीं हो सका है ।

(ख) अगस्त, १९६३ से जनवरी १९६४ तक की अवधि में रेलवे में परिवहन के अभाव में खड़े वैगनों की दैनिक औसत संख्या निम्न प्रकार है :—

	बड़ी लाइन		मीटर गेज	
	स्थिर वैगनों की संख्या	कुल में इस स्थिरता की प्रतिशतता	स्थिर वैगनों की संख्या	कुल में स्थिरता की प्रतिशतता
अगस्त, १९६३ . .	१६४६	०.६	१८००	१.८
सितम्बर, १९६३ . .	९४६	०.४	१९२३	१.९
अक्तूबर, १९६३ . .	२००५	०.८	१७७९	१.८
नवम्बर, १९६३ . .	२७३२	१.०	१०४१	१.०
दिसम्बर, १९६३ . .	९७०	०.४	५०१	०.५
जनवरी, १९६४ . .	५९२	०.२	३८४	०.४

(ग) उपलब्ध वैगन क्षमता के अधिकाधिक उपयोग के लिये किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :

(१) वैगनों के रजिस्ट्रेशन के लिये अधिकतम सीमा की सीमा हटा दी गयी है ।

(२) अभ्यंश वाले निर्दिष्ट स्थानों को लदान निःशुल्क कर दिया गया है । यह सिलीगुड़ी के पूर्व में परिवहन और भारी माल पर लागू नहीं होता है जिनके लिये क्रेनों की आवश्यकता है ।

(३) प्रमुख मालगोदामों पर व्यापार की विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि बिना किसी कठिनाई के रविवार को लदान किया जा सके ।

(४) बौक्स वैगनों के लदान के लिये छूट के समय में व्यापार की सुविधा के लिये वृद्धि कर दी गयी है ।

(५) कोयले के मामले में, रेल द्वारा परिवहन के लिये यथासंभव अधिकाधिक कोयले की ढुलाई के लिये कोयला नियंत्रक के साथ निकट का सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है।

(६) वगनों का अधिक इस्तेमाल करने वालों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि अब वैगन मिलने की स्थिति बड़ी आसान है ।

(७) रेलवे में निर्माण-कार्य के लिये परिवहन कार्यक्रम को तेज करना ।

(८) शीघ्र परिवहन सेवा और समेकित रेल-एवं-सड़कपरिवहन सेवाएं जैसी विशेष सुविधाएं लागू की गयी हैं ।

पर्यटन का विकास

१६८४. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या परिवहन मंत्री ३ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के विकास के बारे में वरिष्ठ पदाधिकारियों की तदर्थ समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए देश में पर्यटन में सुधार करने के लिये कोई योजनाएं बनायी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). पर्यटन सम्बन्धी तदर्थ समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए पर्यटन के सुधार के लिये किये गये निर्णय २५ मार्च, १९६४ को सभा पटल पर रखे गये एक संकल्प में बताये गये हैं ।

Facilities for Bhubaneswar Session

1685. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether any special posts and telegraphs facilities were provided for the Bhubaneswar Session of Congress Party ;

(b) if so, in what form and the amount spent thereon ; and

(c) whether other political parties are also given similar facilities ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagvati) : (a) Yes.

(b) Three temporary post Offices (two no-delivery offices and one delivery office) and one camp telegraph office were opened. Special arrangements were also made for the disposal of heavy telegraph traffic from the press and the public. An expenditure of about Rs. 6,200/- was incurred on these arrangements.

(c) Yes, Sir. Such facilities are provided based on the need for them.

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६

१६८६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा से खड़गपुर तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ का निर्माण आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या सभी पुल बन कर तैयार हो गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो ये कब तक पूरे हो जायेंगे; और

(घ) क्या मिट्टी के काम में कोई प्रगति हुई है और मिट्टी का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):(क) से (घ). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

विवरण

हावड़ा (जयपुरबील) से खड़गपुर तक के सेक्शन का, जिसकी लम्बाई ७८ मील है, जयपुर-बील से बिहार बोर्डर तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विकास किया जा रहा है और कार्य चल रहा है । रूपनारायण और कांगसाबती नदियों पर दो बड़े पुल, इस सड़क पर पड़ने वाले कई छोटे छोटे पुल और पुलियाएं भी बनायी जानी हैं । कांगसाबती नदी पर पुल बन कर तैयार हो गये हैं और उनको यातायात के लिये खोल दिया गया है जबकि रूपनारायण पुल का निर्माण हो रहा है । सड़क के इस भाग में मिट्टी सम्बन्धी कार्य में काफी प्रगति हुयी है और इसका ९५ प्रतिशत काम जुलाई, १९६४ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है । बाकी ५ प्रतिशत मिट्टी-कार्य पुलों के उपागमन मार्गों के बारे में है और इसके जुलाई, १९६५ तक पूरा हो जाने की आशा है । रूपनारायण पुल समेत समूचे कार्य के मार्च, १९६६ तक पूरा हो जाने की आशा है ।

Derailment of a Goods Train

1687. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 4th December, 1963 two wagons of a goods train of North-Eastern Railway derailed between Lakho and Lakhmiania stations ;

(b) if so, the value of goods demaged ; and

(c) the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) No. However, on 3-12-63, derailment of a brakevan of a goods train occurred while it was leaving Lakho station of North Eastern Railway.

(b) There was no damage to goods. The approximate cost of damage to Railway property has been estimated at Rs. 5,000/- only.

(c) The matter is under examination.

Accidents on North Eastern Railway

1688. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway accidents that took place on the North-Eastern Railway between the period from November, 1963 to January, 1964 ; and

(b) the causes of those accidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) and (b). There were 43 train accidents. Of these, 24 cases were due to failure of railway staff, 11 due to failure of other than railway staff, 5 due to failure of mechanical equipment, 1 due to tampering with track and 2 accidental.

Robbery in Goods train

1689. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the second week of November, 1963 the Guard of Bulandshahr Box Special goods train was robbed at the point of a revolver between Makhanpur and Firozabad station (Tundla Line) ; and

(b) if so, the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) Yes. The incident occurred on 20-11-1963.

(b) The case was reported to the Government Railway Police, Tundla, who have submitted Final Report True. Important goods trains are being escorted by Railway Protection Force Armed Guards.

Train-Truck Collision

1690. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 26th December, 1963, 74 Down train coming from Allahabad side collided with Bhatni Passenger train near Madhu Adil as a result of which one truck loaded with sand was turned turtle and one person was killed ; and

(b) if so, the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) No. However, on 25-11-1963. No. 74 Down passenger train collided with a motor truck loaded with sand at an unmanned level crossing between Balapur and Manduadih stations of North Eatstern Railway. There was no casualty.

(b) The case was enquired into by a Committee of Railway Officers according to whom the accident was due to carelessness on the part of motor truck driver who attempted to cross the railway track in the face of approaching train.

सहकारी विपणन

१६९१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैकेज क्षेत्रों में, जहां अधिक उत्पादन के कार्यक्रम के संदर्भ में लेन-देन की संभावना कम है, सहकारी विपणन की प्रगति के प्रोत्साहन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पैकेज के एक महत्वपूर्ण अंश के रूप में मूल दस-सूत्री कार्यक्रम में मूल्य-प्रत्याभूति सम्बन्धी उपाय शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य-समर्थन की मौजूदा व्यवस्था क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) से (ग). एक विवरण सलग्न है :

विवरण

(क) सहकारी विपणन के तीव्र विकास के लिये और ऋण को विपणन से सम्बद्ध करने के लिये, राज्य सरकारों ने उन जिलों के लिए, जहां सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज कार्यक्रम) लागू हैं, एक निर्धारित कार्यक्रम बनाया है। इन जिलों में विस्तृत मंत्री सर्वेक्षण भी किया गया है। किये गये उपायों में ये उपाय शामिल हैं : (१) नयी विपणन समितियों की स्थापना ; (२) सहकारी विपणन समितियों की अंश पूंजी में राज्य सरकारों का सहयोग ; (३) विपणन समितियों को गोदाम बनाने और प्रबन्ध कर्मचारियों की विमुक्ति के लिये ऋण और राजसहायता के रूप में वित्तीय सहायता का उपबंध ; (४) विपणन समितियों को अपनी चालू पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बंधक ऋण और स्पष्ट ऋण के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों/भारत के राज्य बैंक द्वारा सहायता दी जाना; और (५) व्यापार बढ़ाने के लिये उच्च स्तर पर साफ करने के संयंत्र स्थापित करना और उत्पादक वस्तुओं का वितरण।

(ख) जी, हां।

(ग) किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिये, कि उन के उत्पादों के मूल्य को एक उचित स्तर से नीचे नहीं जाने दिया जायेगा, सरकार की नीति के अनुसरण में देश भर में जिसमें सघन कृषि जिला कार्यक्रम जिले शामिल हैं। वर्ष १९६२ में गेहूं और चावल के लिये लागू की गई मूल्य समर्थन योजना वर्ष १९६३ में भी जारी रही और वह ज्वार पर भी लागू की गई। चावल और गेहू की मूल्य-समर्थन योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के लिये भी बढ़ा दी गई है।

Rail Journey from Motihari Station to Patna

1692. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister for **Railways** be plesased to state :

(a) whether it is a fact that rail journey from Motihari station in Champaran District (Bihar) to Patna takes at least 8 hours while the distance is less than 100 miles ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to minimise the time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) and (b). The journey between Motihari and Mahendrughat (Patna) involves rail journey between Motihari and Palezaghat and steamer journey between Palezaghat and Mahendrughat.

There is no direct train between Motihari and Palezaghat. Nor is there any traffic justification for such a train. Passengers between these points travel by connecting trains with changes at Muzaffarpur and in some cases also at Sonepur. For the convenience of through passengers, through service coaches between Narkatiaganj/Motihari and Palezaghat are also available by 92Dn/81Up and 82Dn/91 Up trains.

From 1-4-64, the average actual journey time from Motihari to Mahendrughat (Patna) by trains and steamer is 5 hours 58 minutes including 1 hour 5 minutes for steamer journey from Palezaghat to Mahendrughat. In addition, there is an average waiting of 2 hours 19 minutes at Muzaffarpur, Sonepore and Palezaghat. This waiting is essential for maintining connections, transferrence of through coaches etc. In the circumstances, the journey time from Motihari to Mahendrughat (Patna) is not abnormal and it is also not possible to effect any appreciable reduction.

भूतपूर्व ईस्ट इंडियन रेलवे के वार्ड कीपर

१६९३. श्री विश्राम प्रसाद: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व ईस्ट इंडियन रेलवे के वार्ड कीपरों की पूर्वी जोन में छोड़ी गई मूल वरिष्ठता ठीक कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या जोनल योजना के फलस्वरूप उत्तर रेलवे में आने वाले लखनऊ, स्टोर डिपो के भूतपूर्व ईस्ट इंडियन रेलवे के वार्ड कीपरों के मामले में ऐसी ही कार्यवाही नहीं की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग). पूर्व रेलवे में हर डिपो में वार्ड कीपरों की वरिष्ठता पृथक् पृथक् रखी जाती है । इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और भूतपूर्व ईस्ट इंडियन रेलवे के पूर्व रेलवे भाग में या उत्तर रेलवे भाग में इस श्रेणी के कर्मचारियों की वरिष्ठता ठीक करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मरमागाओ पत्तन

१६९४. श्री श्यामलाल सर्राफ: क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय मरमागाओ पत्तन में रात्रि में जहाजों का आना जाना संभव नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मरमागाओ पत्तन को, अन्य बड़े पत्तनों के समान बनाने के लिये, यदि कोई कदम उठाये जायेंगे तो वे क्या हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). जी, हां । पुर्तगाली अधिकारियों ने रात्रि में नौवहन की सुविधायें नहीं दीं । मरमागाओ पत्तन के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावनाओं में, वे योजनाएं शामिल हैं, जिन के पूरा होने पर, इस में रात्रि में नौवहन किया जा सकेगा ।

Book-Post Concession

1695. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether Government have withdrawn the facility of 'Book-Post' heretofore given for despatch of printed or typed articles addressed to editors of newspapers ; and

(b) whether it is a fact that the Postmaster of Kamachha (Varanasi, U.P.) has warned the people against sending of such items under book-post ?

The Deputy Minister in the Department of Posts & Telegraphs (Shri Bhagvati) : (a) No Sir. Printed, typed or manuscript articles intended for publication in the Press are eligible for transmission under Book Post rates. "Letters to the Editor" which are in the nature of personal communications are not eligible for this concession.

(b) No, Sir.

कृषि मशीनें तथा औजार बोर्ड

**१६९६. { श्रीमती मैमूना सुल्तानः
श्री विश्वनाथ पाण्डेयः }**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, १९६४ में हुई कृषि मशीन तथा औजार बोर्ड की बैठक में खेती के औजारों में सुधार करने और उनको लोकप्रिय बनाने के उपायों पर विचार किया गया था ; और

(ख) उन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय म राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । कृषि औजारों में सुधार करने और उनको लोकप्रिय बनाने सम्बन्धी मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०– २६१२/६४]** ये सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में रेलवे लाइनें

१६९७. श्री राम हरख यादव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में चान्दा जिले के गाडचिखली तालुक में विभिन्न शरणार्थी बस्तियों को निकट भविष्य में मिलाने के लिये रेलवे लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या ब्योरा है ; और

(ग) इसका अनुमानित व्यय कितना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Nomenclature of Offices under the Ministry of Food and Agriculture

1698. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Yogendra Jha :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the number of new offices, institutions and organisations set up under his Ministry during the last one year ; and

(b) the number of those out of them which have been named in English and Indian languages respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Eight.

(b) Four Offices have been named both in English as well as in Indian languages. Giving suitable Indian names besides their present English names is under consideration in the case of two others. As far the remaining two, it has been considered expedient to give them only English names for the present.

Nomenclature of Offices under the Transport Ministry

1699. **Shri Kachhavaiya :**
Shri Yogendra Jha :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) the number of new offices, institutions and organisations set up under his Ministry during the last one year ; and

(b) the number of those out of them which have been named in English and Indian Languages respectively ?

The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) One hundred and twenty including 102 units and formations raised under the Border Roads Development Board.

(b) All have been named in English but Hindi equivalents are now being given in each case.

Loan to Farmer

1700. Shri D. S. Patil : Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to fix without exception the basis regarding the admissibility of loan to a farmer on his capacity to produce rather than on the ownership of his property and capital ; and

(b) if so, the date from which the decision would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) & (b). The Committee

on Cooperative Credit in 1960 recommended that a primary credit society should not deny loan to a person merely on the ground that he does not own land or cannot produce owners of land as sureties and that the primary test for judging the credit worthiness of an individual should be his repaying capacity and to that extent he can be advanced a loan by the society on the basis of his requirements for agricultural production. The Government of India was in agreement with these recommendations and had urged their acceptance by the state governments and cooperative institutions in October, 1960. The recommendations of the Committee are in the process of implementation in the states.

स्मारक टिकट

१७०१. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय रास बिहारी बसु, चन्द्रशेखर आजाद और भगत सिंह की स्मृति में स्मारक टिकट जारी करने का अन्तिम फैसला कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये टिकट कब जारी किये जाने की संभावना है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) और (ख). डाक-टिकट मंत्रणा समिति की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को विचार के लिये रखा गया है ।

बायो-गैस संयंत्र

१७०२. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायो-गैस संयंत्र से सम्बन्धित अनुसंधान कार्य को जारी रखने के लिये १९६३-६४ में कोई अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या ब्यौरे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). बायो-गैस-संयंत्र के सम्बन्ध में जो अनुसंधान कार्य निम्नलिखित केन्द्रों में कुछ समय पूर्व प्रारम्भ किया गया था वह १९६३-६४ में भी जारी रखा गया था :—

१. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली ।
२. कोरा ग्राम उद्योग केन्द्र, विले पार्ले, बम्बई ।
३. गोबर गैस अनुसंधान केन्द्र, अजीतमल, जिला इटावा (यू० पी०)
४. केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी अनुसंधान संस्था, नागपुर ।
५. राष्ट्रीय चीनी संस्था, कानपुर ।

१९६३-६४ में कोई नया केन्द्र स्थापित नहीं किया गया ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

१७०३. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९६४ की स्थिति के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का फैसला होना शेष था और वे मामले किस प्रकार के थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ऐसे मामलों की संख्या १५७ थी ।

(ख) ये मामले निम्न प्रकार के थे :—

(१) अवैध भेंट की मांग और स्वीकृति ।

(२) झूठी घोषणा पर और झूठे प्रमाणपत्र देकर रोजगार पाना, पदोन्नति पाना आदि ।

(३) पासों और पी० टी० ओ० रियायतों को छलपूर्वक लेना तथा उनका दुरुपयोग ।

(४) रेलवे के नकद रुपये, सामग्री आदि का गबन ।

(५) झूठी उपस्थिति नामावलियां तैयार करना, सरकारी अभिलेखों में गड़बड़ी करना, झूठे यात्रा भत्ते लेना, आदि ।

(६) झूठे प्रमाणपत्र देकर शिक्षा सहायता लेना ।

(७) सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन ।

(८) रेलवे के ठेकेदारों द्वारा निर्धारित नमूने से घटिया किस्म के कार्यों का किया जाना ।

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

१७०४. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जनवरी, १९६४ की स्थिति के अनुसार उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामलों का फैसला होना शेष था और वे मामले किस प्रकार के थे ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) मामलों की संख्या—२०५ ।

(ख) ये मामले निम्न प्रकार के थे :—

(१) आय के ज्ञात साधनों के अनुपात से अधिक धन का एकत्रित होना ।

(२) अवैध भेंट का स्वीकार करना ।

(३) धोखा देना ।

(४) सरकारी रुपये का ग़बन ।

(५) झूठे अभिलेख तैयार करना ।

(६) रेलवे सामग्री और श्रमिकों का दुरुपयोग ।

(७) पासों और पी० टी० ओ० का दुरुपयोग ।

(८) झूठे यात्रा भत्ते लेना ।

(९) व्यक्तित्वारोपण, पूर्ववृत्त को छिपा कर रोजगार पाना और/अथवा झूठे स्कूल प्रमाणपत्र देना ।

(१०) रेलवे प्रशासन को हानि करके ठेकेदारों को अधिक भुगतान करना ।

(११) निर्धारित नमूने से घटिया किस्म के निर्माण कार्यों और सामग्री को स्वीकार कर लेना ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारी

१७०५. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ के दौरान दक्षिण पूर्व रेलवे में तृतीय श्रेणी के कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या कितनी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) २३२३ ।

(ख) अनुसूचित जातियों के व्यक्ति . . . २१०

अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति . . . ८०

चेंगलपेट और चीन्ना-सैलम के बीच रेलवे लाइन

१७०६. **श्री धर्मलिंगम :**
श्री मुत्तु गौंडर :
श्री राजाराम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में चेंगलपेट से चीन्ना-सलेम तक बरास्ता तिरुवन्नामलाई और काल्ला कुरिचि रेलवे लाइन डालने के लिये कुछ समय पूर्व कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण दल ने क्या सिफारिशें की थीं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें०रामस्वामी) : (क) जी, नहीं । एक यातायात सर्वेक्षण के लिए अक्टूबर, १९५६ में मंजूरी दी गई थी परन्तु वह सर्वेक्षण नहीं किया गया था क्योंकि यह प्रस्ताव रेलवे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं था ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

शीतागार संयंत्र

१७०७. श्री लक्ष्मी दास : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय भाण्डागार निगम के अधीन हैदराबाद और जहीराबाद में दो शीतागार संयंत्रों को स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) हैदराबाद में १,००० टन आलू और २०० टन फलों के रखने के लिये एक शीतागार का निर्माण करने की एक परियोजना पर केन्द्रीय भाण्डागार निगम सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और परियोजना के ब्योरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि जहोराबाद में एक शीतागार को स्थापित करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा ।

परिवहन सहकारी समितियां

**१७०८. { श्री गुलशन :
श्री य० ना० सिंह :
श्री प० ह० भील :**

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० से लेकर १९६४ के दौरान विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में परिवहन परमिटों के लिये कितनी परिवहन समितियां पंजीकृत की गई हैं ;

(ख) उनमें से पिछड़ी और अनुसूचित जातियों की समितियां कितनी हैं ;

(ग) कितनी अनुसूचित जाति समितियों को मार्ग परमिट दे दिये गये हैं ; और

(घ) अपना कार्य चलाने के लिये कुल कितनी सहकारी समितियों को सहकारी बैंकों से ऋण दिये गये हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Railway Publications in Hindi

1709. **Shri T. Ram :**
Shri Besra :
Shri Yogendra Jha :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether orders have been issued to bring out Railway manuals, journals and other publications in Hindi alongwith English ;

(b) whether it is a fact that the use of Hindi in Railways and the sanction of necessary posts for Hindi work are directed by the Railway Board ;

(c) whether it is also a fact that Gazetted Class I and Class II officers have been appointed in the Railways for the above purpose ; and

(d) the reasons for not issuing instructions by the Railway Board regarding the appointment of Gazetted officers who could finalise translation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) Yes, instructions have been issued that rule-books, manuals etc. should hereafter be issued in English-Hindi bilingual form.

(b) The policy in regard to the introduction of Hindi in Railway offices is controlled by the Railway Board. As regards sanction of non-Gazetted posts for Hindi work, General Managers are competent to sanction any such post except the post of Hindi supervisor in the highest grade which, for the time being, is sanctioned by the Railway Board.

(c) No.

(d) Staff with appropriate status have already been provided for attending to English-Hindi translation work. Appointment of Gazetted officers for translation work is not considered necessary.

Availability of Rice

1710. **Shri Kachhavaiya :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rice that was being sold under rationing in Delhi at the rate of 0·58 nP. per kilogram is not available at present in the market ;

(b) whether it is also a fact that cheap rice (Rs. 26·27 per maund) is also not available anywhere else except at fair price shops ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to make arrangements so that rice may be available at cheap rates ?

The Minister of State in the Ministry of Food & Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) and (b). There is no rationing in Delhi. There is also no distribution of rice at present through fair price shops from Government stocks. The market price of rice in Delhi during the last several weeks has been lower than the figure quoted by the hon. member.

(c) & (d), Do not arise.

Milk Depots

1711. Shri Kachhavaiya : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no arrangements have been made for the distribution of milk by Delhi Milk Scheme on the other side of Yamuna;

(b) if so, whether Government would consider the question of opening milk depots in Gandhi Nangar, Gita Colony and Jhil Kuranja Colonies situated on the other side of the Yamuna ; and

(c) if so, the time by which these would be opened ?

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) : (a) Yes.

(b) & (c). Delhi Milk Scheme will be extended to the areas named, after it has covered the main city located to the west of the Yamuna. The latter may take about a year or so. Extension of the Scheme to areas lying to the east of the Yamuna will be taken up thereafter.

नारियल के वृक्षों का पुनःरोपण

१७१२. श्री वासुदेवन नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल के वृक्षों के पुनःरोपण कार्य में सहायता करने के लिये किसी योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). केरल राज्य में रोग-ग्रस्त नारियल के पौधों का पुनःरोपण करने के लिये नारियल उगाने वालों को अर्थ-सहायता देने से सम्बन्धित एक योजना को भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति जांच कर रही है।

Sheoraphuli Railway Station

1713. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a passenger of 328 Down Dinapur-Howrah Fast Passenger train fired from his gun on his fellow-passengers at Sheoraphuli railway station at a distance of 26 miles from Howrah ;

(b) if so, the number of persons injured thereby ; and

(c) the action taken in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) and (b). The correct position is that a marriage party was travelling from Sahibganj to Howrah in a reserved compartment. When the train reached Sheoraphuli, a number of passengers demanded entry in that compartment, which was resisted by the occupants. There was thus an altercation, followed by mass hooliganism. Brick-bats and ballasts were thrown at the reserved bogie, injuring several members of the marriage party and causing damage to railway property. In this situation one member of the marriage party fired a shot probably to scare away the mob. One man in the mob received gun shot injuries.

(c) The incident was dealt with by Government Railway Police and District Police of West Bengal. Criminal cases have been registered and are under investigation by the police authorities. 20 persons have been arrested. The case is purely a matter of 'law and order' in the State. The State Government concerned is entirely responsible for maintenance of 'law and order' within the railways/premises.

वनसंद्र-हसन-मंगलौर सड़क

१७१४. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनसंद्र-हसन-मंगलौर सड़क को अयस्क ले जाने वाली सड़के के रूप में विकसित किया जा रहा है ;

(ख) नवीनतम पुनरीक्षित विशेष विवरणों के अनुसार सड़क की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) मैसूर सरकार ने अब तक इस सड़क पर कितना रुपया व्यय किया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत व्यय वहन करने के लिये सहमत हो गई है यदि हां, तो अब तक मैसूर राज्य को कितने रुपये की प्रतिपूर्ति कर दी गई है ?

परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). वनसंद्र-हसन-मंगलौर सड़क को इस रूप में विकसित किया जा रहा है कि उस पर लौह अयस्क को सुविधापूर्वक लाया ले जाया सके। फरवरी, १९५९ में इस सड़क का सिंगिल-लेन स्टैण्डर्ड तक सुधार करने के लिये ४४ लाख ७६ हजार रुपये की मंजूरी दी गई थी जिसमें से ३१ मार्च, १९६३ तक राज्य सरकार को कुल ४४,५९,८६२ रुपये की प्रतिपूर्ति कर दी गई थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस सड़क को इतना चौड़ा करने कि उस पर दो गाड़ियां लाई ले जाई सकें और उसे मजबूत करने का प्रस्ताव रखा। इस कार्य की अनुमानित लागत ४ करोड़ २९ लाख रुपये है जिसमें ४४ लाख ७६ हजार का अनुदान भी सम्मिलित है जिसकी मंजूरी दी जा चुकी है। ४ करोड़ २९ लाख रुपये की इस पुनरीक्षित लागत को पूरा करने के हेतु ५० प्रतिशत सहायक-अनुदान दिये जाने की मैसूर सरकार ने प्रार्थना की है, शेष लागत स्वयं राज्य सरकार पूरी करेगी। इस प्रार्थना की जांच कर ली गई है और उस क्षेत्र में उपयुक्त लौह अयस्क कितनी मात्रा में उपलब्ध है इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या १३

१७१५. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्रदुर्ग से लेकर शोलापुर तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या १३ का निर्माण किया जाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना में इसके लिये कितने रुपये निर्धारित किये गये हैं और उस पर अब कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन-मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) जी, हां।

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना में अधिकतम व्यय ७५ लाख रुपये निर्धारित किया गया है। ११ परियोजनाओं के प्राक्कलन हाल ही में मंजूर किये गये हैं। इन परियोजनाओं में शीघ्र ही कार्य आरम्भ हो जाने की आशा है ।

नांगल बान्ध से आने जाने वाली रेलगाड़ियां

१७१६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नांगल बांध से बाहर जाने वाली मालगाड़ियों और यात्रीगाड़ियों से दस से बारह लाख रुपये तक की मासिक आय होती है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्पेशल पर यात्रियों और कर्मचारियों के लिये क्या सुविधायें दिये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस रेलवे स्टेशन के विस्तार का कार्य लम्बित पड़ा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० दें० रामस्वामी) : (क) नांगल बांध स्टेशन पर माल तथा कोचिंग यातायात से ९ लाख रुपये की मासिक आय होती है।

(ख) नांगल बांध स्टेशन पर जिन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है वह संलग्न विवरण में बताई गई हैं ।

विवरण

(१) यात्री प्लेटफार्मों पर शेडों की व्यवस्था ।

(२) अतिरिक्त यात्री प्लेटफार्म का निर्माण ।

(३) तृतीय श्रेणी के यात्रियों के प्रतीक्षालय की व्यवस्था ।

(४) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालयों में फ्लश प्रणाली के शौचालयों की व्यवस्था।

(५) पर्याप्त स्वच्छता व्यवस्थाओं सहित शौचालयों, पेशाबघरों और स्नानगृहों का निर्माण।

(६) गाड़ियों को धोने के लिये नलों को लगाने की व्यवस्था ।

(७) स्टेशन परिसरों की सफाई के लिये जल की व्यवस्था करना।

(ग) जी, हां ।

(घ) क्योंकि पंजाब सरकार ने व्यय के अपने भाग को पूरा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है अतः रेलवे विभाग द्वारा इस मामले की अग्रेतर जांच की जा रही है।

मनीपुर और नागालैंड के लिए नया डाक-तार डिवीजन

१७१७. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर और नागालैंड के लिये एक नया डाक-तार डिवीजन खोला गया है जिसका मुख्यालय इम्फल में रखा गया है ;

(ग) यदि हां, तो इम्फल में मुख्यालय स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) नये डिवीज़नल मुख्यालय में कब तक पूरे कर्मचारी पहुंच जायेंगे और कब तक वह पूर्णरूपेण सज्जित हो जायेगा ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) और (ख).२० नवम्बर, १९६३ और १२ फरवरी, १९६४ से क्रमशः एक डाक डिवीज़न और एक तार उप-डिवीजन ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इनका मुख्यालय इम्फल में है।

(ग) डाक अधीक्षक के कार्यालय में तीन क्लर्कों और तार उप-डिवीजनल अधिकारी के कार्यालय में एक क्लर्क की कमी है। इस कमी को यथासंभव शीघ्र पूरा करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

मनीपुर को चीनी का सम्भरण

१७१८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६२ से ३१ मार्च, १९६४ तक मनीपुर द्वारा कितनी चीनी की मांग की गई थी और उसे कितनी मात्रा में चीनी का सम्भरण किया गया ;

(ख) क्या मांग पूर्णरूपेण पूरी कर दी गयी थी और पूरी आवंटित चीनी उठा ली गई थी ;

(ग) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि दीमापुर के हिस्से के लिये आवंटित की गई चीनी मनीपुर के अतिरिक्त अन्य किन्हीं स्थानों को बाद में दे दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) (क) १७ अप्रैल, १९६३ से पहले राज्यों को चीनी के आवंटन पर कोई नियंत्रण नहीं था। उस समय से लेकर मार्च १९६४ के अन्त तक की अवधि के दौरान मनीपुर को २०२७.५ टन चीनी आबंटित की गई है।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

'कैरेवेल' विमान

१७१९. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन** मंत्री ३ दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से चौथे कैरेवेल विमान को खरीदने के प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

केन्द्रीय भाण्डागार, शक्तिनगर

१७२०. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भाण्डागार, शक्तिनगर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो कि गत आठ वर्षों से वहां कार्य कर रहे हैं परन्तु अभी तक अस्थायी हैं; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) :

(क)	तृतीय श्रेणी	५ कर्मचारी
	चतुर्थ श्रेणी	७ कर्मचारी
(ख)	तृतीय श्रेणी	शून्य
	चतुर्थ श्रेणी	एक कर्मचारी

Postal Divisions in Rajasthan

1721. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Postal Divisions have been formed in Rajasthan ;

(b) if so, the number and locations thereof ;

(c) whether Committees have been constituted there ; and

(d) if so, the number thereof ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati) : (a) and (b). There are seven postal Divisions in Rajasthan with headquarters at the stations noted below :—

1. Ajmer
2. Jaipur

3. Bharatpur
4. Jodhpur
5. Bikaner
6. Udaipur
7. Kota.

(c) and (d). Divisional Advisory Committees have been constituted for all the above seven divisions.

Telegrams in Hindi

1722. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have made arrangements for sending telegrams in Hindi in some parts of the country ; and

(b) if so, the names of the States where it has been done and the time by which the remaining places will also be covered ?

The Deputy Minister in the Department of Posts and Telegraphs (Shri Bhagavati) : (a) Yes.

(b) A list of the Telegraph Offices handling telegrams in Devnagari script has been published in Devnagari script in the Telegraph Guide, Volume II (1962 Edn.). A phased programme for the training of all the operators in Devnagri telegraphy is under consideration. It will take some time before the service can be extended to the remaining Telegraph Offices.

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

१७२३. **श्रीमती गंगादेवी :**
श्री साधू राम :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन द्वारा १९६१, १९६२ और १९६३ में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में और तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के वरण-पदक्रमों[1] में पदोन्नति देने के लिये कितने चयन किये गये;

(ख) प्रत्येक वर्ग के उन चयनों में अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारियों ने भाग लिया और उनमें से कितने चुन लिये गये थे; और

(ग) १९६१, १९६२ और १९६३ में किन किन वर्गों के लिये चयन किये गये थे और क्या अभी तक उनके परिणाम घोषित नहीं किये गये हैं, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

[1]Selection grades.

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख).

	चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के लिये			तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के लिये		
	१९६१	१९६२	१९६३	१९६१	१९६२	१९६३
चयनों की संख्या . .	३	३	४	* —	—	—
अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने चयनों में भाग लिया था . .	६	३	१६	—	—	—
चुने गये कर्मचारियों की संख्या .	१	२	२	—	—	—

*तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति देने के लिये डिवीजन-वार चयन नहीं किये जाते।

तदनुसार दिल्ली डिवीजन के लिये कोई पृथक चयन नहीं किया गया था।

(ग)

१९६१	१९६२	१९६३
ट्रेन्स क्लर्क कोचिंग क्लर्क ए०पी०डब्ल्यु० आई०	गुड्स क्लर्क ए०पी०डबल्यू० आई०	ट्रेन्स क्लर्क कोचिंग क्लर्क ए०पी०डबल्यू० आई०

इन चयनों में से किसी का परिणाम अघोषित नहीं है।

भारतीय जहाज "जलमंजरी"

१७२४. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९६४ के दूसरे सप्ताह में 'जलमंजरी' नामक एक भारतीय जहाज हार्टलेपूल पत्तन के बाहर नीचे चट्टानों से टकरा गया, और जब एक रक्षा नौका 'जलमंजरी' के पास पहुंची तो यह भी अशांत समुद्र में उलट गई; और

(ख) यदि हां, तो उसका विशिष्ट विवरण क्या है?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) और (ख). सिंदिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड का एस० एस० 'जलमंजरी' १४ मार्च, १९६४ को इंगलैंड के पूर्वोत्तर तट पर तीसवें पत्तन के समीप धंस गया। जहाज की रिपोर्ट में रक्षा नौका की दुर्घटना होने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। १६ मार्च, १९६४ को सवेरे ७ बजे जहाज पुनः निकाल कर तैराया गया। जान की कोई हानि नहीं हुई और उसमें कोई माल नहीं था।

उत्तरी रेलवे पर पार्सल क्लर्क

१७२५. { श्रीमती गंगा देवी :
श्री साधू राम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में २५०—३८० रु० की श्रेणी में कुल कितने पार्सल क्लर्क हैं और उनकी प्रतिशतता क्या है; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये रक्षित कोटे के अधीन अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को कोई स्थान दिये गये हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क)

दिल्ली डिवीजन में २५०—३८० रु० की श्रेणी में पार्सल क्लर्कों की कुल संख्या .	५
पार्सल क्लर्कों की स्थायी संख्या की तुलना में प्रतिशतता	१.४

(ख) जी, नहीं। पिछली भरती के समय पात्र श्रेणियों में कोई भी अनुसूचित आदिम जाति का कर्मचारी उपलब्ध नहीं था।

गुंताकल से बंगलौर तक रेलवे लाइन

१७२६. **श्री राम पुरे** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुंताकल से बंगलौर तक वर्तमान छोटी लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन करना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) और (ख). गुंताकल–बंगलौर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की योजना तीसरी योजना में नहीं है। तथापि, दक्षिण रेलवे से इस बात की जांच करने के लिये कहा गया है कि इस परिवर्तन के बाद कितना यातायात वहां से गुजरेगा। रेलवे के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

विमान सेवायें

१७२७. **श्री उमानाथ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा प्रस्ताव है कि १ अक्तूबर, १९६४ से बम्बई–राजकोट–जामनगर–भुज विमान सेवा के विमान कांडला हवाई अड्डे पर सप्ताह में ४ दिन की बजाय—जैसा कि इस समय होता है—सभी दिन रुकें;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अहमदाबाद और कांडला के बीच विमान सेवा लागू करने का भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब से ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

कोठा गुड़ियम में टेलीफोन सेवा

१७२८. श्री ईश्वर रेड्डी: क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग इस बात से अवगत है कि कोठागुडियम, खम्माम ताल्लुक आंध्र प्रदेश में तार और टेलीफोन सेवाएं प्रायः खराब हो जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो लोगों को जो असुविधा पहुंची है क्या उसे दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) कोठागुडियम में तार और टेलीफोन सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव इसलिये पड़ा है कि उस स्थान पर तांबे की चोरी की बहुत अधिक घटनाएं हुई हैं। रेल की पटरी दोहरी करने के लिये कुछ लाइनों के स्थान बदलने पड़े, इससे भी बाधा पड़ी।

(ख) आंध्र पुलिस के परामर्श से तांबे के तार की चोरियां कम करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे है। इस क्षेत्र में तांबे के तार के स्थान पर तांबे से झलाई किये हुए तार को लगाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। कोठागुडियम को मिलाने वाली टेलीफोन और तार सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त लाइनें और उपकरण भी अधिष्ठापित किये जा रहे हैं।

सहकारी चीनी मिलें

१७२९. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीसरे पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश राज्य में सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने की अनुमति देने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) (क) और (ख). उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों और अनेक अन्य राज्यों में सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये अनेक आवेदन पत्रों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इन आवेदनपत्रों पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है।

दक्षिण रेलवे पर भोजन व्यवस्था प्रतिष्ठान

१७३०. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर भोजन व्यवस्था प्रतिष्ठानों को चलाने में सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ;

(ख) क्या भोजन प्रतिष्ठानों को चलाने के बारे में भारतीय काफी बोर्ड कार्यकर्ता संस्थान को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) दक्षिण रेलवे पर कितनी सहकारी भोजन व्यवस्था प्रतिष्ठान हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ग). दक्षिण रेलवे समेत सभी रेलवे पर निरामिष तथा सामिष रिफ्रैशमेंट रूमों और रैस्टोरैंटों अर्थात् भोजन व्यवस्था प्रतिष्ठानों को चलाने के ठेके सभी अनुभवी भोजन प्रबंधकों के लिये खुले होते हैं और उन में वास्तविक कार्यकर्ताओं की सहकारी संस्थाएं भी शामिल हैं । यथोचित प्रचार के पश्चात् अर्जियां मंगवा कर ठेके दिये जाते हैं । तथापि दक्षिण रेलवे में किसी सहकारी संस्था की ओर से ठेके के लिये कोई अर्जी नहीं आई । तथापि सहकारी संस्थाओं ने दक्षिण रेलवे के कुछ स्टेशनों पर फल, चाय, दूध आदि की दुकानें खोली हुई हैं ।

(ख) जी नहीं ।

Bhusawal-Allahabad Passenger Train

1731. Shri Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the engine and one bogie of Bhusawal-Allahabad passenger train on the Central Railways were derailed ;

(b) if so, the number of persons killed and injured in this accident ;

(c) whether Government have ascertained as to who were the officers whose negligence led to this accident ; and

(d) whether Government propose to take some steps to prevent recurrence of such accidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways(Shri S.V. Ramaswamy) : (a) On 18-3-64 at about 4·20 hrs., soon after 388 Up Allahabad-Bhusawal Passenger started from the Up Loop line of Gurra Station of the Central Railway, it entered the sand-hump resulting in derailment of the engine and one bogie (empty) marshalled next to it.

(b) No one was killed. Four persons received minor injuries.

(c) This is under investigation.

(d) Taking of preventive measures is a matter which receives the sustained attention of Railway Administration. In this particular case, if as a result of enquiry, any specific steps are suggested, they would be carefully considered.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वर्ष १९६४–६५ में बाजार से लिये गये ऋणों के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा १९६४-६५ में बाजार से लिये जाने वाले ऋणों के बारे में वित्त मंत्रालय की दिनांक ३० मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या एफ० १३(३)—डब्ल्यू एण्ड एम/६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २६०१ / ६४]

बड़े पत्तन न्यास अधिनियम के अन्तर्गत नियम

परिवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, १९६३ की धारा १२२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९८ में प्रकाशित बड़े पत्तन न्यास (बोर्ड की बैठकों में प्रक्रिया) नियम १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २६०२ / ६४]

(दो) दिनांक २९ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९९ में प्रकाशित बड़े पत्तन न्यास (न्यासधारियों को फीस तथा भत्तों का भुगतान) नियम, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २६०३ / ६४]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत आदेश, केन्द्रीय भाण्डागार निगम (संशोधन) नियम तथा वर्ष १९६२–६३ के लिये केन्द्रीय भाण्डागार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १९ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४७८ में प्रकाशित दिल्ली गेहूं उत्पाद (निर्यात नियंत्रण) आदेश, १९६४ ।

(दो) दिनांक २० मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ४८१ में प्रकाशित चावल (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

(तीन) दिनांक २३ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५११ में प्रकाशित अन्तर्क्षेत्रीय गेहूं तथा गेहू उत्पाद (लाने ले जाने पर नियंत्रण) आदेश, १९६४ ।

(चार) दिनांक २३ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१२ में प्रकाशित चावल (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

(पांच) दिनांक २३ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१३ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

(छै) दिनांक २३ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१४ में प्रकाशित चावल (मद्रास) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

(सात) दिनांक २३ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५१५ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (तीसरा संशोधन) आदेश, १९६४ ।

(आठ) दिनांक २३ मार्च, १९६४ की अधिसूचना संख्या ५१६ में प्रकाशित चावल और धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २६०४ / ६४]

(४) भाण्डागार निगम अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९४ में प्रकाशित केन्द्रीय भाण्डागार निगम (संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २६०५ / ६४]

(५) भाण्डागार निगम अधिनियम, १९६२ की धारा ३१ की उप-धारा (११) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम की वर्ष १९६२-६३ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २६०६ / ६४/

अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९६४–६५ के बारे में विवरण

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): मैं (६) अनदानों की मांगों (रेलवे), १९६४-६५ के बारे में सदस्यों से प्राप्त ज्ञापनों के उत्तर में तीन विवरण सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० २६०७ / ६४]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य (अब शिक्षा); परिवहन और निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालयों सम्बन्धी विनियोग लेखे (असैनिक), १९६१-६२ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९६३ के बारे में लोक लेखा समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

अनुदानोंकी मागें

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

श्री इकबाल सिंह (फिरोजपुर) : माननीय मंत्री स्वयं तकनीकी विशेषज्ञ हैं । विभिन्न समस्यायें सुलझाने मे तथा अन्य प्रकार से जो कार्य उन्होंने किया है वह प्रशंसनीय है ।

लघु सिंचाई के लक्ष्य इसलिये पूरे नहीं हुए चूंकि कृषि मंत्रालय के पास तकनीकी कर्मचारियों की कमी है । इसलिए जहां पर अधिक तकनीकी कर्मचारियों की जरूरत होती है उन कामों को सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय के अन्तर्गत रखना चाहिये और जो नलकूप, टैंक तथा कुओं आदि जैसे काम हैं वे वह कृषि मंत्रालय के अधीन होने चाहिये ।

केन्द्रीय जल तथ विद्युत् आयोग ने बहुत सराहनीय काम किया है परन्तु इसे अधिक सशक्त बनाने की और कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति का निरन्तर पुनर्विलोकन करते रहने के लिये कुछ सलाहकार नियुक्त करने की जरूरत है ।

राजस्थान नहर फीडर वर्क्स संबंधी योजनायें पंजाब सकरार द्वारा केन्द्रीय जल तथा विद्युप् आयोग को दी गई हैं उन का निरीक्षण अविलम्ब किया जाना चाहिये ताकि सम्बद्ध सरकारें उन्हें कार्यान्वित कर सकें ।

सिन्धु जल सन्धि जो भारत और पाकिस्तान में हुई उस के परिणामस्वरूप पंजाब और राजस्थान के किसान कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं । वह पानी १९७० तक दिया जाना है और हो सकता है कि १९७३ में भी पाकिस्तान को जल देना पड़े । इसलिये जो लोग इस सन्धि के कारण कठिनाइयों का अनुभव करते हैं उन को राहत पहुंचाने का कोई उपाय करना चाहिये । सरहन्द नहर की क्षमता ६३०० क्यूबिक फीट तक बढ़ानी चाहिए और गंग नहर की क्षमता ४,५०० क्यूबिक फीट तक बढ़ाई जानी चाहिये ताकि गरमियों के मौसम में इन क्षेत्रों को अधिक जल मिल सके और रुई की पैदावार बढ़ सके । आज राजस्थान और पंजाब के लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना है । यदि १९७० के बाद भी पाकिस्तान को जल दिया गया तो यह बात राष्ट्रीय हित में नहीं होगी । इस प्रयोजनार्थ चीन बांध को शीघ्र बनाया जाना चाहिये । राज्य सरकार ने तो इस परियोजना

सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हुआ है परन्तु उस पर अभी निर्णय ही नहीं लिया जा रहा। यह बांध सम्बन्धी योजना अविलम्ब मंजूर की जानी चाहिये ताकि इस को शीघ्र कार्यान्वित किया जा सके।

बाढ़ एवं जलानुवेधन संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए पंजाब सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है। उस राज्य ने अपने साधनों में से २० करोड़ रुपया व्यय किया है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह पंजाब सरकार को इस काम के लिये सहायता दे। पंजाब देश का धान्यागार है इसलिये इस की ओर उचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। घग्घर के बारे में पंजाब और राजस्थान में झगड़ा है। पानी का रुख बदलने के बारे में पंजाब और उत्तर प्रदेश मे झगड़ा है। नाला संख्या ८ के बारे में पंजाब और दिल्ली में झगड़ा है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन समस्याओं को हल करे।

विद्युत् बोर्डों और राज्य विद्यत् उपक्रमों के कार्यों की एक आयोग द्वारा जांच होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि विद्युत् बोर्ड विघटित किये जाने चाहियें। ग्रामीण विद्युतीकरण जिस गति से अब हो रहा है उस गति से वह काम १०० वर्षों में भी पूरा होने वाला नहीं है। यह काम अधिक तेजी से किया जाना चाहिये और इस प्रयोजनार्थ चौथी योजना में ५०० करोड़ रुपये का उपबन्ध किया जाना चाहिये। चौथी योजना काल में १५०,००० गांवों में बिजली उपलब्ध की जानी चाहिये। नलकूपों का प्रयोग करने के लिये और कृषि उत्पादन संबंधी अन्य कार्यों के लिये ग्रामीणों के लिये विद्युत् आवश्यक है। इसी से उन का जीवन स्तर बढ़ सकेगा और इसी से देश मे उत्पादन बढ़ सकेगा।

जहां विद्युत् उपलब्ध है वहां इस पर खर्च बहुत आता है। उत्तरी बिहार में, जो देश का सब से गरीब क्षेत्र है, किसान को बिजली के एक यूनिट के लिये २३.४४ नये पैसे देने पड़ते हैं। सरकार द्वारा बिजली की दर ९ पैसे निर्धारित की गई है जबकि औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली ३ नये पैसे की दर से दी जाती है। वह कृष्कों के प्रति अन्याय है। इसलिए मेरा सुझाव है कि कृष्कों को भी विद्युत् उसी दर पर दी जाये जिस दर पर कि उद्योगों के लिये दी जाती है।

राजस्थान नहर बनाने के लिये हजारों एकड़ भूमि प्राप्त की गयी परन्तु अभी तक उस के बदले में भूमि नहीं दी गयी, उचित मुआवजा नहीं दिया गया। हीराकुद बांध के लिये १५ वर्ष पूर्व भूमि प्राप्त की गई थी परन्तु आज तक उन लोगों को बदले में जमीन नहीं दी गई जिनकी जमीनें अर्जित की गई थीं। इस कारण लोग सरकार में विश्वास खो बैठते हैं। मेरा अनुरोध है कि जो भी भूमि सरकार द्वारा अर्जित की जाय उस के लिये पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए।

भाखड़ा बांध के निकट जिन लोगों की भूमि है उनसे सुधार शुल्क प्राप्त किया जाता है इसके बावजूद भी भाखड़ा का लाभ उनको मिलता है जो विद्युत् का प्रयोग करते हैं, चूंकि पानी उतना ही छोड़ा जाता है जितना विद्युत के लिये वांछनीय होता है। गंग नहर एवं सरहन्द नहर के लिये पानी इसलिये नहीं दिया गया चूंकि उस पानी का प्रयोग विद्युत, प्रजनन के लिये किया जाना होता है। इसलिये मेरा कहना है कि या तो आप किसानों से सुधार शुल्क न लें, या उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध करें।

———

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : शेष मंत्रालयों सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान के सिलसिले में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये हैं :

स्वास्थ्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगें सम्भरण तथा तकनीकी विकास विभाग की अनुदानों की मांगों पर मतदान के पश्चात् ली जायें। और गृह कार्य मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगें वैदेशिक-कार्य त्रालय की मांगों के पश्चात् ली जायें। इन परिवर्तनों से, मंत्रालय से सम्बद्ध मंत्री अन्य महत्वपूर्ण काम कर सकेंगे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : हमें इन मांगों की चर्चा सम्बन्धी तिथियां भी बताई जायें।

श्री सत्य नारायण सिंह : सिंचाई तथा विद्युत .. ३१ मार्च, सम्भरण तथा तकनीकी विकास विभाग .. ३१ मार्च और १ अप्रैल ; स्वास्थ्य ... १ और २ अप्रेल ; उद्योग ... २, ३ और ४ अप्रैल ; निर्माण, आवास तथा पुनर्वास ... ४ और ६ अप्रैल ; सामुदायिक विकास तथा सहकार ... ६ और ७ अप्रैल ; इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग ... ७ और ८ अप्रैल ; वैदेशिक कार्य .... ८, ९, १० और ११ अप्रैल ; गृह-कार्य ... ११, १३ और १४ अप्रैल तथा वित्त और योजना ... १४ और १५ अप्रैल।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरा अनुरोध है कि गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों को ११ तारीख से पहले किसी दिन लिया जाय। ७ तारीख से पहले इन पर चर्चा हो सकती है।

श्री सत्य नारायण सिंह : हम माननीय सदस्यों की सुविधा के बारे में पूर्णतः सतर्क हैं परन्तु पाकिस्तान आग्रह करता है कि सम्मेलन ७ से ९ तारीख तक हो। इसलिये यह परिवर्तन किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ११ अप्रैल को तो बैठक ही नहीं होगी।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह ठीक है। इसके लिये मैं फिर सभा से अनुरोध करूंगा चूंकि हम पहले ही निर्धारित समय से १२ घंटे पीछे हैं।

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

श्री महताब (अंगुल) : जब दूसरी योजना तैयार हो रही थी उस समय मैंने योजना आयोग को एक ज्ञापन-पत्र दिया था जिसमें मैंने कहा था कि सिंचाई और विद्युत दोनों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए, परन्तु यह खेद का विषय है कि इन दो आवश्यकताओं पर इतना बल नहीं दिया गया। कृषि उत्पादन के लिये सिंचाई की जरूरत होती है और औद्योगिक विकास के लिये विद्युत की जरूरत होती है। परन्तु राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार इनको अत्यावश्यक नहीं

समझतीं। जैसे लेनिन ने नारा लगाया था कि विद्युत हमारा ईश्वर है उसी प्रकार विद्युत और सिंचाई पर यहां पर जोर दिया जाना चाहिये।

प्रस्तुत प्रतिवेदन में कहा गया है कि विद्युत और सिंचाई सम्बन्धी लक्ष्य पूरे नहीं हुए और उसका कारण यह बताया गया है कि लक्ष्य बहुत ऊंचे निर्धारित किये गये थे ; कुछ परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुआ ; राज्यों द्वारा योजनाओं के लिये पर्याप्त उपबन्ध नहीं किये गये ; विदेशी मुद्रा पर्याप्त नहीं थी, आदि, आदि। परन्तु मैं कहता हूं कि इन में से कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिसका सरकार को पूर्व ज्ञान न हो। जब भी किसी योजना के अनुमान लगाये जाते हैं उन्हें बाद में बढ़ाना पड़ता है चूंकि वह अनुमान इसीलिये कम रखे जाते हैं ताकि सरकार उन योजनाओं को स्वीकार करे। और जो लोग इस त्रुटि के लिये उत्तरदायी होते हैं उनके विरुद्ध कभी कार्यवाही नहीं की जाती। इसी प्रकार राज्यों द्वारा पहले से ही योजनाओं के लिये पर्याप्त उपबन्ध किये जाने चाहियें इसलिए यह कोई युक्तियुक्त कारण नहीं है। केन्द्रीय मंत्रालयों का कर्तव्य है कि वह लक्ष्यों को प्राप्त करें। यह तभी हो सकता है जब काम अधिक कुशलता से और अविलम्ब किया जाय।

बड़ी बड़ी परियोजनाओं के सिलसिले में नालियां बनाना और इनसे सम्बन्धित अन्य कामों के लिये अनुमान स्वयं परियोजनाओं में ही लगाया जाना चाहिए और उन्हें भिन्न भिन्न अभिकरणों पर नहीं छोड़ना चाहिए। होता यह है कि मूल परियोजना सम्बन्धी अनुमान तो परियोजना में ही लगाये जाते हैं और इनसे सम्बन्धित अन्य कार्य राज्य सरकारों एवं अन्य अभिकरणों पर छोड़ दिये जाते हैं इससे परियोजना को कार्यान्वित करने में बाधा पड़ती है। भवनों के सम्बन्ध में भी यही कठिनाई उत्पन्न होती है। भवन तो तैयार कर दिये जाते हैं परन्तु उनमें शौचालय और विद्युत व्यवस्था के काम अन्य विभागों द्वारा होते हैं। इस तरह उत्तरदायित्व भी बंट जाता है।

अब ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में कुछ बातों की ओर आपका ध्यान दिलाऊंगा। बहुत से गांवों में समृद्ध व्यक्तियों के आराम की दृष्टि से बिजली का उपबन्ध किया गया है परन्तु ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें विद्युतीकरण ग्रामीण उद्योगों की प्रगति की दृष्टि से करना चाहिए।

सिंचाई क्षमता का पूर्णत: प्रयोग इस कारण नहीं किया जा सका चूंकि बहुत से राज्यों में परियोजनाओं को बीमे के तौर पर लिया गया है। जहां पर वर्षा ५० से ७० प्रतिशत तक होती है वहां पर यह परियोजनायें बीमे के तौर पर ही ली गई हैं।

देश के विभिन्न भागों में बनाई गई परियोजनाओं में से कुछ ऐसी हैं जिनसे वर्ष भर लगातार सिंचाई नहीं हो पाती है और दूसरी कुछ परियोजनाओं की पूरी सिंचाई क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है। सरकार को इस सम्बन्ध में छानबीन करनी चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि परियोजनाओं से वर्ष भर लगातार सिंचाई हो सके। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सिंचाई की क्षमता का पूरा उपयोग हो।

हमें पिछली त्रुटियों की चर्चा का विषय न बना कर उन से यह सीखना चाहिए इस प्रकार की त्रुटियां भविष्य में न हों। हीराकुद परियोजना में कुछ त्रुटियों के परिणामस्वरूप उड़ीसा राज्य सरकार को प्रति वर्ष लगभग २ करोड़ रुपये की वार्षिक हानि उठानी पड़ रही है जिससे उड़ीसा के कर दाताओं पर भार पड़ रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह हानि केन्द्रीय सरकार को वहन करना चाहिये, चाहे इसमें त्रुटि किसी की क्यों न हो। मैंने यह अनुरोध इसलिए किया है

कि यह परियोजना केन्द्रीय सरकार ने बनाई है इसलिये इसका उत्तरदायित्व उसी पर होना चाहिए। राज्य सरकार पर यदि इस हानि का भार डाला जायेगा तो वहां पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास नहीं हो पायेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति पिछड़ जायेगी। केन्द्र सरकार जहां लोक कल्याण के कार्यों पर भारी राशि व्यय कर रही है वहां इसे भी कल्याण सम्बन्धी कार्यों में शामिल करके इसका उत्तरदायित्व उठा लेना चाहिए।

सरकार को नई परियोजना चालू करने से पहले जांच पड़ताल करके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस परियोजना के पूरा हो जाने पर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाभ पहुंचेगा। ऐसी परियोजनायें बनाने में यदि कुछ लोगों को कठिनाई भी उठानी पड़े तो वे उठाने के लिये तैयार रहते हैं।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर विचार करें और मुझे आशा है कि किसी भी परियोजना को आरम्भ करने से पहले उसके सम्बन्ध में अच्छी तरह जांच पड़ताल की जायेगी।

Shri Lehri Singh (Rohtak) : We have not been able to increase production and our population is constantly increasing. I think food problem can be solved only by the Irrigation Department. There are culturable lands in the country for which we have not been able to provide water. I think the remedy is that deep tube wells should be dug in such areas.

We have given sufficient attention to big irrigation projects but minor irrigation projects have not been implemented properly. Neither there is adequate planning nor sufficient funds are provided for them. The Irrigation Department should take in its own hands the task of digging tube wells. Our peasants are poor and cannot afford to spend for tubewells. The state Governments have failed to implement the minor irrigation schemes. The construction and planning of such schemes should be done by the Centre itself. State Governments have neither adequate funds nor efficient staff, nor can they apply proper control.

Unless and until the Department which undertakes this construction work is under control nothing would be achieved.

The deep tube well scheme should be under your ministry. The Exploratory Tube Well organisations has been able to achieve very little since 1954. They have sunk 380 tube wells and out of those only 198 are successful. Neither Agriculture Deptt. nor Irrigation Department is prepared to undertake the work of tube wells. There should be an integrated scheme for all types of tube wells and that should brought under the control of the Centre.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. DEPUTY SPEAKER *in the Chair* }

Long talks are made about co-operative farming but that would never be successful in this country. At several places in Punjab, the Sarpanchas of Panchayat have earned 20 to 30 thousand rupees. Such is the condition of our integerity. So the co-operative Farming Societies would be under the officials who would indulge in corruption.

Canals are constructed but water goes waste because the long water courses are not maintained. It is, therefore, essential model bye-laws should be framed and the maintenance of the water courses should be made the responsibility of the States.

The big canals are responsible for waterlogging because there is no proper system of damage. So whenever projects are executed managements should also be made for drainage.

Vigorous steps should be taken for controlling the floods because the floods are damaging the crops and poor peasants are put to loss.

The electricity should be provided to the villages and the cost of construction of transmission lines should be borne by the Government.

There is much shortage of water in Haryana and the Western districts of U.P. which are fed by the western Yamuna Canal. The Government is taking water from this canal for Delhi and for cooling the plants. Water for Delhi may be arranged from Bhakra or through the Narvana scheme which has now been finalised, but the poor people of my area should not be deprived of water. If this injustice is not removed those people would be compelled to go on a sit down strike before the residences of the Prime Minister and the Minister.

I hope that the Hon. Minister being himself an experienced engineer would take proper steps and also make the states to shed their lathargy.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्री की अभ्यर्थना करता हूं कि उनके विशद अनुभव और व्यक्तित्व का मंत्रालय पर अच्छा प्रभाव पड़ा है । उनके पूर्वाधिकारी श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम ने भी अपनी सज्जनता द्वारा विभिन्न राज्यों के नदी जल विवादों का शान्तिपूर्ण हल निकाला था ।

कृष्णा और गोदावरी बहुत बड़ी नदियां हैं और उनके सारे जल का प्रयोग करना बहुत बड़ा काम है । अत: किसी भी राज्य को यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि उनकी परियोजनायें पूरी नहीं हो सकेंगी ।

भाखड़ा नंगल, हीराकुड, नागार्जुन, गंडक जैसी बहुप्रयोजनीय योजनाओं के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि उन्हें निश्चित समय में पूरा किया जाता है और ज्यों-ज्यों उनके काम का विस्तार हो उनमें अधिकाधिक धन लगना चाहिये । नागार्जुनसागर का निर्माण कार्य बढ़ रहा है किन्तु उसके लिए पहले जितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है उसमें वृद्धि होनी चाहिये ।

नागार्जुनसागर पर आंध्र प्रदेश सरकार का पूंजी निवेश ५८ करोड़ रुपया है । यह प्रदेश पंजाब की तरह बहुत उर्वर है और वहां अधिकाधिक भूमि में कृषि आरम्भ की जा सकती है । इतनी बड़ी प्रायोजना राज्य के संसाधनों पर नहीं छोड़ देनी चाहिये । नैवेली प्रायोजना पर सारा खर्च केन्द्र कर रहा है जिससे मद्रास सरकार और विकास परियोजनाएं आरम्भ कर सकी है । सरकार को आंध्र प्रदेश के बारे में भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस बड़ी परियोजना से बंधी न रहे । इसी प्रकार राजस्थान नहर के निर्माण का सारा भार केन्द्रीय सरकार को वहन करना चाहिये ।

पोचमपाद परियोजना को तेज कर देना चाहिये । इसके निर्माण के एक दो वर्ष बाद ही लाभ प्राप्त होने लगेगा ।

[श्री पें० वैंकटा सुब्बया[

रायल सीमा का क्षेत्र अत्यन्त दुर्भिक्ष ग्रस्त है । अतः मेरा निवेदन है कि तुंगभद्रा नहर को शीघ्र तैयार किया जाए । इससे ही उक्त क्षेत्र की स्थिति सुधर सकती है । रिपोर्ट के अनुसार उसके लिए १३ करोड़ रुपया मंजूर किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह नहर तीसरी योजना में तैयार नहीं होगी । इस नहर के दूसरे दौर की भी शीघ्र मंजूरी दे देनी चाहिये ताकि दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्रों को लाभ हो सके ।

राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए गजुलडीन परियोजना और नरपदराजस्वामी परियोजनाओं की भी सिफारिश की है । इन माध्यमिक सिंचाई योजनाओं को भी शीघ्र आरम्भ करना चाहिये ।

इस क्षेत्र में बहुत से अच्छे तालाब भी हैं जिनमें रेत जमा हो गया है । इस बात का भी अनुसन्धान करना चाहिये कि इन तालाबों से रेत निकाला जा सकता है अथवा नहीं ।

गांवों में बिजली लगाने की दृष्टि से पहले आंध्र प्रदेश का दूसरा दर्जा था किन्तु तीसरी योजना के बाद केवल १२ प्रतिशत गांवों में बिजली लगेगी । इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये । राज्य बिजली बोर्ड प्रशासनिक विभागों के हाथ की कठपुतली मात्र नहीं होने चाहियें ।

श्री म० सो० मेनन (मुकन्दपुरम) : मैं भी माननीय मंत्री की अभ्यर्थना में अन्य सदस्यों का समर्थन करता हूं । उन्होंने विभाग के कार्य पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी है ।

मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रादेशिक बिजली बोर्ड बनाने और राज्यों के बिजली ग्रिडों के मिलाने का निश्चय किया है । इसके साथ ही बिजली विकास योजनाओं को अधिक युक्ति-संगत बनाना चाहिये और किसी राज्य में पनबिजली के अधिक संसाधन होते हुए उसके वित्तीय संसाधन कम होने पर योजनाओं को सीमित और छोटा नहीं बना देना चाहिये ।

केरल और मैसूर में बिजली पैदा करने के बहुत संसाधन हैं । उत्पादन लागत बहुत कम है किन्तु फिर भी गलत परियोजनाओं के कारण वहां बिजली की कमी है । इस दृष्टिकोण को बदल कर ही देश को आत्म-निर्भर बनाया जा सकता है ।

प्रादेशिक बोर्ड बनाने के बाद बिजली की योजनाएं भी प्रदेशों के आधार पर बना कर राज्यों में बांट देनी चाहियें । तापीय बिजली परियोजनाएं तो केवल ऐसे क्षेत्र में आरम्भ करनी चाहिये जहां पन-बिजली की क्षमता बहुत ही कम हो क्योंकि तापीय बिजली और जलविद्युत् पर बराबर खर्च होता है किन्तु विदेशी मुद्रा का खर्च तापीय बिजली परियोजना में ५० प्रतिशत और जलविद्युत् में केवल १५ प्रतिशत होता है ।

पंचवर्षीय योजना बनाते समय राजनैतिक प्रभाव भी डाले जाते हैं । और उसके परिणाम-स्वरूप कुछ राज्यों को हानि उठानी पड़ती है केरल इसका उदाहरण है ।

केरल ने इडिकी परियोजना जिस पर ४९ करोड़ रुपया खर्च होगा १९५५ में भेजी थी किन्तु रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना पांचवीं योजना में पूरी होगी । मेरा निवेदन है कि परियोजना को तेज़ किया जाये ।

प्रादेशिक बिजली बोर्डों की स्थापना के लिए बिजली संभरण अधिनियम में संशोधन करना चाहिये । केरल की अनेक परियोजनाओं की जांच हो चुकी है किन्तु, वहां बिजली का अभाव है ।

अतः बिजली उत्पादन के लिए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये। बड़ी परियोजनाओं में बहुत समय के लिए पैसा लगा रहता है अतः संभवतः राज्य छोटी परियोजनाओं को पसन्द करें जिनसे २ या तीन साल में बिजली पैदा हो सकती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए भी बिजली संभरण अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केरल की एक परियोजना के लिए जो मशीनें आयात की गई हैं वे खराब हैं और वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं संघ सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने डा० राव जैसे प्रतिभाशाली इंजीनियर को उपयुक्त कार्य भार संभाला है और मुझे आशा है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय श्रेयस्पद सफलता प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि संस्कृत में एक श्लोक है :

अन्मोडन्य शोभा परिवृद्धये बाम रत्नम समागच्छतु कोचनेन।

इस मंत्रालय का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह कृषकों और उद्योगपतियों दोनों के लिए जल और विद्युत् का संभरण करता है। १९६३-६४ में मंत्रालय ने शानदार काम किया है। भाखड़ा बिजली घर का छटा एकक और चिपझील बिजली घर का तीसरा एकक चालू किये और नागार्जुन-सागर तथा त्रिशूली परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं।

मैंने कटौती प्रस्ताव में मांग की है कि केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का कार्य-क्षेत्र बढ़ाया जाये। राज्यों में १५ बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित किये गये हैं। भारत सरकार ने चार नदी आयोग भी स्थापित किये हैं। किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उनकी सहायक नदियों के लिए भी नदी आयोग की स्थापना क्यों नहीं की गई। इनमें आने वाली बाढ़ों से कितनी हानि होती है इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया।

महाराष्ट्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई नियमित काम नहीं किया गया। एराभ की नदी में १८९१ के बाद से कई बाढ़ें आयी हैं किन्तु रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं और मेरा निवेदन है इन बाढ़ों को रोकने के लिए कुछ ठोस कार्यवाही करनी चाहिये।

तीन वर्ष पहले खुई नदी में भी बाढ़ आई थी किन्तु महाराष्ट्र में हाल ही में जो चर्चा बाढ़ नियंत्रण के बारे में हुई है उसमें उस नदी का कोई उल्लेख नहीं किया गया।

पूरना नदी की बाढ़ के समय बुल्डाना गांव को पक्षपातपूर्ण ढंग से सहायता दी गई थी। इसका एक भाग बुल्डाना जिला में और दूसरा खांदेश जिला में है। खांदेश जिले में तो तुरन्त सहायता दी गई कि गांव के दूसरे भाग में पक्षपात बरता गया।

विदर्भ के लिए वानगंगा योजना का अत्यधिक महत्व था किन्तु उसे छोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र ने अन्य छोटी-छोटी परियोजनाएं बनाई हैं जिन सब पर १ करोड़ रुपये से अधिक खर्च नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि डा० राव इन योजनाओं में चि दिखायें। विदर्भ के लाभ के लिए वानगंगा योजना को फिर से लिया जाये या अन्य उपयुक्त योजनाएं बनाई जायें।

कृषकों को सस्ती बिजली देनी चाहिये। ९ नये पैसे की दर भी बहुत अधिक है।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : यह मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सम्बन्ध खाद्य उत्पादन से है। योजना आयोग के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या के बराबर खाद्य उत्पादन की गति नहीं है जबकि ७१ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है।

श्री थामस का यह कहना कि मौसम की खराबी के कारण उत्पादन कम होता है केवल बहाना है। आयात और नियंत्रण से खाद्यान्न की समस्या कभी हल नहीं हो सकती।

सिंचाई और विद्युत् की समस्या इनकी क्षमता के उपयोग की समस्या नहीं बल्कि क्षमता बढ़ाने की समस्या है। ८० प्रतिशत सिंचाई क्षमता का उपयोग किया जा चुका है। पानी के बचत के साथ प्रयोग की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

केन्द्रीय जल विद्युत् आयोग को वैज्ञानिक ढंग पर पुनर्गठित करना चाहिये और क्षेत्र अनुभव के अधिकाधिक लोगों को नियुक्त करना चाहिये। पूना के जल अनुसंधान केन्द्र में अनुसंधान-कर्ताओं को प्रोत्साहन देना चाहिये।

श्री थामस का कहना है कि किसानों के लिए बिजली की दर ९ नये पैसे करने के लिए १,३०,००,००० रुपये की राजसहायता देनी होगी। कृषि उत्पादन के विकास के लिए यह राशि कुछ भी नहीं है।

कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और मैसूर में से गुजरती है। इससे बड़ी मात्रा में सिंचाई क्षमता पैदा की जा सकती है किन्तु मैसूर में केवल ५ प्रतिशत क्षमता उपलब्ध है। वह राज्य इतना पिछड़ा हुआ क्यों रह गया है ?

मैसूर राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में—विशेष रूप से बीजापुर और गुलबर्ग क्षेत्रों में—प्रायः दुर्भिक्ष की स्थिति रहती है। सरकार को चाहिए कि वह इस क्षेत्र के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था करे। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का अधिक से अधिक भाग सहायता के रूप में वहन किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार के साधन बहुत सीमित हैं।

मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में नदियों के जल के वितरण सम्बन्धी समस्या का अभी हल नहीं हो पाया है। नदियों के पानी का वितरण उचित आधार पर किया जाना चाहिए। पानी वितरण के समय सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र, कृषि योग्य क्षेत्र, जनसंख्या, जलग्रहण क्षेत्र, (कैचमेंट एरिया) तथा अन्य बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक क्षेत्र को नुकसान पहुंच कर दूसरे क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी देने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री सेलम और नागार्जुनसागर परियोजनाओं के विस्तार के बारे में उचित रूप से जांच की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में योजना आयोग पर किसी प्रकार का राजनैतिक दबाव नहीं होना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और अलमाटी बांध के निर्माण के कार्य की प्राथमिकता देंगे।

शरवती परियोजना की आठवीं, नवीं और दसवीं यूनिटों का कार्य बिना किसी शर्त के चालू किया जाना चाहिए। इन एककों द्वारा उत्पन्न की गई राज्य की आवश्यकता से अतिरेक बिजली दूसरे राज्यों को दी जा सकती है। मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देकर मैसूर राज्य के साथ न्याय का बर्ताव करेंगे।

श्री यलमंदा रेड्डी (मारकापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में भूमि की सिंचाई की दिशा में अधिक प्रगति नहीं हो पाई है। कृषि के प्रयोग में लाई जाने वाली कुल भूमि के केवल २० प्रतिशत भाग में सिंचाई की जाती है और इसके भी आधे ही भाग में अच्छी तरह सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो सकता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिए केवल ६०० करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे और अब तक केवल २९३ करोड़ रुपये सिंचाई के कार्य पर व्यय हो पाये हैं। आज जब देश के सामने खाद्यान्न का संकट है और देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विदेशों से लगभग १५० करोड़ रुपये का खाद्यान्न मंगाना पड़ रहा है, सरकार को उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई सम्बन्धी कार्य को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए और राज्यों को इस कार्य के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

मंत्रालय के सुझावों के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई सम्बन्धी कार्यों में २० प्रतिशत की कटौती की जानी थी। मंत्री महोदय को यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि आन्ध्र प्रदेश के मामले में सिंचाई की क्षमता में लगभग ५० प्रतिशत की कटौती क्यों की गई जब कि दूसरे राज्यों में यह कटौती केवल २० प्रतिशत की गई है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश में कई परियोजनाओं का कार्य चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप कोई परियोजना पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई है और इससे राज्य को किसी प्रकार का तात्कालिक लाभ नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के रूप में, नागार्जुन सागर परियोजना को ही लीजिये। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना होते हुए भी धन के अभाव में अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस परियोजना पर अब तक ६८ करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार इस पर १२ करोड़ रुपये और व्यय होंगे। इस परियोजना को पूरा करने के लिए यह अतिरिक्त राशि राज्य सरकार को शीघ्र ही जानी चाहिए जिससे यह परियोजना शीघ्र पूरी हो सके और लगभग ६ लाख एकड़ भूमि में तुरन्त सिंचाई हो सके। इससे देश की खाद्यान्न की स्थिति में किसी सीमा तक सुधार हो सकेगा।

कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी के वितरण संबंधी विवाद का आपस में बातचीत करके शीघ्र निबटारा किया जाना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का भावना प्रधान दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। नदी परियोजनाओं के विकास में जो अन्तर्राज्यीय विवाद सम्बन्धी बाधायें उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। जब तक यह कृष्णा-गोदावरी पानी विवाद नहीं निबटाया जाता है तब तक संबंधित राज्यों का विकास होना असंभव है।

प्रधान मंत्री द्वारा हाल में पोचमपद और श्री सेलम योजनाओं की नींव रखी जा चुकी हैं किन्तु इनका काम अभी तक चालू नहीं हो सका है। इन्हें चालू करने के सम्बन्ध में योजना आयोग तथा सरकार द्वारा अनेक प्रकार की शर्तें रखी जा रही हैं जिससे अभी तक कार्य चालू नहीं हो पा रहा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार के बार-बार प्रार्थना करने पर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वंशधारा परियोजना स्वीकार किये जाने पर भी योजना आयोग, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग आदि ने इस पर छः वर्ष से अब तक अपनी स्वीकृति नहीं दी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें जिससे इन परियोजनाओं का कार्य शीघ्र आरम्भ करने की अनुमति प्राप्त हो सके।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का भार एक योग्य इंजीनियर संभाले हुए हैं ।

यद्यपि परिवहन तथा उद्योगों के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का ही मुख्य स्थान है । देश के आर्थिक विकास में गति लाने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें केवल सिंचाई की क्षमता का निर्माण ही नहीं करना होगा अपितु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उस क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग हो । उद्योगों के विकास के लिए सस्ते से सस्ते साधनों से बिजली की व्यवस्था करनी होगी । इस सम्बन्ध में मंत्रालय को शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिएं ।

गत कुछ वर्षों में बड़ी परियोजनाओं सम्बन्धी कार्य बड़ा सराहनीय रहा है । इसके साथ-साथ देश में सिंचाई और विद्युत् के लिए अधिक से अधिक संख्या में छोटी तथा मध्यम परियोजनाएं चालू की जानी चाहिएं । इनसे अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाभ हो सकेगा । इन परियोजनाओं की छानबीन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये और छानबीन पूरी हो जाने पर इन्हें यथाशीघ्र पूरा किया जाये ।

बराक नदी पर मिट्टी का बांध बनाने का कार्य वर्ष १९५४ में आरम्भ किया गया था किन्तु यह अभी छानबीन की अवस्था तक ही पहुंच पाया है । यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाना चाहिये ।

विशेषज्ञों के अनुसार देश की कुल शक्ति के साधनों का $^{1}/_{4}$ भाग केवल आसाम में जल विद्युत, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि के रूप में प्राप्त हो सकता है । किन्तु इन साधनों का उपयोग करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं जिससे आसाम राज्य सब से पिछड़ा रहं गया है । वहां पर प्रति व्यक्ति सब से कम बिजली का उपयोग किया जाता है । गांवों की दशा और अधिक खराब है । आसाम को प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए वहां पर जल विद्युत् क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं । परियोजनाओं सम्बन्धी जांच पड़ताल का काम शीघ्र पूरा किया जाये और परियोजनायें तुरन्त क्रियान्वित की जायें ।

आसाम में छोटी बड़ी नदियां बहुत हैं । किन्तु नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई के काम में लाने के लिए विशेष कदम नहीं उठाये गये हैं । तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन से पता चलता है कि इस योजना के अन्त तक राज्य में नदी परियोजनाओं से केवल ७,००० एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है । यदि इन नदियों पर बांध बनाये जायें तो इनके पानी का प्रयोग बिजली और सिंचाई दोनों के लिए किया जा सकता है ।

आसाम राज्य में नदी परिवहन के विकास के लिए धलेश्वर नौपरिवहन योजना का काम शीघ्र आरम्भ करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिएं । पिछड़े इलाकों में जहां अन्य यातायात के साधनों का अभाव है, इस नदी परिवहन से काफी सहायता मिल सकेगी ।

आसाम में प्रति वर्ष बाढ़ से करोड़ों रुपये की फसलों तथा अन्य सम्पत्ति की हानि होती है । वर्ष १९५० से लेकर अब तक इन बाढ़ों से हुई हानि का औसत अनुमान ४.५० करोड़ रुपया प्रति वर्ष है । यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका हल राष्ट्रीय स्तर पर ही किया जाना चाहिये । बाढ़ों पर नियंत्रण रखने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीन उपाय किये जाने चाहिएं । ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के लिए एक बड़ी बहु-प्रयोजनीय नदी घाटी परियोजना अविलम्ब आरम्भ

की जानी चाहिए । चाहे इस कार्य पर कितना ही व्यय क्यों न करना पड़े, बाढ़ द्वारा प्रति वर्ष हो रही हानि को देखते हुए इस कार्य में और अधिक विलम्ब नहीं किया जा सकता ।

अन्त में मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस भाषण की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने मंत्री बनने से पहले सितम्बर, १९६२ में बाढ़ की स्थिति पर सभा में चर्चा के समय दिया था और कहा था कि बाढ़ों से हो रही हानि को रोकने के लिए बाढ़ों पर नियंत्रण रखना होगा ।

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : Acharya Vinoba Bhave has said that in the post-independence era all the benefit have gone to the urban people and that the fruits of independence have not been tasted by the rural population. Huge grants are being sanctioned in the name of the poor villagers but we do not know how much of it is really spent on them.

During the First Plan out of a target of 85 lakh acres, only 47 lakh acres were irrigated. Similarly. during the Second Plans. Our targets were 120 lakh acres, whereas only 105 lakh acres were irrigated. Similar is the expectation about the Third Plan. This is a feeble record of our achievements. In our country, we have rains only for 3 months in a year, If ample irrigation facilities are provided, we can produce more and thereby save crores of rupees being spent on the imported foodgrains. Even according to the yardstick of the Planning Commission we increase the production at the rate of 6 maunds per acre. Therefore, the Government should give more attention to this problem.

To avoid any dispute between the centre and the States, all the bigger projects should be placed directly under the Centre. Multipurpose projects can be very useful. By such projects we can provide ample irrigation and power facilities as well as save the country from the calamitous floods.

For industrial purposes the power is available at the rate of 3 Naya Paisa whereas a peasant has to pay for it at the rate of 9 Naya Paisa. I request that power should be given to the agriculturists at cheaper rates.

Water-logging is proving very harmful for the adjoining lands. It spoils the texture of production. Therefore attention should be given to this problem. The Irrigation Department should also see that water is supplied to the peasant in appropriate quantities.

We have not been able to achieve our targets regarding power production. During the Second Plan only 22.8 lakh K.W. of power was generated as against our target of 34.8 lakh K.W. Similarly, it seems that we will not be able to achieve the targets fixed for the Third Plan period. Per capita power consumption in U.S.A. is 8042 K.W., in Canada it is 5645 K.W. and in England it is 4925, but in India it is only 150 K.W. The economic condition of a people is determined by the power consumed by it. National income also depends upon it. Therefore, the Government should increase the per capita consumption of power in the country.

The power installation charges are also exorbitant in our country. Power generation also costs more in comparison with other countries. The Thermal Station designs should be produced by Indians. It will result in greater economy. Private Sector should also be allowed to generate electricity.

Rural electrification schemes should be implemented and without any delay. Unless power is made available in rural areas we can expect little improvement in the condition of the people there.

Adequate steps should be taken to control the floods.

Economy should be effect in expenditure. Qualified and experienced engineers should be entrusted with important tasks. Huge amounts were wasted on the construction of a bridge over Gangur Drain. This could be avoided by employing experienced people for the job.

श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह (राजनन्दगांव) : भूतपूर्व गृह-कार्य मंत्री, स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पंत, ने राज्यों के पुनर्गठन के समय १९५६ में इस सभा में कहा था कि मध्य प्रदेश संभाव्य संसाधनों से भरा राज्य बनाया जा रहा है। उन्हें आशा थी कि यह राज्य देश का सब से अधिक सम्पन्न राज्य होगा। किन्तु यह हमारे लिए एक स्वप्न मात्र बन कर रह गया है जिसकी निकट भविष्य में साकार होने की आशा नहीं है ।

सिंचाई के मामले में मध्य प्रदेश सब राज्यों में पिछड़ा हुआ है। तावा योजना को पिछले वर्ष लिया जाना था परन्तु संकटकाल के कारण उसे रद्द कर दिया गया। यह संतोष की बात है कि सरकार इस योजना के लिए अब और अनुदान देने जा रही है। खाद्य के मामले में मध्य प्रदेश को राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आदि का पोषण करना पड़ता है, फिर भी उसे रेंड, माताटीला और हीराकुड बांधों से पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं की गई हैं। केन्द्र को इस पर नियंत्रण रखना चाहिये या इस मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। दुर्ग में पिपरयानाला योजना का सर्वेक्षण किया गया था और उसे उच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। इसे तीसरी योजना में लिया जाना था। परन्तु मध्य प्रदेश सरकार ने इसे छोड़ दिया है। जब प्राथमिकतायें निर्धारित की जा चुकी हों और निर्णय लिये जा चुके हों तो योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना चाहये। केन्द्रीय सरकार को यह देखना चाहिये कि ऐसी योजनायें ठीक प्रकार से कार्यान्वित की जायें। दुर्ग की जनता की यह मांग है कि पिपरयानाला योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये।

दुर्ग में सूरी बांध है। गंडाई में अन्य बांध—मगुरदा बांध—का निर्माण किया जाना चाहिये और इन दोनों बांधों को नहरों द्वारा मिलाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में बड़ी परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। सरकार को इस मामले में जांच करनी चाहिये।

मध्य प्रदेश में बिजली पैदा करने की महान क्षमता को देखते हुए विकास की वर्तमान गति सन्तोषजनक नहीं है। क्योंकि राज्य में बिजली की बहुत कमी है। यह निर्णय करने के लिये कि नदी संसाधनों का सभी सम्बन्धित राज्यों के सर्वोत्तम लाभ के लिये किस तरह प्रयोग किया जाये एक योजना होनी चाहिये जो इस बारे में मार्गोपाय सुझायेगी। जहां कहीं भी ऐसी कठिनाइयां पैदा हों, वहां सभी सम्बन्धित राज्यों को मिल कर कोई उचित हल निकालना चाहिये।

श्री राजा राम (कृष्णगिरि) : सिंचाई तथा विद्युत् के मामले में द्वितीय योजना के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं ।

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी पीठासीन हुए]
SHRI SURENDRA NATH DEVIVEDY *in the Chair.*

तीसरी योजना में सिंचाई के लिये निर्धारित राशि में से अब तक केवल ४९ प्रतिशत राशि खर्च की गई है। मुझे इसमें संदेह है कि आगामी दो वर्षों में सिंचाई मंत्रालय सिंचाई का लक्ष्य पूरा कर लेगा। सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण ही खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों की कमी अनुभव की गई है ।

मद्रास राज्य को पीने के पानी का संभरण करने के लिये गुलाटी आयोग की सिफारिश को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। अतः माननीय मंत्री को इस मामले की जांच करनी चाहिये। मद्रास राज्य में पन-बिजली के संसाधन प्रायः समाप्त हो गये हैं। फिर भी ओह-नक्कल में एक पन-बिजली परियोजना चालू की जा सकती है और मद्रास राज्य के विद्युत् बोर्ड ने इस बारे में एक परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार किया है। यह मैसूर राज्य की सहायता से आरम्भ की जा सकती है। इस परियोजना से काफी बिजली पैदा की जा सकती है और इसे पैदा करने में खर्चा भी कम होगा। इस योजना पर केवल ५८ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मंत्री महोदय को इसके बारे में मैसूर राज्य से बातचीत करनी चाहिये और इस परियोजना के बारे में शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिये। अन्नमलाई विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर का यह विचार है कि देश की समस्त नदियों को नहरों द्वारा मिला दिया जाये। ताकि समूचा राष्ट्र सिंचाई सुविधाओं का लाभ उठा सके। योजना आयोग को इस सुझाव पर ध्यान देना चाहिये।

मद्रास राज्य में अधिक बिजली की जरूरत है। गांवों को बिजली देने के बारे में मेरे निर्वाचन क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। अतः वहां पर अधिक तापीय संयंत्र स्थापित किये जाने चाहियें। अणु शक्ति आयोग ने मद्रास के निकट कलापक्कम में एक अणु शक्ति स्टेशन की स्वीकृति दे दी है। इस मामले में शीघ्रता से कार्यवाही की जानी चाहिये। नेवेली परियोजना में ४०० मेगावाट का संयंत्र स्थापित करने की योजना है। यह मद्रास राज्य के विकास के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि ६०० मेगावाट का एक अन्य संयंत्र लगाया जाना चाहिये।

सिंचाई के मामले में मद्रास के अनेक जिले विशेषकर सेलम तथा रामनाथापुरम बहुत पिछड़े हुए हैं। लंका से और अधिक भारतीय वहां आ रहे हैं अतः सरकार को मद्रास राज्य में बिजली तथा सिंचाई की व्यवस्था करके उन लोगों की सहायता करनी चाहिये।

श्री स० प० स्वामी (टंकासी) : यह संतोषजनक बात है कि यह मंत्रालय राज्यों में नदियों के जल के बंटवारे के बारे में समझौता करने में सफल हुआ है। यह भी प्रसन्नता की बात है कि सिंचाई साधनों का ८० प्रतिशत तक उपयोग किया गया है। मेरा निवेदन है कि प्रादेशिक बिजली बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिये। इससे हम काफी पूंजी व्यय की बचत कर सकते हैं। फालतू जल के बंटवारे के बारे में मद्रास तथा केरल राज्यों में मैत्रीपूर्ण समझौता कराने के लिये मंत्री महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिये। फालतू जल मद्रास राज्य की ओर मोड़ा जाना चाहिये ताकि तिरुनेलवेली जिले के बंजर इलाकों में सिंचाई हो सके। योजनायें बनाते समय कीरियार योजना पर भी विचार किया जाना चाहिये।

नहर व्यवस्था को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ताकि उपलब्ध जल का पूरा लाभ उठाया जा सके।

कृषकों को दी जाने वाली बिजली के विभिन्न राज्यों में समान दर नहीं हैं। अतः कृषकों को समान तथा सस्ते दर पर बिजली दी जानी चाहिये ताकि उन्हें पैदावार बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन मिले। मद्रास में छोटे पन-बिजली संसाधनों की खोज की जानी चाहिये क्योंकि हम वहां के पन-बिजली संसाधन पहले ही जुटा चुके हैं। केन्द्रीय सरकार को मद्रास सरकार को तीसरी योजना में कलपक्कम

में अणुशक्ति स्टेशन स्थापित करने के लिये स्वीकृति देनी चाहिये ताकि वहां पर बिजली की कमी को पूरा किया जा सके। नेवेली तापीय संयंत्र का भी विस्तार किया जाना चाहिये।

धनुषकोडि में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये उपाय किये जाने चाहिये क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान है।

यदि गंगा तथा कावेरी को नहरों द्वारा जोड़ दिया जाये तो इससे बाढ़ को भी रोका जा सकेगा और उस क्षेत्र में जल परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध की जा सकेगी और सिंचाई भी की जा सकेगी। यह अधिक अच्छा होगा कि अन्तर्देशीय जल परिवहन सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को सौंप दिया जाये।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : राजस्थान नहर परियोजना अन्य परियोजनायों से भिन्न है। बस्ती बसाने तथा २८ लाख एकड़ बंजर भूमि की सिंचाई करने के लिये इसे अधिक धन की आवश्यकता होगी। पहले ही यह परियोजना निर्धारित कार्यक्रम से एक वर्ष पीछे चल रही है और डर है कि यह तीसरी योजना की शेष अवधि में और अधिक पिछड़ जायेगी। मुझे आशा है इस बात को दृष्टि में रखते हुए माननीय मंत्री योजना आयोग को इस परियोजना के लिये तुरन्त अधिक धन राशि निर्धारित करने के लिये राजी कर लेंगे।

राणा प्रताप सागर परियोजना को तीसरी योजना अवधि में ही पूरा किया जाना चाहिये।

राजस्थान में गांवों में बिजली पहुंचाने का काम बहुत ही धीमा रहा है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में, गांवों में बिजली लगाने का कार्य केवल ०.६ प्रतिशत है। देश भर में यह कार्य ७ प्रतिशत है। १६ मील के सीमा क्षेत्र में चुनावों के बाद से इस कार्य को नहीं किया गया है। सरकार को योजना के अनुसार कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिये। गावों में बिजली लगाने के कार्यों पर काफी धन व्यय किया जा रहा है, परन्तु सारी बातें राजनीतिक आधार पर हो रही हैं। मेरे विचार में गावों में बिजली लगाने के लिए जिलों को इकाई मानना चाहिए। इसके बिना हम प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं लगा सकेंगे।

ग्रिड प्रणाली के प्रश्न की ओर आता हूं। प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान को पंजाब जम्मू और काश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। परन्तु राजस्थान को १५ प्रतिशत बिजली चम्बल से प्राप्त होती है। हमें दोनों ओर से ५० प्रतिशत मध्य प्रदेश से प्राप्त होती है। अतः मैं इस ग्रिड प्रणाली को समझ नहीं सका। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस मामले में स्थिति को स्पष्ट कर करें और बतायें कि राजस्थान इस मामले में कहां है।

राजस्थान नहर के सम्बन्ध में मैं एक अन्य बात मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व सामान के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की कुछ रिपोर्ट मिली थी। यह राष्ट्र के हित के विरोध की बात है। हमें इस मामले में कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। साथ ही ७५ लाख की सभी नदी योजना पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। क्या इस बारे में राजस्थान सरकार ने कुछ नहीं किया।

गंगा नहर तथा राजस्थान नहर के बारे में जो बचन दिये गये थे वे पूरे नहीं हुए। पंजाब और राजस्थान इस बारे मे निरन्तर शिकायत कर रहे हैं। सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिए। सीमा पर बसने वाले किसानों की समस्याओं की ओर भी मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए। मेरा यह भी निवेदन है कि राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : देश में कृषि उत्पादन की कमी है। यदि हम चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े और वर्तमान मूल्यों के स्तर बने रहें तो हमें सिंचाई परियोजनाओं की ओर ध्यान देना होगा। विभिन्न राज्यों में जो सिंचाई परियोजनायें चल रही हैं उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र कार्यान्वित करना होगा। यह बात उन राज्यों के लिये विशेष रूप से जरूरी है जहां सघन खेती की जा रही है। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि उसे इस कार्य के लिए तुरन्त धन देना चाहिये। यह कितने खेद की बात है कि आज भी हम १८० करोड़ रूपये का आनाज मंगवा रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार करे जिस से दस करोड़ अथवा अधिक लागत वाली परियोजनाओं को स्वयं पूरा करे। ताकि राज्यों के कम साधनों पर अधिक भार न पड़े। वैसे विकल्प रूप से राज्यों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अधिक धन दिया जाय। मेरा यह भी निवेदन है कि यदि नगारजुनासागर तथा पोचमपद परियोजना की कार्यन्वित के लिए अधिक धन दिया जाय पतो सारे देश मे खाद्य की कमी दूर हो हो सकती है। यदि अतिरेक वाले क्षेत्रों को अधिक धन दिया जाय तो वह तुरन्त नफा देंगे।

इस वर्ष बाढ़ों के कारण करोड़ों रूपये का खाद्य नष्ट हो गया है। यदि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था की रक्षा करना चाहते हैं तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सम्बद्ध परियोजनाओं की ओर ध्यान देना ही होगा। राज्यों को उस भार से मुक्त कर देना चाहिए ताकि वे अपना समय अन्य कल्याण कार्यों पर लगा सकें।

Shri Kachhavaiya (Dewas) : May I raise point of order Sir ? There is a great demonstration by the women outside the Parliament House. I place their memorandum before the house. I think it is necessary to adjourn the House for sometimes and hear their grievances.

Shri Bade (Khargone) : Thousands of ladies from the respectable families have come with their grievances. Government should hear what they say. As Government is showing callous indifference towards their demand, as a protest I stage a walk out.

इसके पश्चात् श्री बड़े सभा भवन से बाहर चले गये

सभापति महोदय : माननीय सदस्य की प्रार्थना को नोट कर लिया गया है। यदि मंत्री महोदय प्रदर्शन कारियों की बात सुनना चाहें, तो जरूर जाकर सुन सकते हैं।

Shri Bagri (Hissar) : Sir, My point of order is that this is Lok Sabha, and everybody should be given the opportunity to be heard. Thousands of laides have come in the procession. They should be afforded an opportunity to be heard. For this purpose House may be adjourned.

Shri Kachhavaiya : I again urge that they may be heard.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है । कृषि मंत्री को उनकी शिकायतें सुननी चाहियें ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं इसका विरोध करता हूं ।

सभापति महोदय : सदन की इच्छा के अनुसार इस चर्चा का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाता है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) :

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

I have to state this with great regret that our Ministry has failed in carrying out its duties regarding the problems connected with droughts and floods. Until and unless we eradicate the evil of Pomp and show it is not possible to attain any success in releasing our agriculture from the grip of the vagaries of nature. The Government has also failed to arrange the supply of cheap power to the country. We have created some irrigation Potential in the country. It is a pity that that irrigation Potential is not being used to its entire capacity. So much so that the pace towards the creation of that Potential had become very slow. Nobody in the country knows the benefit we have derived out of these dams etc. Therefore it is submitted t hat the Government must assess the relative merits and demerits of the multi-purpose projects before they proceed further in this connection.

In my opinion the greatest and the worst thing in this connection has been the loss of very valuable agricultural lands, which has been submerged due to these projects. I think it would be better if we took recourse to minor irrigation Schemes in place of these projects. On big projects we have spent huge sum of money but the real object has not been achieved. Wells should be digged in the villages, canals should be constructed in the hilly areas or sandy regions. Provision of money should be made for the digging of wells.

If after the experience of 16 years we have come to the conclusion that these big projects have given us nothing then we should change our policy. After the question of irrigation comes the question of flood control. This is also the responsibility of the this ministry. Every year this problem is discussed in the House but nothing has been done so far. Floods still endanger the large part of the Country. It is requested that this problem should be properly surveyed and adequately assessed. Similarly the problem of water logging should also be tackled. This problem also is assuming serious proportion. This should also be arranged that the power should be supplied throughout the country at uniform rates, it should be supplied to the peasants at a no-profit-no-loss basis.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : The area which I have the honour to represent is full of dams and canals. But it is facing a serious problem of water-logging. If this problem of seepage of water from the canals in Rajasthan is not satisfactorily solved, there is a great danger of the houses in the villages along the canals of falling down. So the problem should be tackled on an emergency basis.

There are areas where the canals have been constructed, but the power is not available. Due to this it is not possible to do lift irrigation. The Government should make such arrangements that adequate supply of power may be available. In this way the lift irrigation will be done and the potential created by the canals may be usefully utilized. Farmers will thus get some solace. There is a great need of protecting the Kotah town from the waters of the Chambal project. Some works should be undertaken, it would be better if an embankment was constructed. There are complaints of the misuse of Government property and funds which should be looked into. Wrong expenditure should also be cutrailed. The money set apart for creating additional irrigation potential should be properly and carefully utilized. No wastage should be allowed in this direction.

Proper attention should be given to the Rajasthan Canal. It is requested that top priority should be given to it, so that the problem of the perennially. Scarcity stricken areas of Rajasthan may be solved together with that I may say that rural electrification programme is very necessary in Rajasthan. It should be intensified in the state. With this alone there will be some progress of small scale Industries. People there should also get water from the canals.

Shri Kachhavaiya : I raise a point of order.***

उपाध्यक्ष महोदय : शांति शांति । यह सब कार्यवाही में नहीं जायेगा ।

Shri Sheo Narain (Bansi) : I represent the area which is situated on the border of Nepal. Here Ghagra and Rapti rivers meet. Speaking on the budget I told the house that by speding out 80 crores, you can bring the rivers of eastern region under control. And this can solve the major problem of the people of this area. No member from U.P. has drawn the attention of the Government towards the irrigation problems of Bundelkhand.

Government has to spend so much money on Baghera Tal, my submission is that if the Baghera Tal is developed the whole area in the eastern part of Uttar Pradesh could be irrigated. Instead of constructing tubewell you can use its water. If the rivers in east U.P. are properly controlled the problem of floods in this region can be satisfactorily solved. The Government should therefore take up this work satisfactorily. By doing this the misuse of the flood water can also be avoided. Also the steps should be taken to control the Gogra river.

I welcome the bueget I submit that if you arrange electricity for the eastern region the small scale Industries can develop, which will some how remove the poverty from the area. I support the demands.

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : जिन सदस्यों में वाद-विवाद में उपयोगी सुझाव दिये हैं, मैं उनका आभारी हूं । मैं यथासंभव अधिक से अधिक बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, परन्तु यदि मैं किसी बात का उत्तर न दे सकूं, तो मा० सदस्य मेरे साथ उन बातों के बारे में चर्चा कर सकते हैं ।

***कार्यवाही के वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

इस मंत्रालय की इस वर्ष की अनुदानों की मांगें ३१ करोड़ रुपये की हैं, परन्तु मा० सदस्यों ने ४०४ करोड़ रुपये की सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं के संबंध में चर्चा करके प्रगति के बारे में अपनी रुचि अभिकृत की है ।

इस मंत्रालय का तीन परियोजनाओं से प्रत्यक्ष संबंध है, त्रिशूली (नेपाल), फरक्का बांध और दामोदर घाटी परियोजना । त्रिशूली परियोजना में प्रगति खूब अच्छी हुई है और आशा है कि वह इस वर्ष कार्य आरम्भ कर देगी । परन्तु दुख है कि फरक्का बांध का काम संतोषपूर्ण नहीं और वहां अधिक प्रगति नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी । अतः वहां काम को तेज करने और कार्य की गति को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया जाएगा और यथासंभव कार्रवाई की जाएगी । दामोदर घाटी निगम की स्थिति यह है कि जिन उद्देश्यों के लिये बनाई गई थी, वे उद्देश्य प्रायः पूरे हो चुके हैं, इसलिये सरकार ने अब यह फैसला किया है कि उस परियोजना के कार्यों के संबंध में पुनर्विचार किया जाए और तदनुसार निगम का पुनर्गठन किया जाए । इस बात को ध्यान में रखते हुए दामोदर घाटी निगम से जिन जिन राज्यों का संबंध है, उनके साथ परामर्श तथा विचार विनियम किया जा रहा है । यदि इस निगम के कार्यों में परिवर्तन होने या निगम के ढांचे में अन्तर आने के कारण वहां के कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक पाये जाएंगे, तो उनको अन्य कामों पर लगा लिया जाए, और उनको बेकार न रहना पड़े । सरकार इस बात के लिये तैयार है कि किसी भी कार्मचारी के वेतन में कोई अन्तर न आए और उसे किसी भी प्रकार हानि या कष्ट न उठाना पड़े । सरकार इस मामले में अपने उत्तरदायित्व को समझती है ।

सिंचाई की समस्या को लीजिये, जिस के महत्व पर सभी सदस्यों ने जोर दिया है सरकार इस बात की व्यवस्था करना चाहती है कि देश में पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिये ताकि हमारी खेती बाड़ी को मौसम के प्रकोप पर निर्भर न रहना पड़े । हमें अपने संसाधनों का विकास करना हैं और हमेशा विदेशों से अन्न नहीं मंगवा सकते । हमें आत्म निर्भर बनने के लिये प्रयत्न करना होगा ।

इस मंत्रालय ने सिंचाई संबंधी क्षमता का एक सर्वेक्षण देश भर में किया था, और उसके अनुसार ३२४० लाख एकड़ भूमि खेती बाड़ी के योग्य पाई गई । उस में से केवल १८७० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई का प्रबंध है, जिस में ११२० लाख एकड़ भुमि बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत सींची जा सकती है और केवल ७५० एकड़ भुमि छोटी सिंचाई योजनाओं द्वारा सींची जा सकती है । हमारी कुल ५४३ बड़ी और मध्यम योजनाए यदि सब पूरी हो जाएं तो हम ४४० लाख एकड़ भुमि को सींचने की क्षामता स्थापित कर सकते हैं । अभी तक क्षमता केवल १६३ लाख एकड़ की है । हमें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अधिक परियोजनाओं को लेना पड़ेगा । परन्तु वर्तमान परियोजनाओं को पूरा करने के पश्चात् ही संभव होगा । इस समय हम ६०० करोड़ रुपये तीसरी योजना में खर्च कर रहे हैं और ७४० करोड़ रुपये की आवश्यकता चालू की गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिये होगी । यदि हमें धन उपलब्ध हो, तो हम मध्यम तथा बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत अधिक सिंचाई क्षमता बना सकते हैं । इस समय हमारी ८०० लाख एकड़ सिंचाई क्षमता है और हम १९६९ तक इसको १००० लाख एकड़ क्षमता तक बढ़ाने के लिये उत्सुक हैं । यह कार्य पूरा करने पर हमें आशा है कि हम खाद्य के मामले में स्वावलम्बी हो सकेंगे ।

सिंचाई संबंधी क्षमता का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, वह पूरा नहीं हो पाया । इसका कारण यह है कि विविध परियोजनाओं का व्यय बढ़ गया है । परन्तु फिर भी सरकार राजस्थान नहर और चम्बल परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के काम को तेज करने और इनकी प्रगति में शीघ्रता लाने के लिये प्रयत्नशील हैं । इन परियोजनाओं के संबंध में विचार करने के लिये

सलाहकार इंजिनियरों का एक दल नियुक्त किया गया है और मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार को भी कहा गया हैं कि वह नागार्जुन सागर परियोजना के वित्तीय संसाधनों आदि के संबंध में विचार करे। इसी उद्देश्य से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को कहा गया है कि कोसी परियोजना के संबंध में अध्ययन करे जिससे १४ लाख एकड़ अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न होगी। तीसरी योजना के २९० लाख एकड़ की सिंचाई के लक्ष्य में से केवल २३० लाख एकड़ सिंचाई की संभावना है क्यों कि लागत में ४०–५० प्रतिशत तक वृद्धि हो गई। हमें प्रत्येक प्रयत्न के द्वारा अपने जल संसाधनों का उपयोग बढ़ाने का प्रयत्न करना होगा।

पहली योजनावधि के मुकाबले में सिंचाई क्षमता के उपयोग में काफी अधिक वृद्धि हुई है। पहले यह ४८ प्रतिशत थी और अब ८२ प्रतिशत हो गई है। उपयोग में इस कारण भी कमी रही क्योंकि बहुत से जलाशयों को अपेक्षित स्तर पर बनने में काफी समय खर्च हो गया। नालों का निर्माण करने में और माताटीला बांध के लिये द्वार लगाने में भी विलम्ब हो गया। इस के कारण भी जल का उपयोग करने में कमी रही। परियोजनाओं की स्थिति और हमारे संसाधनों को देखते हुए इससे अधिक कार्य संभव नहीं था। भाखड़ा जलाशय गत वर्ष ही पूरा हुआ और अब १६४० फुट तक पहुंच गया है। सतलुज इसको एक वर्ष में नहीं भर सकता। अतः जल के उपयोग की कमी के बारे में हमें असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं। तथापि सरकार उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता को अनुभव करती है। गुजरात में भी माही आदि परियोजनाओं के जलका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया। जलसंग्रह व्यवस्था की अपूर्णता के कारण भी जल का उपयोग पूरा नहीं हो पाया। कुछ परियोजनाओं में क्षमता स्थापित की गई हैं, परन्तु उनमें जल न होने के कारण उपयोग का प्रश्न नहीं उठता। यही स्थिति पश्चिम बंगाल की है और तुंगभद्रा की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। परन्तु कहीं कहीं पर जल का उपयोग काफी अच्छा हुआ है। इस समय हम जल के उपयोग पर इतना ध्यान नहीं दे सके, हमारा ध्यान सिंचाई क्षमता स्थापित करने पर अधिक है।

श्री प्र० के० देव : मेरे राज्य में इतना अधिक खर्च नालों पर किया गया। परन्तु परियोजना टिक्करपाड़ा बांध के जल में डुबी हुई है।

डा० कु० ल० राव : वह परियोजना निर्माणाधीन है और उसे पूरा होने में कई वर्ष लगेंगे। यह जलमग्न नहीं। इसका कारण कुछ और है।

मा० सदस्यों ने जल के दामों और संबंधित समस्याओं की बात उठाई है। इसके संबंध में मैसूर के मुख्य मंत्री के सभापतित्व में एक समिति बनाई गई है जो सिंचाई दरों और तत्संबंधी प्रश्नों पर विचार करेगी। इस समिति की रिपोर्ट छः महीनों में या एक वर्ष में प्राप्त हो जाएगी। अतः इस समय मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। श्री देव ने कहा है कि गुजरात में राशि पहले ले ली जाती है। परन्तु गुजरात के मंत्री ने इस बात का खंडन किया।

सिंचाई क्षेत्र में प्रादेशिक असंतुलन की बात उठाई गई है। इसके लिये मैं बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्र सिंचाई की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उनमें नवीन परियोजाएं मंजूर करने की आवश्यकता थी, अतः सरकार नवीन परियोजनाओं को मंजूरी देना चाहती थी। एक सर्वेक्षण किया गया है, जिससे पता चलता है कि पंजाब, मद्रास, केरल तथा जम्मू तथा काश्मीर तीनों योजनाओं की परियोजनाओं के पूर्ण होने पर अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करेगी। उनके पास क्षमता फालतू नहीं रहेगी।

नदी जल विवादों की बात कुछ सदस्यों ने उठाई है । अन्तर्राज्य नदी जल विवादों को सुलझाने के लिये किये गये प्रयत्न बड़ी मात्रा में सफल हुए हैं और आशा की जाती है कि जो विवाद अवशिष्ट हैं, वे भी शीघ्रातिशीघ्र हल हो जायेंगे ।

अलग अलग परियोजनाओं के संबंध में इतनी बातें कहीं गई हैं कि मैं उनका उत्तर देने में असमर्थ हू । तथापि मैं प्रत्येक सुझाव पर विचार करूंगा ।

पश्चिम बंगाल में नदियों में नौवहन संभव हैं, परन्तु दामोदर घाटी निगम नहर में नौवहन नहीं होता । इसका विकास होने पर इसमें उपयोगी नौवहन हो सकेगा । राज्य सरकार ने एक बोर्ड स्थापित किया है ।

श्री देव ने चित्तूर जिले में बहुउद्देश योजना का उल्लेख किया । वह योजना छोड़ दी गई है, क्योंकि उस पर लागत अधिक आती है । अब इसके बारे में पुनर्विचार करने के लिये राज्य सरकार से कहा जाएगा ।

श्री हिम्मतसिंहका ने सन्थाल परगना का उल्लेख किया । कुसुम घाट में स्थानीय समस्या है । उस को हल करना चाहिये ।

श्री इकबाल सिंह ने अपने बांध के बारे में कहा है । उसके लिये धन की समस्या है । रावी के जल को बांध का देश के उपयोग में लाने की जरूरत है । इन सब परियोजनाओं के संबंध में प्रयत्न किया जाएगा ।

श्री बासप्पा ने अल्पाती बांध के बारे में कहा । बीजापुर में अकाल पड़ने के कारण वहां शीघ्र जल की व्यवस्था करने की जरूरत है । अतः वहां के लोगों को बेकार भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिये।

श्री वेंकटासुब्बया ने रायलसीमा क्षेत्र के बारे में कहा । उस के बारे में राज्य सरकार से बात-चीत करने की जरूरत है ।

डा० अणे ने वान गंगा परियोजना का उल्लेख किया है । मैं महाराष्ट्र सरकार से कहूंगा कि वे वैकल्पिक स्थान ढूंढने का प्रयत्न करें । यदि हम वानगंगा, और गोदावरी परियोजनाओं को बना सकें तो मध्य भारत से बंगाल की खाड़ी तक नौवहन संभव होगा । मुझे श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा उल्लेखित तावा परियोजना के साथ सहानुभूति हैं । अब उसकी गति बढ़ने की आशा दिखाई देती है । पिपराय नाला परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये भी प्रयत्नकिया जाएगा ।

अब मैं बाढ़ समस्या के संबंध में करूंगा । बाढ़ नियंत्रण कार्य को राष्ट्रीय समस्या के रूप में गत दस वर्षों से हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है । देश में बाढ़ों को बिल्कुल तो रोकना असंभव है, परन्तु बाढ़ों के कारण होने वाली हानि एव क्षति को कम अवश्य किया जा सकता है । प्रयत्नों के द्वारा इसी दृष्टिकोण से देश के छटे भाग का फोटोग्राफी के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है । राज्यों के लिये ११० करोड़ रुपये का नियतन किया गया था, जिसमें से आधे से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है । आसाम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खर्च किया जा चुका है । पूर्वी भारत के राज्य असम को नदी बारक के द्वारा होने वाली बाढ़ को रोकने के लिये उपायों का विचार कर रहो हैं । परन्तु इन पहाड़ों पर चट्टानें न होने के कारण बांध बांधना कठिन है । ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा होने वाले बाढ़ों की समस्या बड़ी भयानक है, उनके कारण बड़े विस्तृत भभाग को हानि पहुंचती है । इन दोनों नदियों की बाढ़ों को रोकने के लिये समुचित कार्रवाई करने के निमित्त असम में एक मुख्य इंजीनियर पृथक से नियक्त किया गया है । ब्रह्मपुत्र के

संबंध में तो केन्द्रीय सरकार जल संबंधी व्यवस्था करने का विचार कर रही है। पहले तो चीनी लोग इस नदी के स्रोत से इसके जल प्रवाह के बारे में सूचना दे दिया करते थे, परन्तु अब वे सूचना नहीं देते। इसलिये हम अपनी जल माप संबंधी प्रबंध करना होगा, ताकि इस नदी से होने वाली हानि की संभावना की पूर्व सूचना प्राप्त हो जाए और सरकार तथा जनता बचाव के उपाय कर सके। हम नेफा क्षेत्र में अपनी कुछ चौकियां बना रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

१९६४-६५ के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति तथा आयात व्यापार नियंत्रण नियम एवं प्रक्रिया पुस्तिका, १९६४

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं आपकी अनुमति से अप्रैल १९६४ से मार्च १९६५ तक की अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति (लाल पुस्तक) तथा आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा प्रक्रिया पुस्तिका, १९६४, दोनों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये क्रमश संख्या एल० टी० २६०८/६४ तथा २६०९/६४]

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANT

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा माननीय मंत्री का भाषण समाप्त होने और मांगों के पारित होने तक बैठेगी।

श्री रंगा (चित्तूर) : नाली व्यवस्था के बारे मे क्या किया जा रहा है?

डा० कु० ल० राव : बिहार के बारे में मैं कहूंगा कि गत वर्ष कोसी नदी डलना के स्थान पर टूट गई और बड़ी परेशानी पैदा हो गई थी। अतः वहां भूमि अधिग्रहण करने और बांध बनाने के लिये नेपाल सरकार की अनुमति प्राप्त की गई। अब बांध बन रहा है और पूरा होने के पश्चात् कोई परेशानी नहीं रहेगी।

उत्तर बिहार में बूटा गंडक, भागमती आदि नदियों के कारण बड़ी समस्या है। ये उस क्षेत्र में गंगा में आ मिलती हैं और गंगा में बाढ़ होने के कारण इस पानी को निकालना संभव नहीं है। इस गम्भीर समस्या पर बहुत विचार करने की जरूरत है।

पूर्वी उत्तर पूर्वी के समूचे क्षेत्र में बाढ़ आती हैं, एक तो गंडक नदी के फालतू जल के कारण और दूसरे राप्ती नदी के कारण। ये दोनों नदियां मिल कर जल की चादर बन जाती हैं। यह बड़ी भयानक समस्या है। समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये।

नेपाल बांध के लिये नेपाल सरकार ने जमीन दे दी है और आशा है कि काम शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। इसके पूरा हो जाने से उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रदेश में बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलेगी।

यदि इस वर्ष वर्षा कुछ देर से आरम्भ हुई तो नजफगढ़ नाले का काम इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा जिससे पंजाब तथा दिल्ली को काफी राहत मिलेगी। यमुना नदी के पानी के बाहर फैलने से यमुना बाजार आदि के लोगों को जो मुसीबत पैदा होती है उसे दूर करने के लिये यमुना नदी के साथ साथ एक दीवार बनाने का विचार है और आशा है कि इस वर्ष ऐसी कोई मुसीबत पैदा नहीं होगी।

घग्गर नदी पंजाब तथा राजस्थान दोनों के लिये परेशानी का कारण बनी हुई है। इस नदी का पानी निकालने के लिये कोई रास्ता नहीं है। यह एक निराली बात है कि पंजाब की सिंचाई प्रणाली में नालों की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण मिट्टी में खारापन आ जाता है और पानी भर जाता है। पंजाब सरकार नालों की व्यवस्था करने पर २० करोड़ रुपया खर्च कर रही है। ये नाले राजस्थान के लिये मुसीबत पैदा करते हैं क्योंकि सारा जल राजस्थान में से होकर गुजरता है। अभी हाल में राजस्थान तथा पंजाब के मख्य मंत्रियों की इस बारे में बैठक हुई थी और उनमें कुछ समझौता हुआ है। हम इन क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और इस बारे में पूर्ण रूप से समझौता हो जाने की आशा है।

बाढ़ की समस्या का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है और बिहार राज्य के मंत्री श्री एम० पी० सिंहा इसके संयोजक हैं और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अनेक मंत्री इसके सदस्य हैं। बाढ़ से हुई हानि का ठीक ठीक मूल्यांकन करना जरूरी हो गया है अत : यह काम राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् (नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकानमिक रिसर्च) को सौंप दिया गया है। वह किसी एक राज्य को बाढ़ से हुई हानि का मूल्यांकन करेगी और इस बारे में एक मानक बनायेगी।

केरल में समुद्र से होने वाले भूमि कटाव की समस्या बड़ी गम्भीर है। इस बारे मे हम किसी नये तरीके का प्रयोग करना चाहते हैं। इसीलिये हमने अमरीका से एक विशेषज्ञ को बुलाया था। उसने इस समस्या का अध्ययन करके एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिया था। कल ही हमें उसका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस कार्य के लिये एक अन्य विशेषज्ञ भी बुलाया गया था और वह इस समय केरल में है। अमरीकन "आर्टिफिशियल नरिशमेंट" प्रणाली द्वारा पुराकाडू तथा मुडालपुजी में भूमि कटाव को रोकने का प्रयोगात्मक कार्य आज आरम्भ कर दिया जायेगा।

श्री जसवन्त मेहता : भोपाल सम्मेलन में निर्णय किये जाने के पश्चात् नर्मदा परियोजना किस अवस्था में है?

डा० कु० ल० राव : मध्य प्रदेश सरकार ने गुजरात की नवगांव परियोजना के बारे में जानकारी मांगी थी। वह उनको दे दी गई थी। उन्होंने इसका अध्ययन करने के लिये एक महीने की अवधि मांगी थी। इस बारे में ८ अप्रैल को बैठक बुलाई जा रही है और आशा है कि नर्मदा परियोजना के बारे में शीघ्र ही समझौता हो जायेगा। नर्मदा परियोजना को चौथी योजना में बड़े पैमाने पर हाथ में लिया जायेगा।

यह उचित ही है कि माननीय सदस्यों ने बिजली के महत्व पर अधिक जोर डाला है क्योंकि बिजली की प्रति व्यक्ति खपत राष्ट्र की समृद्धि की द्योतक है। तीसरी योजना के अन्त तक ५० लाख किलोवाट बिजली के अतिरिक्त उत्पादन से केवल चार राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर

प्रदेश तथा राजस्थान में ही बिजली की कमी महसूस की जायेगी। बिजली की प्रति व्यक्ति खपत तीसरी योजना के अन्त तक आसाम राज्य में ५८, बंगाल में १७८, आँध्र प्रदेश में ४९, उत्तर प्रदेश में ५४ और बिहार में १३१ होगी जबकि अखिल भारतीय आधार पर प्रति व्यक्ति खपत १०० होगी। यह दुर्भाग्य की बात है कि केवल उत्तर बिहार के लिये यह संख्या २९ होगी। चौथी योजना में इन असमानताओं को दूर करने की कोशिश की जायेगी।

श्री विभूति मिश्र : उत्तर बिहार में बिजली सस्ते दरों पर देने के लिये क्या किया जा रहा है ?

डा० कु० ल० राव : उत्तर बिहार में बिजली का दर इस समय २९ नये पैसे है। बरौनी से बिजली उपलब्ध होने से उत्तर बिहार के आधे भगग में बिजली १५ नये पैसे की दर से दी जाती है, जो दर दक्षिण बिहार में लागू है। उत्तर बिहार के शेष भाग में दरों को शीघ्र कम करने के लिये राज्य सरकार कोशिश कर रही है।

तीसरी योजना अवधि के अन्त तक हम १२५ लाख किलोवाट बिजली की उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लेंगे। आगामी दो वर्षों में हम पूरे प्रयत्न करेंगे कि विभिन्न परियोजनायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जायें।

इस मंत्रालय के प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि दो ग्रिड बनाये गये हैं परन्तु इस प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद सारे देश में पांच ग्रिड बना दिये गये हैं। कुछ राज्यों द्वारा इन ग्रिडों के बनाये जाने के बारे में आपत्ति की गई है। इसका कारण यह है कि प्रादेशिक ग्रिड के लाभों से लोग अभी अवगत नहीं हैं। अमरीका, ब्रिटेन, रूस, आदि में इस प्रकार के ग्रिड हैं और वे इनसे बनी किसी अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता के अधिक बिजली पैदा करने में सफल हुए हैं। हम अपने इंजीनियरों को इस बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाहर भेज रहे हैं। आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक अखिल भारतीय ग्रिड बन जायेगा।

यह आश्चर्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में, जहां बिजली की प्रति व्यक्ति खपत सब से अधिक है, जहां तक गांवों के विद्युतीकरण का प्रश्न है तीसरी योजना के अन्त तक केवल १ प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाई जा सकेगी। मद्रास इस मामले में सब से आगे है। वहां पर तीसरी योजना के अन्त तक ५५ प्रतिशत गांवों को बिजली उपलब्ध की जा सकेगी। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब तक गांवों में बिजली नहीं ले जाई जायेगी गांवों का विकास नहीं किया जा सकता। गांवों के विद्युतीकरण से बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक हल की जा सकती है। मुझे विश्वास है कि हम तीसरी योजना के लक्ष्य को पूरा कर लेंगे और २०,००० गांवों को बिजली से दे सकेंगे। केवल आसाम के मामले में लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकेगा। इस मामले की ओर मैं पूरा ध्यान दूंगा और इस बारे में राज्य सरकार से विचार विमर्श किया जायेगा। हम तीसरी योजना के अन्त तक केवल ८ प्रतिशत गांवों में बिजली की व्यवस्था कर सकेंगे। यह समस्या बहुत जटिल है क्योंकि इस पर बहुत खर्च आता है। १९३५ में अमरीका में भी यही कठिनाई अनुभव की गई थी जबकि वहां पर गांवों को बिजली देने का कार्य हाथ में लिया गया था। हाल ही में हुई विचार गोष्ठी (सैमिनार) में जिसमें लगभग १०० संसद्-सदस्य ने भाग लिया था बहुत मूल्यवान सुझाव दिये गये हैं। उनकी जांच की जा रही है। सब माननीय सदस्यों ने यह इच्छा व्यक्ति की थी कि चौथी योजना में यदि १ १।२ लाख नहीं तो कम से कम एक लाख गांवों को बिजली दी जानी चाहिये परन्तु इसके लिये हमें अपनी

निर्माण लागत को कम करना होगा ।

श्री रंगा (चित्तूर) : लोहे के खम्भों की बजाय लकड़ी के खम्भों का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

डा० कु० ल० राव : हाल ही में बंगलौर में स्थापित की गई बिजली अनुसंधान संस्था को गांवों में बिजली लगाने की समस्या की जांच का काम सौंप दिया गया है । कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों की दृष्टि से देहातों में बिजली लगाना बहुत जरूरी है ।

बिजली अधिक पूंजी वाला उद्योग है । इस कारण इसमें कुछ लाभ अवश्य होना चाहिये ताकि इसका निरन्तर विकास हो सके । हमारे जैसे अल्प-विकसित देश के लिए विद्युत् उद्योग का विकास बहुत जरूरी है । इसके साथ साथ उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिए बिजली के दर सस्ते होने चाहिये । अतः बिजली की दरों की जांच करने के लिए विद्युत् मंत्रियों की एक समिति बनाई गई है जो अपना काम अच्छी तरह कर रही है ।

पन-बिजली का आजकल अधिक महत्व है । यह पीक लोड के समय बिजली की अधिक मांग की पूर्ति कर सकती है अतः पन-बिजली के समूचे संसाधनों का जुटाना जरूरी है । देश में इस समय ६१ बिजली घर बन रहे हैं और ४६ चौथी योजना में बनाये जायेंगे । प्रत्येक बिजली घर को चलाने के लिए २५० आपरेटरों तथा अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । इन व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए बम्बई तथा नेवेली में दो प्रशिक्षण संस्थायें खोली जायेंगी ।

बिजली घरों में आयात की गई मशीनों को लगाने में बहुत खर्च आता है अतः अपने देश-वासियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाना बहुत जरूरी है ताकि काफी विदेशी मुद्रा बचायी जा सके । बिजली घरों के डिजाइनों की लागत कम करने के उद्देश्य से केवल डिजाइन सम्बन्धी कार्य के लिये केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में एक अलग विभाग खोल दिया गया है ।

बिजली घरों, प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य संगठनों को चलाने के लिए हमें विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता है अतः इस बारे में कार्यवाही की जा रही है । विद्युत् और सिंचाई मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के बीच पत्र-व्यवहार तथा देरी को कम करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : क्या मंत्री महोदय टीकरपारा परियोजना के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करेंगे ?

डा० कु० ल० राव : मैं श्री महताब के इस सुझाव से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि प्रत्येक बड़ी परियोजना चालू करने से पहिले उसके बारे में विस्तारपूर्वक जांचपड़ताल की जानी चाहिये ।

इस परियोजना के बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । जहां तक केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का प्रश्न है, यह सभी माननीय सदस्य जानते है कि यह संस्था

परामश देती है। उड़ीसा सरकार ने इस आयोग से बांध के डिजायन सम्बन्धी सहायता मांगी थी। इसलिए इसने परियोजना की विस्तार पूर्वक जांचपड़ताल नहीं की। जितनी सहायत आयोग से मांगी गई थी वह आयोग ने दे दी।

श्री बासप्पा : शरवती परियोजना के आठवें, नवें और दसवें एककों के चालू करने की अनुमति के बारे मे स्थिति क्या है ?

श्री विभूति मिश्र (मंतीहारी) : सिंचाई और विद्युत् मंत्री महोदय कहते हैं कि गंडक परियोजना बहुत लाभप्रद परियोजना है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना का कार्य केन्द्रीय परियोजना के रूप में कब चालू किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : जहां तक आठवें, नवें और दसवें एककों को चालू किये जाने का सम्बन्ध है, कठिनाइयों को दूर किये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि कार्य बिना किसी शर्त के चालू हो जायेगा।

मैं अपने भाषण में इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि माननीय सदस्य की यह मांग उचित है कि गंडक परियोजना का काम यथाशीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमने वित्तीय सलाहकार से यह कहा है कि वह विस्तारपूर्वक जांच पड़ताल करके हमें इसके बारे में एक रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही हम निर्णय करेंगे कि इस बारे में क्या कदम उठायें।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : It was expressed at the meeting of the Minister of Irrigation and the Chief Minister of Rajasthan that the Chambal Probjects and similar other projects may be handled by the Central Government. What is the reaction of the Central Government in this regard.

डा० कु० ल० राव : चम्बल परियोजना का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। इसलिए इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : क्या सरकार को इस समस्या का पता है कि आसाम में विद्युत् परियोजनाओं के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित राशि समाप्त हो चुकी है और इसके लिए १९½ करोड़ रुपये की और अतिरिक्त आवश्यकता है ? क्या केन्द्रीय सरकार इन परियोजनाओं को चालू रखने के लिए योजना आयोग से बातचीत कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस संबंध में मंत्री महोदय से बातचीत कर सकते हैं।

श्रीमती अकम्मा देवी (नीलगिरि) : मंत्री महोदय ने मद्रास में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त राज्य में परियोजनाओं, बाढ़ आदि के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या वह इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालेंगे ?

डा० कु० ल० राव : चौथी पंचवर्षीय योजना में मद्रास में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी। सरकार नेवेली परियोजना की शक्ति २०० मेगावाट बढ़ाने तथा ३०० मेगावाट का एक नया संयंत्र लगाने का विचार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The cut motions were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :–

The following Demands in respect of Ministry of Irrigation and Power were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६७	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२३,६८,०००
६८	बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें	१,७६,०३,०००
६९	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	८,२६,२२,०००
१३२	बहुप्रयोजनीय नदी योजना पर पूंजी परिव्यय	९,६६,७८,०००
१३३	सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	८,५६,७८,०००

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, १ अप्रैल, १९६४ / १२ चैत्र, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, 1st April, 1964/Chaitra 12, 1886 (Saka).

———————

GMGIPND-LS III348(Ai) LS--16-6-64--600